पंचम माला, खंड 42, अंक 19 शुक्रवार, 16 अगस्त, 1974/25 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLII, No. 19 Friday, Aug. 16, 1974/Sravana 25, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19—शुक्रवार, 16 अगस्त, 1974/25 श्रावण, 1896 (शक)
No. 19—*Friday, August* 16, 1974/*Sravana* 25, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
365	राष्ट्रीकृत बैंकों का कार्यकरण	Functioning of Nationalised Banks.	1–3
366	वर्ष 1973–74 में भारत में आये पर्यटक	Tourists visiting India during 1973-74	3–4
367	कलकत्ता होकर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने	International Flights via Calcutta .	4–8
368	बंगला देश को निर्यात	Exports to Bangladesh .	8–10
371	राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of the National Council of Applied Economic Research	11
372	सूत के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of Yarn	11–13
373	बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities in Bombay	13–15
374	पर्यटक लक्ष्य	Tourist Target	15–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
369	राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में दिये गये ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks in U.P., Bihar and West Bengal	18
370	डाक्टरों, वकीलों और इंजीनियरों द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income Tax by Doctors, Advocates and Engineer .	18–19
375	कोचीन में असैनिक हवाई अड्डे	Civil Airport in Cochin .	20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—27 LS.S.(ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
376	बम्बई में कपड़ा मिल मालिकों और उद्योगपतियों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loan Advanced by Nationalised Banks to Textile Owners and Industrialists in Bombay .	20
377	निर्यात बढ़ाने के लिये नई कपड़ा नीति	New Tex.ile Policy to Boost Exports	21
378	'कमकोन' देशों से सहायता	Aid from COMECON Countries	21
379	जूनागढ़ (गुजरात) में गिर वन रक्षित स्थल का विकास	Development of Gir Forest Sanctuary in Junagarh (Gujarat)	21–22
380	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ब्याज दरें बढ़ाया जाना	Raise in Bank Interest Rates by Reserve Bank of India .	22
381	जूतों के निर्यात में कमी	Decline in Footwear Export .	22
382	कुछ मिलों द्वारा निर्यात दायित्वों को पूरा न किया जाना	Non-fulfilment of Export Obligation by certain Mills .	23
383	सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात	Export of Ready made Garmentt	23–24
384	कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Textile Mills	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2542	कराधान प्रणाली में संशोधन	Changes in System of Taxation	24–25
2543	पंजाब के राज्य सहकारी बैंकों को कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पूंजी निवेश	Investment of Money by ARC in State Cooperative Banks in Punjab	25
2544	समझौतों के अनुसार अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint according to Agreement . . .	25
2545	रिहंड बांध क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा के लिये परीक्षण	Experiments for Artificial Rains in Rihand Dam area . .	25
2546	सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन काले	Telephone Calls in Government Offices	26
2547	रोजगार कर लगाना जाना	Levy of Employment Tax .	
2548	चीनी पर प्रशुल्क में वृद्धि	Rise in Tariff on Sugar . .	26
2549	बजट घाटे में कमी करना	Reduction in Budgetary Deficit	26
2550	बिड़ला ग्रुप उद्योगों के द्वारा करों का अपवंचन	Evasion of Taxes by Birla Group of Industires . . .	27

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2551	रेल हड़ताल के कारण महाराष्ट्र में केन्द्रीय उद्योगों को क्षति पहुंचना	Loss suffered by Central Industries in Maharashtra due to Rail strike . . .	27
2552	रेल हड़ताल के कारण मध्य प्रदेश के केन्द्रीय उद्योगों को हुई क्षति	Loss suffered by Central Industries in M.P. due to Rail strike	27
2553	रेल हड़ताल के कारण पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय उद्योगों को हुई क्षति	Loss suffered by Central Industries in West Bengal due to Rail strike . .	28
2554	लद्दाख में शाल-उन उद्योग का विकास	Development of Shawl wool Industry in Ladakh . .	28
2555	रेलवे हड़ताल के दौरान इंडियन एयरलाइंस की अतिरिक्त उड़ानें	Additional flights operated by Indian Airlines during Railway strike	28
2556	रणजीत होटल, नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी विनियमों को सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही।	Steps to ensure strict health regulations in Ranjit Hotel, Delhi	28–29
2557	1974 के लिए भारत-रूस व्यापार योजना	Indo-Soviet Trade Plan for 1974	29
2558	इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं को मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of price differential to Exporters of Engineering Goods . .	29–30
2559	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में कृषि क्षेत्र में लगाई गई पूंजी	Investment of Money by Nationalised Banks in Agricultural Sector in Gujarat. .	30
2560	चायका मूल्य समीकरण पद्धति	Price pooling system of Tea	30
2561	आयात नीति द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं	Facilities provided by Import Policy	31
2562	अखरोट के निर्यातकर्ताओं को नगद सहायता	Cash Assistance to Walnut to Exporters . .	31
2563	जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1973–74 में किया गया व्यापार	Business Completed by LIC during 1973-74 . . .	32
2564	वर्ष 1974–75 में पंजाब तथा हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Punjab and Haryana during 1974-75.	32
2565	बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बरामद किया गया काला धन	Seizure of Black Money in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi	32–33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2566	निर्यात परिषदों के कृत्य	Functions of Export Councils	33–34
2567	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . . .	34
2568	जीवन बीमा निगम की पालिसियों के प्रीमियम और डिवीडेंड की दरों का पुनरीक्षण	Revision of Rates of Premium and Dividend on LIC policies	34–35
2569	केरल में लीड बैंक योजना के अंतर्गत बनाई गयी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन	Implementation of Development Schemes Chalked out under Lead Bank Scheme in Kerala	35
2570	केरल में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Kerala	35
2571	गत दो वर्षों में पता लगाया गया कालाधन	Black Money unearthed during last Two Years . . .	36
2572	केरल में अधिक संख्या में कपड़ा मिलों की स्थापना के लिए क्षमता	Potential for More Textile Industries in Kerala . .	36–37
2573	राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों का आयात	Import of Books by STC	37
2574	फर्मों और व्यक्तियों की ओर एक लाख रुपयों से अधिक बकाया आयकर की राशि	Arrears of Income Tax against Firms and Individuals above rupees one lakh . . .	37–39
2575	चालू वर्ष के दौरान चीनी का निर्यात	Export of Sugar during current year	39
2576	विदेशी सहायता	Foreign Aid	39–40
2577	पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कमी	Decline in Export of Jute Manufactures	40
2578	ढाका में इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय के सामने बम विस्फोट	Bomb Explosion in front of I.A. office in Dacca . . .	40
2579	धागे के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की हथकरधा बुनकरों की मांग	Demand by Handloom Weavers to Check increase in price of Yarn	40–41
2580	वित्त मंत्रालय मेंटेलैक्स आपरेटरों को वेतनों का भूगतान	Payment of Salaries to Telex Operators in the Ministry of Finance	41
2581	बंगला देश को निर्यात	Exports to Bangladesh .	41–42
2583	नल सरोवर (गुजरात) की पक्षी शरणस्थली की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधायें	Facilities for Tourists Visiting Birds Sanctuary of Nal Sarovar (Gujarat) . .	42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2584	निर्यात कार्यों में लगी विदेशी कम्पनियों में भारतीय भागीदारी	Indian Participation in foreign Companies engaged in Exports	42-43
2585	दक्षिण पूर्व एशिया में पूंजी निवेश के असवर	Investment opportunities in South East Asia . . .	43
2586	बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय	Decision of Government on the Recommendations of Banking Commission. . . .	43
2587	इंडियन एयरलाइंस द्वारा 'एयरबस' की खरीद	Purchase of 'Airbuses' by Indian Airlines	44
2588	कलकत्ता हवाई अड्डे पर हेंगरों का उपयोग	Utilisation of Hangars at Calcutta Airport . . .	44-45
2590	भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा गया गांजा और तस्करी का सामान	Ganja and Smuggled Goods Seized on Indo-Nepal Border	45
2591	औद्योगिक उपक्रमों को सरकार/सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई धनराशि को ईक्विटी शेयरों में बदल ने का प्रस्ताव	Proposal to Turn the Money Advanced by Government/Public Financial Institutions to Industrial Undertakings, into Equity Shares . .	45-46
2592	कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयास	Efforts for Artificial Rains .	46
2593	सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में कार्य कुशलता में गिरावट	Deterioration of Efficiency of works in the office of CDA Patna	46-47
2594	खाड़ी के देशों को निर्यात में कमी	Decline in Exports to Gulf Countries	47
2595	हथकरधा उद्योग के लिये पृथ्थक आयुक्त	Separate Commissioner for Handloom Industry . .	47
2596	काफी के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Coffee .	47-48
2597	बाढ से राहत कार्यों के लिये आसाम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Assam for Relief Works due to Floods	48
2598	जूट की निर्यात कीमतों में वृद्धि	Increase in Jute Export prices	48
2599	ऋण नियंत्रण से राहत देने के बारे में पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा अनुरोध किया जाना	Request made by Finance Minister of Punjab Regarding Relief from Credit Squeeze	48-49
2600	रुपये का अवमूल्यन	Devaluation of Rupee .	49
2601	भारत-श्री लंका व्यापार संबंध	Indo-Sri Lanka Trade Relations	49

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2602	रक्षा लेखा के कुछ नियंत्रकों के स्थानान्तरण के बारे में आदेश की क्रियान्विति	Implementation of ordar in regard to Transfer of Certain Controller of Defence Accounts	49
2603	रक्षा लेखा विभाग में काम कर-रहे लेखाकारों, उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के पदनाम में परिवर्तन	Change in Designation of Accountants UDCs and LDCs Working in Defence Accounts Department . . .	50
2604	पटना के रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में 'वैटकैंटीन' चलाने के लिये सरकार द्वारा दी गई राशि	Amount Granted by Government for Running 'Wet Canteen' in the office of CDA Patna	50–53
2605	"रोज वुड" के निर्यात में विलंब के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to Delay in Export of Rose Wood	53
2606	देहरादून में अफीम की खेती	Opium Cultivation in Dehra Dun	53–54
2607	विदेशों में भारतीय ऊनी बुनाई के वस्त्रों की मांग	Scope for Indian Woollen Knitwar Abroad . . .	54
2608	इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि० को भारतीय जीव बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loan advanced by LIC to Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited . .	54–55
2609	पर्यटन केन्द्रों में "सांप्रदायिक" नाम बोर्डों का प्रदर्शित किया जाना	Display of Communal name Boards at places of Tourist Resorts	55
2610	निर्यातकर्ताओं को संरक्षण देने के बारे में एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया को सुझाव देना	Suggestion by Export Credit and Guarantee Corporation of India to SBI regarding protection to Exporters .	55
2611	भारत-सूडान व्यापार करार	Indo-Sudanese Trade Agreement	56
2612	बंगला देश से हवाई समझौता	Air pact with Bangladesh .	56
2613	कश्मीर में पश्मीना शाल उद्योग को कच्चे माल की कमी	Shortage of raw material in pashmina Shawl Industry in Kashmir . . .	57
2614	दिल्ली हवाई अड्डे के प्रस्थान (डिपार्चर) लांज में वातानुकूलन संयंत्र का कार्यकरण	Working of Airconditioning Plant in the departure lounge of Delhi Airport . . .	57

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2615	पश्चिम जर्मनी से बढ़ा हुआ पूंजी निवेश	Increased investment from West Germany . . .	57
2616	स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में लघु किसानों को दिये गये ऋण	Amount of loan granted by SBI to small farmers in Madhya Pradesh	57–58
2617	सेवानिवृत्त सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी	Payment of Increase Pension to Retired Military Personnel	58
2618	कंडक्टरों पर उत्पाद शुल्क	Excise Duty on Conductors	58–59
2719	विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank . .	59
2620	भारत और अमरीका के बीच व्यापार	Trade between India and USA	60
2621	आयात में अत्यधिक वृद्धि	Steep rise in Imports	60
2622	नारियल जटा और नारियल जटा से बने उत्पादों का निर्यात	Export of Coir and Coir Products	60
2623	राहत कार्यों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for relief Works . . .	61
2624	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों, कम्पनियों और निगमों को दिये गये ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks to Persons, Companies and Corporations. . .	62
2626	विश्व बाजार में तांबे के मूल्य में गिरावट	Decline in Copper price in World Market	62
2627	स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंक को स्व-नियोजन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र	Application received under self Employment Scheme by SBI and Nationalised Banks.	62–63
2628	चमड़े की निर्मित वस्तुओं का निर्यात	Export of Finished leather Goods.	63–64
2629	जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता लेने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं	Schemes submitted for Financial Assistance from LIC by the Government of Kerala .	64–65
2630	कागज के आयात के लिये करार	Agreement for Import of Paper	65
2631	धार्मिक यात्री केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Pilgrim Centres .	65
2632	चाय का मूल्य	Price of Tea . . .	66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2633	नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earnings from Export of Coir and Coir products	66–67
2634	वर्ष 1973-74 के बजट में दिखाया गया घाटा	Budgetary Deficit during 1973-74	67–68
2635	वित्तीय वर्ष 1973-74 में बजट में दिखाया गया घाटा	Budgetary deficit during the financial Year 1973-74	68
2636	वर्ष 1974–75 के बजट में अनुमानित घाटा	Estimated Budgetary Deficit during the year 1974-75 .	68–69
2637	पर्यटक गाइडों के लिये प्रशिक्षण संस्थान	Training Institutes for Tourist Guides	69
2638	सभी निर्माण एककों पर अनिवार्य निर्यात बाध्यता लागू करना	Compulsory Export obligatory on Manufacturing Units. .	69–70
2639	लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत एकत्रित राशि	Collection under Small saving Scheme	70
2640	अभ्रक व्यापार का विकास	Promotion of Mica trade .	70–71
2641	बिहार द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdraft by Bihar	71
2642	पर्यटक स्थल के रूप में दार्जिलिंग का प्रचार	Publicity about Darjeeling as a Tourist Spot	71
2643	पर्यटन स्थल के रूप में सुन्दर बन का विकास करने के लिये बृहत योजना	Master plan to develop Sunderban as a Tourist Spot . .	72
2644	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमताओं का उपयोग	Utilisation of capacities in Public Sector Undertakings .	72–73
2645	विभिन्न राज्य पर्यटन विभागों को दी गई सहायता	Help given to various State Tourism Departments . .	74
2646	सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज की दर	Rate of interest on Government borrowings	74–75
2647	भारतीय पटसन निगम द्वारा बड़े पटसन उद्योगपतियों से वसूल की जाने वाली राशि	Amount to be collected from big jute industrialists by JCI	75
2648	लम्बे रेशे वाली रूई किसानों के पास जमा हो जाने की समस्या	Problem of accumulation of long Staple cotton with farmers	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2649	पर्यटकों को एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने को आकर्षित करने की योजना	Scheme to attract tourists for travel by Air India . .	76
2650	राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा आयातित खाद्य तेल	Imported edible oils in custody of STC	76
2651	नियंत्रित कपड़े का उत्पादन	Production of controlled cloth	76–77
2652	नई दिल्ली के आयकर आयुक्त रेंज दो के कार्यालय में अपूर्ण रिकार्ड रखा जाना	Maintenance of Incomplete records in the office of Income Tax Commissioner. Range-II, New Delhi . . .	77
2653	लघु उद्योगों द्वारा सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात	Export of Ready Made Garments by Small Scale Industries .	78
2655	भारत अफगान व्यापार प्रोटोकोल	Indo-Afgan Trade Protocol .	78
2656	आयकर सूची	Income Tax Scrolls . .	78–79
2657	विदेशों में भारतीय बैंकों का कार्यकरण	Operation of Indian Banks in Foreign Countries . .	79–81
2658	देश में विदेशी बैंक	Foreign Banks in the Country	81–82
2659	बंगलादेश को रेल के माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway wagons to Bangladesh	82
2660	भूकम्प के झटकों की तिथियां तथा उनकी प्रचण्डता	Dates of Occurance and intensity of Earthquake Shocks . .	83
2661	भारतीय रिजर्व बैंक के कनिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाना	Suspension of Junior officers in RBI	83
2662	दिल्ली-हवाई अड्डे के आस-पास नीलगायों का पाया जाना	Presence of Blue Bulls in the Vicinity of Delhi Airport. .	83–84
2663	विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank .	84
2664	पेंशन की राशि में वृद्धि	Increase in Amount of Pensions	84–85
2665	पशु चारे के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of Cattle Feed	85
2666	कतिपय कम्पनियों द्वारा कम राशि के बीजक बनाकर जापान को झींगों का निर्यात	Under Invoiced Exports of Shrimps to Japan by certain Companies	85–86
2667	आयकर को बकाया राशि पर जुर्माना तथा ब्याज	Penalties and Interest on Arrears of Income Tax. . .	86

अतां० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2668	देश में आपात राहत कार्य के लिए स्वीकृत राशि में कटौती करने का प्रस्ताव	Proposed cut in Amount Sanctioned for Emergency Relief work in the country . .	86-87
2669	मध्य प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों के लिए दी गई सहायता	Contribution made for Agricultural programmes in Madhya Pradesh	87-88
2670	डिपार्टमेंट आफ बैंकिंग आपरेशन एंड डेवलपमेंट में ग्रेड दो के स्टाफ आफिसरों की वरीयता सूची	Seniority of Staff officers Grade II in the Department of Banking Operation and Development.	88-89
2671	सरकारी स्वामित्व की कम्पनियों में घाटा	Loss in Government owned Companies . . .	89
2672	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास	Development of Tourist Spots in U.P. during Fifth Plan .	89-90
2673	प्राथमिक कृषि समितियों का वित्त-पोषण करने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई योजना	Scheme initiated by Commercial Banks Regarding Financing of Primary Agricultural Societies. . . .	90
2674	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 'गुलग आर्की पेलागो' नामक रूसी पुस्तक का रोका जाना	Detention of Russian Book Entitled 'Gulag Archipelago' by Customs Authorities .	90
2675	भारत से निर्यात बढ़ाया जाना	Increasing of India's Exports .	91
2676	निर्यात-आयात बैंक की स्थापना	Setting of Export Import Bank	91
2677	इंदौर और ग्वालियर स्थित जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें	Complaints received against Regional officers of LIC at Indore and Gwalior . .	91-92
2678	भारत में विदेशों के पूंजी निवेश पर लाभ	Return on Capital Invested by Foreign Countries in India .	92-93
2679	औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बोनस की अदायगी पर रोक लगाना	Freezing of Payment of Bonus by Industrial Establishments	93
2680	अपरिष्कृत पटसन की उत्पादन लागत के बारे में सर्वेक्षण	Survey Regarding Cost of Production of Raw Jute . .	93-94
2681	मितव्ययिता अभियान के परिणाम स्वरूप धन की बचत	Money saved as Result of Economy Drive . . .	94-97
2682	भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Taxes by Foreign Banks operating in India .	98-99
2683	आयकर अधिकारियों द्वारा पंजाब और हरियाणा में छापे मारा जाना	Raids by Income Tax Authorities in Punjab and Haryana	99-100

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी, की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष के अधरी सूचना भेजना	Incomplete Information sent to the Speaker re. Arrest of Shrimati Biha Ghosh Goswami	101–102
विधि मंत्री द्वारा समुद्र के नीचे की भूमी के स्वामित्व के संबंध में दी गई सूचना के बारे में	Re. Information given by the Law Minister about ownership of Undersea land . .	102–103
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	103
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	Assent to Bill . .	103
सदस्यों की दोष सिद्धि	Conviction of Members . .	103
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
जापान को लोह अयस्क के निर्यात में भारी घाटे के समाचार—	Reported heavy losses in the export of Iron Ore to japan—	
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan.	103
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Shri D.P. Chattopadhya .	105–106
सभा का कार्य—	Business of the House—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	106–108
नियम 377 के अधीन मामले	Matter Under Rule 377	108–109
कार्यमंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
46 वां प्रतिवेदन स्वीकृत	Forty sixth Report adopted	109
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडेचेरी) 1974—	Supplementary Demands for Grants (Pondicherry), 1974—	
विवरण प्रस्तुत करना	Statement presented .	110
कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Bill—Introduced	110–116
कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) अध्यादेश 1974 और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन संशोधन अध्यादेश, 1974 के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Ordinance, 1974 and Companies (Temporary Resoitrtion Dividents) Amendment Ordinance 1974 . . .	116–117

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक—	Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Bill—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to introduce—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	117
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan .	117
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	. 117–118
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	118
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
44 वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Forty Fourth Report—adopted	118
कृषि-श्रमिकों के बारे में संकल्प—	Resolution Re. Agricultural Labour—	
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha	. 119–120
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	121
श्री एम० कत्तामुत्तु	Shri M. Kathamuthy	. 121–123
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	123
श्री राम रतन शर्मा	Shri R.R. Sharma .	. 123–124
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	. 124–125
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar . .	125
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan .	. 125–126
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	127
आधे-घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
हिंद महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाना—	Indian ocean as a free Zone—	
श्री विश्वनारायण प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh . . .	127–128
श्री पी० के देव	Shri P. K. Dev	. 128–129
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	129–130

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 16 अगस्त 1974/25 श्रावण, 1896 (शक)
Friday, August 16, 1974/Sravana 25, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

*365. श्री **राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था का लाभ उठाने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यकरण बहुत ही अकुशल रहा है ;

(ख) क्या बहुत सी बड़ी तथा छोटी प्रगतिशील वाणिज्यिक कम्पनियों ने अपने खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोल लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण कुलश बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत "अकुशल कर्मचारियों और उनके रूखे व्यवहार के कारण ग्राहक सेवा में गिरावट" नामक शीर्षक वाले उस लेख की ओर है जो 22 जुलाई, 1974 का दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा था ।

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे यह पता चलता हो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते बड़े पैमाने पर बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले गये हैं ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बराबर यह कोशिश रही है कि ऐसे उचित उपाय किये जाएं जिनसे उनकी कार्यकुशलता बढ़े और ग्राहक-सेवा में सुधार हो सके जैसे प्रशिक्षण कार्य-क्रमों के कार्यक्षेत्र और उनकी विषय वस्तु में उचित परिवर्तन करना, तकनीकी दृष्टि से

योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना, फार्मों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण करना, क्षेत्रीय तथा शाखा स्तर पर अधिकार देना और ग्राहक सेवा में सुधार करने की दृष्टि से कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच बेहत्तर सम्बन्धों को बढ़ावा देना।

सरकार ने हाल ही में बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट के 11 वें अध्याय "बैंककार्य पद्धतियां और प्रक्रियाएं" (बैंक ओप्रैटिंग मैथड्स एण्ड प्रोसीजर्स) में दी गयी कई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं जिनमें ग्राहक सेवा सहित बैंक कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न बातें आ जाती हैं। बैंकों से कह दिया गया है कि वे जल्दी से ऐसे कदम उठाये जिससे कि उन सिफारिशों को कार्यरूप दिया जा सके जो मुख्य रूप से बैंक के कार्यकरण तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गयी है।

श्री राजदेव सिंह : विवरण में कहा गहा है कि बड़े पैमाने पर खाते बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं खोले गए हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "अकुशल कर्मचारियों और उनके रुखे व्यवहार के कारण ग्राहक सेवा में गिरावट" शीर्षक से लेख छपा है।

विवरण के दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है :

"रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे यह पता चलता हो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से खाते बड़े पैमाने पर बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले गए हैं।"

अत: विवरण के अनुसार खाते बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंको मे खोले तो गये हैं परन्तु ऐसा बडे पैमाने पर नहीं हुआ। क्या हम ऐसे खातों की सही संख्या और राशि जाने बिना यह अनुमान लगा सकते है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अपने खाते बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने गलत अर्थ लगाया है। जब मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि उनके ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे यह पता चला हो कि राष्ट्रीयकृत बैंको से खाते बड़े पैमाने पर बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए हैं तो माननीय सदस्य ने इसका अर्थ यह लगाया कि कुछ खाते दुसरे बैंकों में अवश्य खोले गए हैं। यह सच है। परन्तु यह एक सामान्य स्थिति है। लेकिन हमें अन्ततः यह देखना होगा कि प्रवृति क्या है। क्या जानबूझकर सभी प्रकार की जमा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों से निकालकर गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गयी है। मैंने सही स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयत्न किया है। यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 100 है, तो वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों का अंश 83.7 तथा वर्ष 1973 में यह 83.9 था। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशी में कोई कमी नहीं हुई है। विदेशी बैंकों की जमाराशी में कमी हुई है। यह सच है कि गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा-राशी की प्रतिशतता में परिवर्तन हुआ है और इसमें वृद्धि हुई है। यह स्वाभाविक है क्योंकि छोटे बैंक अपने क्षेत्र में सेवा करते हैं और जमाराशी में वृद्धि करने के आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसकी अतिरिक्त, उन पर नए क्षेत्रों, गैर बैंकिग क्षेत्रों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाए खोलने का दायित्व नहीं होता जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थिति इससे भिन्न है। मेरे विचार में इस स्पष्टीकरण से माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए होंग कि ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं रही है।

श्री राजदेव सिंह : राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना समयोपरि भत्ता दिया गया है? क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व की तुलना में राष्ट्रीयकरण के बाद इस राशि में वृद्धि हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे कोई जानकारी नही मिली है। यदि माननीय सदस्य विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे तो मैं जानकारी एकत्र करुंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Has the attention of the Government been invited to the allegation of the General Secretary of All India Bank Employees Association. I am quoting his words :

"In one case about Rs. 3 Crores were advanced for cornering yarn. We opposed it. We said it was against the Government policy. But the R. B. I. came forward with control of advance against yarn."

Is it a fact that the proposals of the representatives of employees of nationalised Banks, that big industrialists should not be advanced loans, are not accepted and the Government directors reject their proposals ? Have such complaints been brought to the notice of the hon. Minister.

Shri Yeshwantrao Chavan : I had read their article in the newspaper. I feel in their capacity as directors, they can raise such questions before their respective boards Thereafter, if the board of directors takes a decision on any such matter, I think that such a decision would have been taken on merits. I cannot interfere in such matters.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ प्रबन्ध निदेशकों के सम्बन्धी गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बन गए हैं और उनके कहने पर लाभकारी खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों से बन्द करके गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जा रहे है ? क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशी की प्रतिशतता केन्द्र और राज्य सरकारों के संरक्षण के कारण बनाई रखी जाती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के प्रथम भाग में कही गई बात को न तो मैं स्वीकार ही कर सकता हूं और न अस्वीकार कर सकता हूं क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है । यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो मैं इसकी जांच करने के लिए तैयार हूं । प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नकारात्मक है ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या राष्ट्रीयकृत बैंको की विभिन्न शाखाए ऐसे रजिस्टर बनाती हैं जिनमें ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र दर्ज हों, स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने वाले आवेदन-पत्रों के कारण दर्ज हों ताकि सरकार को मासिक प्रतिवेदन भेजा जा सके? इससे लोगों को यह पता चला जाएगा कि उनका आवेदन पत्र स्वीकार हुआ है अथवा नहीं और ग्रामीणों को बैंक कर्मचारियों के व्यवहार से परेशान नहीं होना पडेगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य का प्रश्न सराहनीय है। इस समय अलग अलग बैंकों से सरकार को कोई जानकारी नहीं मिलती । जब सरकार चाहती है तो वह सीधे बैंक से अथवा रिजर्व बैंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेती है । मेरे विचार में यह एक अच्छा सुझाव है । लघु ऋण लेने वालों को बैंकों से ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए ।

वर्ष 1973–74 में भारत में आये पर्यटक

+

***366. श्री भगतराम राजाराम मनहर :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 में भारत में कितने पर्यटक आए और उनसे कितनी राशि की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : वित्त वर्ष 1973–74 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या 4,08,121 थी । अनुमान है कि इस अवधि के दौरान पर्यटन से लगभग 67 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई ।

Shri Bhagatram Rajaram Manhar : There is no doubt about it that tourism has become a major business in almost all the countries of the world. The country earns foreign exchange through it. It promotes love and goodwill amongst countries. According to the existing rules, the foreign tourist has to pay his hotel bill in foreign exchange by which the agents are benefited. Is the hon. Minister taking necessary action to give money exchange facility to authorised hotels, tourist agents, big railway stations and to some particulars shops ?

डा० सरोजिनी महिषी : मुद्रा विनिमय की सुविधाएं कई स्थानों पर प्रदान की गई है। कुछ लोगों के अतिरिक्त सभी विदेशी पर्यटकों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ सीमा तक विदेशी मुद्रा की हेराफेरी में कमी हुई है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, होटलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी मुद्रा विनिमय की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इससे स्थिति सुधरी है तथा इससे 1 नवम्बर, 1972 के बाद से विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि हुई है।

कलकत्ता होकर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उडाने

***367. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे से हाल में कोई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान बढ़ाई गई है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी विमान कम्पनियों के साथ इस बारे में बातचीत करने में पहल की है कि वह कलकत्ता होकर अपनी उड़ानें भरें; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ब्रिटिश एयरवेज़ ने कलकत्ता से होते हुए अपने परिचालनों को 4 से बढ़ा कर 5 सेवाएं प्रति सप्ताह कर दिया है ।

(ख) भारत सरकार विदेशी वाहकों द्वारा कलकत्ता के लिए से होते हुए उनके अधिकारों के अनुसार अनुसूचित विमान सेवाओं के परिचालन का अवश्य ही स्वागत एवं उत्साहवर्धन करेगी। परन्तु, यह संबंधित एयरलाइंस का काम है कि वे अपने अधिकतम वाणिज्यिक लाभ को दृष्टि में रखते हुए इस संबंध में पहल करें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में एक नया टर्मिनल भवन बनाया है जो मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के संदर्भ में भारत का सबसे बढ़िया भवन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1968 तक कलकत्ता हवाई अड्डे से कितनी उड़ाने भरी गई और लुफ्थांसा, के० एल० एम०, बर्मा एयरवेज़ सहित लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे से उड़ाने भरना रद्द क्यों कर दिया है? कलकत्ता हवाई अड्डे से इन अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा फिर से उड़ाने शुरू करने का वातावरण पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

डा० सरोजिनी महिषी : एयर इण्डिया को छोडकर कलकत्ता से होकर 6 अन्तरराष्ट्रीय उड़ान भरी जाती हैं। एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स को मिलाकर यह संख्या 8 हो जाती है। वर्ष 1969 में यह संख्या 15 थी। धीरे धीरे उन्होंने देश के उस भाग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उड़ाने बन्द कर दी। माननीय सदस्य जानते

हैं कि उस समय स्थिति कितनी अस्थिर थी और किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सेवाओं को सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। अब धीरे धीरे यात्री बढ़ते जा रहे हैं। कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय विमानों से यात्रा करने वालों की संख्या वर्ष 1972 में 1,64,813 थी जो वर्ष 1973 में बढ़कर 2,06,764 हो गई।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : माननीय मंत्री जानती हैं कि कलकत्ता हवाई अड्डे से काफी संख्या में उड़ाने नहीं भरी जाती, फिर भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधीन टर्मिनल भवन के पीछे फाइव-स्टार होटल बनाने पर मंत्रालय द्वारा विचार करने तथा जम्बो उडान के लिए प्रबन्ध करने के पीछे मूल कारण क्या थे जबकि एयर इण्डिया जम्बो की इस हवाई अड्डे से उडाने नहीं भरी जाती ?

डा० सरोजिनी महिषी : एयर इण्डिया जम्बो वहां से उड़ान नहीं भरता है। कलकत्ता से होकर 6 उड़ाने भरी जाती हैं--तीन पूर्व दिशा की ओर तथा तीन पश्चिमी दिशा की ओर। इसके लिए आवास की व्यवस्था आवश्यक है। इसलिए भारतीय पर्यटन विकास निगम ने हवाई अड्डे के निकट आवास की व्यवस्था को आवश्यक समझा।

प्रश्न के प्रथम भाग में माननीय सदस्य ने पूछा है कि कलकत्ता हवाई अडडे पर टर्मिनल भवन बनाने के लिए इतना पैसा खर्च क्यों किया गया . .

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि यह सबसे बढ़िया टर्मिनल भवन है परन्तु इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा।

डा० सरोजिनी महिषी : 2 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बना टर्मिनल भवन देश के पूर्वी भाग में यातायात सम्भाव्यता को बढ़ाने, उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को परिचालन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कुछ स्पष्ट कारणों से, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुकी हूं, अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने बन्द हो गई।

कलकत्ता से होकर अन्तर्राष्ट्रीय विमानों का जाना अथवा न जाना स्वविवेक तथा लाभ हानि को देखकर तय किया जाता है। यह निर्णय करना उनका काम है। उदाहरण के लिए, "स्विस एयर" की केवल बम्बई हवाई अड्डे से उड्डयन सेवाएं हैं। इसके रुकने के दो स्थल और भी हैं--बम्बई और कलकत्ता। लेकिन अब उन्होंने कलकत्ता से उड़ाने बन्द कर दी हैं। अब केवल बम्बई हवाई अड्डे से उड़ाने भरी जाती हैं। इसी प्रकार "एयर फ्रांस" के विमान जो पहले कलकत्ता और दिल्ली से होकर उड़ान भरते थे, अब बम्बई और दिल्ली से होकर उड़ाने भरते हैं। यह निर्णय करना सम्बन्धित कम्पनी का काम है कि कौन कौन से स्थान से होकर उड़ाने भरना लाभप्रद होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदया ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी थी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को अपनी विमान सेवाएं जारी रखने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा अपनी उड़ाने बन्द करने का एक कारण बम्बई और दिल्ली की तुलना में पश्चिम बंगाल में विमानों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन पर लगाए गए बिक्री कर की अधिक दर है। क्या यह एक मुख्य कारण है? मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि भारत सरकार विदेशी विमान कम्पनियों को, उनकी हकदारी के अनुसार, कलकत्ता के लिए उड़ान सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही है। 'हकदारी' से उनका क्या तात्पर्य है?

डा० सरोजिनी महिषी : देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते किए जाते हैं। आमतौर पर दो हवाई अड्डों से उड़ाने भरने की अनुमति दी जाती है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास

2—27 LSS/74

और दिल्ली में से कोई दो हवाई अड्डे चुने जा सकते हैं। उन्हें दोनों हवाई अड्डों से उड़ान भरने का अधिकार है। परन्तु वे दोनों हवाई अड्डों से उड़ाने नहीं भरते। कई बार वे एक ही हवाई अड्डे का चयन करते हैं। दो हवाई अड्डों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाती। कई बार वे कलकत्ता से होकर नहीं जाना चाहत और बम्बई के लिए मांग करते हैं लेकिन कई बार उन्हें बम्बई की अनुमति नहीं दी जाती। यह समझौतों पर निर्भर करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिक्री कर के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

डा० सरोजिनी महिषी : विमान-ईंधन पर लगने वाले बिक्री-कर में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन बिक्री कर लगाना राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का सम्बन्ध है, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या पश्चिम बंगाल में बिक्री कर सबसे अधिक नहीं है?

डा० सरोजिनी महिषी : यह ठीक है। कलकत्ता के बाद दूसरा नम्बर बम्बई का है। लेकिन एयर इण्डिया और अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के बीच कुछ समझौते होते हैं। बिक्री कर में वृद्धि का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पता लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बिक्री कर अस्थायी रूप से हटा लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्रीमती माया राय : एयर इण्डिया की जम्बो उड़ानों को कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर जाने के लिए उत्साहित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डा० सरोजिनी महिषी : यह तो उस हवाई अड्डे पर यातायात की क्षमता पर निर्भर करता है। एयर इण्डिया का 707 विमान तीन पूर्व दिशा में और तीन पश्चिम दिशा में उड़ाने भरता है। एयर इण्डिया के विचार में उपलब्ध यात्रियों के लिए 707 विमान की क्षमता पर्याप्त है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अधिकांशतः डी० सी० 10 विमान चला रही है।

श्री पीलू मोदी : स्वदेशी उड़ानों वाले हवाई अड्डे पर बहुत अधिक यातायात रहता है। उधर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों वाला हवाई अड्डा अप्रयुक्त पड़ा है। सरकार इनके कार्यकरण को उलटा क्यों नहीं कर देती, अर्थात् स्वदेशी उड़ानों वाले हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों वाले हवाई अड्डे को स्वदेशी उड़ानों के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं किया जाता, ताकि उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जा सके? मंत्री महोदया जानती हैं कि स्वदेशी उड़ानों वाले हवाई अड्डे में स्थान अपर्याप्त है।

डा० सरोजिनी महिषी : स्वदेशी उड़ानों भरने वाले कुछ विमानों को अन्तर्राष्ट्रीय अड्डे पर भेज दिया गया है। इस समय बंगला देश विमान, बर्मा एयरवेज़, ब्रिटिश एयरवेज़, स्केण्डेनेवियन एयरलाइन्स, रायल नेपाल एयरलाइन्स, थाई एयरलाइन्स, एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के उतरने वाले तथा उड़ान करने वाले जहाजों की उड़ानों की संख्या 314 है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इस सीमा तक प्रयोग होता है। मैं सदस्य महोदया के इस कथन से सहमत हूं कि एक बड़ा तथा सुन्दर भवन बनाया गया है परन्तु इसका अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा। यदि माननीय सदस्य द्वारा दी गई सलाह अच्छी होगी तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदया ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कलकत्ता हवाई अड्डे विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात अधिक हो गया है। इससे पता चलता है कि वहां सम्भावनाएं हैं। दूसरे, नागर विमानन विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि विशेषकर कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिक यातायात की सम्भावनाएं हैं। अचानक ही नागर विमानन ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि सम्भावनाएं नहीं हैं और विदेशी विमान कम्पनियों को किसी अन्य हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी। क्या इस स्थिति में कुछ विदेशी विमान कम्पनियों को ये आदेश देना सम्भव है कि यदि वे दो हवाई अड्डों से विमान सेवा का परिचालन करना चाहती है तो कलकत्ता और दिल्ली अथवा कलकत्ता और बम्बई को चुन सकती है। कलकत्ता हवाई अड्डे की इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

डा० सरोजिनी महिषी : हवाई अड्डे पर शानदार भवन बनने से, वहां विमान-चालक सुविधाएं उपलब्ध होने से तथा वायु यातायात नियन्त्रण के लिए प्रभावशाली राडार होने से वहां किसी सुविधा की कमी नहीं है। परन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि, हवाई अड्डों के चयन सम्बन्धी सभी बातें एयरलाइन्स के लिये ही छोड़ दी जाती हैं। हम उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। यह उनके वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। कई बार जब उन्हें दो अड्डे बताये जाते हैं, कलकत्ता तथा दिल्ली, तो वे दिल्ली का चयन करते हैं। एक मामले में जब हमने उन्हें बताया कि हम उन्हें दिल्ली और बम्बई की अनुमति नहीं दे रहे हैं तब उन्होंने कलकत्ता के बजाय दिल्ली का चयन किया। अतः यह उनके निर्णय पर निर्भर है, यह पूर्णतया उनके विवेक की बात है।

श्री पीलू मोदी : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। विदेशी एयरलाइन्स पर कलकत्ता में उतरने के लिये दबाव क्यों नहीं डाला जाता चाहे वे कलकत्ता जाना चहते हों या नहीं? विदेशी पर्यटकों पर कलकत्ता जाने के लिये दबाव डाला जाना चाहिए। यह प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर क्यों नहीं दिया जाता?

अध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रश्न की व्याख्या के लिये आप जो बैठे हुये हैं। माननीय सदस्य स्वयं संतुष्ट हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : वह सारे दायित्व अपने पर ही ले लेते हैं।

श्री समर गुह : गत पांच वर्षों से यही उत्तर दिया जा रहा है। कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। कारण बताया गया है कि कुछ कठिनाइयां हैं। क्या यह सच है कि बम्बई में शिवसेना तथा अन्य तत्व द्वारा बार बार लूट पाट के कारण और कठिनाइयां पैदा हो रही है परन्तु बार बार दोष कलकत्ता पर लगाया जाता है कि यहां संकट है और इस कारण उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग कलकत्ता से बदल दिया है।

क्या यह बात सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का सीधा सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से है। और क्या यह भी सच है कि गत तीन अथवा चार योजनाओं में पर्यटन विकास के लिये पूर्वी क्षेत्र का देश के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी भाग की अपेक्षा बहुत कम नियतन किया गया है। क्या यह सच नहीं है कि इन्हीं कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने कलकत्ता में करने के लिये सहमत नहीं हो रही हैं।

दूसरे क्या यह सच है कि वो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने जो ढ़ाका हवाई अड्डे का प्रयोग करता है कलकत्ता हवाई अड्डे तक नहीं आती हैं और वे ढ़ाका जाने के लिये कलकत्ते को मार्ग में ही छोड़ देता है। मंत्री महोदय को इस बात में रुचि लेनी चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने जो ढाका जाती हैं उन्हें कलकत्ते में भी रुकना चाहिये।

डा० सरोजिनी महिषी : हम अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स से कलकत्ता से होकर जाने के लिये कह रहे हैं और इस उद्देश्य के लिये विमान उतरने तथा उड़ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये आवश्यक अन्य सुविधायें वहां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हम वहां हवाई अड्डे के निकट यात्रियों को उत्तम सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 150 कमरोंवाला होटल बना रहे हैं। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत और क्या प्रयास किये जाने चाहिये इस सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव दे सकें तो हम उनपर प्रसन्नता से विचार करेंगे। उनकी इस शिकायत के सम्बन्ध में कि पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है मैं यह बताना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने एक बार जो डीगा समुद्र तट के बारे में जो शिकायत की थी वहां राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। गोहाटी में एक पर्यटन बंगले का निर्माण कार्य चल रहा है। काजीरंगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र में आवासिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और आन्तरिक सड़कें तथा अन्य चीजें बनाई जा रही हैं। माननीय सदस्य को पता है कि पश्चिम बंगाल में युवक होस्टल बनाने के लिये दार्जिलिंग में बड़ी कठिनाई से भूमि प्राप्त हुई है। आवासिक सुविधाओं में विस्तार करने के लिये जलदापाड़ा में भी एक भूखण्ड का अर्जन किया गया है। सुन्दरबन तथा डीगा समुद्रतट पर पर्यटक सुविधाओं का विकास और विस्तार किया जा रहा है। सुन्दर बन पक्षी संरक्षण स्थल है परन्तु पिछली बार जब मैं वहां गई, वहां एक भी पक्षी नहीं था . . .

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या वह अपनी आंखे बन्द रखती हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : बाघ देखे नहीं जाते हैं केवल उनके पदचिन्ह देखे जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास की काफी क्षमता है तथा राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में प्रत्येक संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

Exports to Bangladesh

***368. Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some commodities have been exported to Bangladesh as a result of the agreement concluded between India and Bangladesh in the year 1973-74 ; and

(b) if so, the names of the commodities exported together with the quantity thereof and its impact on the food policy of India ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत 15 जुलाई, 1974 तक बंगला देश को जो निर्यात किये गये वे निम्नोक्त प्रकार हैं :

वस्तु	(मूल्य लाख रु० में)
1. कोयला	128.61
2. अनिर्मित तम्बाकू	327.97
3. सीमेंट	122.35

	वस्तु	(मूल्य लाख रु० में)
4.	कपास .	269.96
5.	सूती वस्त्र	13.90
6.	स्टोन वोल्डर, लकड़ी आदि . . .	15.31
7.	फालतू हिस्से व मशीनरी आदि	13.27
8.	पुस्तकें, समाचारपत्र आदि . . .	7.73
9.	अन्य . .	17.81
	कुल .	916.91

प्रबन्ध में खाद्यान्नों की कोई मद नहीं है।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : It seems from the statement in reply to Part (b) of the Question that the Government has so far been failure regarding the goods exported to Bangladesh. I would like to produce certain details in this regard. During 1972 goods were exported to the tune of 36 crores and in 1973 worth 21 crores. According to the figures given by the Hon. Minister this year we exported goods worth Rs. 916·91 lakh Rupees. This means that we could not achieve the target according to the agreement concluded in 1972 and the export policy of the Government failed. May I know the reason for such a short fall in exports and the concrete measures evolved to fulfill the export Commitments according to the agreements ?

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को ठीक प्रकार से उत्तर नहीं मिला है। विवरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संतुलित व्यापार तथा भुगतान प्रबन्धों के अन्तर्गत बंगला देश को 15 जुलाई, 1974 तक निम्नलिखित निर्यात किया जायेगा। 9.16 करोड़ रूपये के मूल्य के सामान का निर्यात होगा। यह सच है कि समग्ररूप से 20 करोड़ का होगा परन्तु यह 15 जुलाई तक सीमित है। यह व्यापार प्रक्रिया चल रही है और अब तक जितनी मात्रा में निर्यात किया गया है उसके आंकड़े बता दिये गये हैं। मेरे विचार से हम बंगला देश को वस्तुओं के निर्यात के मामले में असफल नहीं रहे हैं।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Is it a fact that IDBI decided in December, 1973 to extend loans to the purchaser, if so, the export made to Bangladesh in Cash and on loan terms separately ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य ने भारतीय औद्योगिक विकास के ऋणों का संदर्भ दिया है वे बंगला देश और भारत सरकार के बीच हुये वाणिज्यिक करार के विषय क्षेत्र में नहीं आते।

श्री राम सहाय पांडे : यह प्रसन्नता की बात है कि हम बंगला देश को बहुत सी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। जो वस्तुयें हम निर्यात कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में क्या ऐसी शिकायतें मिली है कि निर्यात की वस्तुयें, विशेषतया कपड़ा, निर्धारित स्तर के नहीं हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : छोटी मोटी शिकायतें मिली हैं परन्तु ऐसी नहीं जैसी कि माननीय सदस्य ने कहा है। हमने एक प्रक्रिया बनाई है जिसमें कपड़ा विकास परिषद् द्वारा निर्यात

की वस्तुओं की जांच की जायेगी। जहां, विकास परिषद् के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होगी वह शिकायतें हो सकती हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में तम्बाकू (कच्चा) भी एक वस्तु है। क्या (कच्चे) तम्बाकू का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है अथवा निजी व्यापारियों द्वारा ? किस राज्य से सर्वाधिक मात्रा में तम्बाकू बंगला देश भेजा गया है ?

श्री ० ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य को पता है कि बंगला देश को किसी अन्य देश को 99 प्रतिशत तम्बाकू (कच्चा) का निर्यात आन्ध्र प्रदेश से किया गया। बंगला देश तथा भारत सरकार के बीच करार के अनुसार तम्बाकू का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा और पिछले वर्षों की तुलना में हमारा निष्पादन, व्यापार करार के परिणामस्वरूप, पूर्णतया संतोषजनक है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि यहां बतायी गयी वस्तुयें अथवा उनमें से अधिकांशतः जैसे तम्बाकू, कोयला, कपास आदि तो बंगलादेश को निर्यात की जाती हैं वहां बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेची जाती हैं और यही कारण है कि बंगलादेश के व्यापारी तथा निवासी हमारे साथ व्यापार के विरूद्ध हैं और उनके द्वारा भारत की आलोचना की जा रही है। यदि हां, तो क्या सरकार बंगला देश के साथ यह मामला उठायेगी कि हमारे निर्धारित मूल्य वहां वस्तुओं के बेचे जाने के समय वहां के निर्धारित मूल्यों से अधिक न हों।

श्री पीलू मोदी : बंगला देश में भी मूल्य नियंत्रण होना चाहिये।

श्री ए० सी० जार्ज : : दोनों देशों के बीच जो करार हुआ है उसमें हम केवल क्रय और विक्रय मूल्य खोल सकते हैं। वे किस मूल्य पर बेचें यह उनका प्रतिदृष्टिकोण है विशेषतम जब सौदे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये जाते हैं।

श्री एम० के० एम० इसहाक : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह सच है कि बंगला देश को बारासत दीनाजपुर मछलियों का निर्यात किया जा रहा है? क्या यह भी सच है कि बंगलादेश की ओर से पश्चिमी बंगाल में मछलियां लायी जा रही है ? क्या यह भी सच है कि कुछ बिहार तथा अन्य क्षेत्रों से बंगलादेश को तम्बाकू का निर्यात किया जा रहा है और बंगलादेश के लोग इस तम्बाकू को पसंद करते हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : मछलियों के निर्यात के बारे में कि सीमा बहुत बड़ी होने के कारण दोनों ओर से तस्करी के थोड़े बहुत मामले हो सकते हैं। परन्तु हम इन सब कमियों का पता लगाने के लिये तथा मछली आयात का कार्य मछली निगम से कराने के लिये प्रयास कर रहे हैं। कार्य संतोषजनक रहा है क्योंकि आयात के लिये 3 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। यदि सुधार के लिये कोई सुझाव दिया जाये तो हम प्रसन्नता से इस पर विचार करेंगे। तम्बाकू के मामले में खरीददार को प्राथमिकता है, हम यह नहीं कह सकते कि अमुख स्थान का तम्बाकू क्यों नहीं लिया जाता। चाहे जो भी वस्तु हो तथा चाहे जहां भी जाती हो हम आवश्यकता पूरी करने के प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न पर चाहे वह महत्वपूर्ण है अथवा नहीं सदैव ही बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

*371. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किये जा रहे उपयोगी कार्य को देखते हुए इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी, नहीं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : देश में आर्थिक संकट को देखते हुये क्या सरकार ने अनुसंधान कार्य व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान को सौंप दिया है अथवा सौंपने का विचार किया जा रहा है जिससे कि संकट पर विशेषतया मूल्य वृद्धि रोकने तथा मूल्य स्थिर करने के संदर्भ में, विजय प्राप्त की जायेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय नहीं। यह एक अच्छा सुझाव है।

सूत के निर्यात पर प्रतिबंध

*372. **श्री ए० के० इहसाक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र ने सूत के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार यार्न का निर्यात पूर्णतः बन्द कर दिये जाने के विचार के पक्ष में नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार करारों को क्रियान्वित करने और उच्च इकाई मूल्य वाले औद्योगिक यार्न के बाजार की मांग पूरी करने के लिये कुछ निर्यात करने ही होंगे। किंतु सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से सूत का निर्यात विनियमित किया जा रहा है और सरकार स्वदेश में यार्न की प्राप्तता स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या यह सच है कि क्या निर्यात बनाये रखने के लिये राज-सहायता के रूप में बहुत बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। यदि हां, तो कितनी राज-सहायता दी गई है? दूसरे क्या देश के पीछे धागे की अकाल पड़ गया था। और सरकार की निर्यात नीति को देखते हुये देश की आवश्यकतायें किस प्रकार पूरी की गयी?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि बताया जा चुका है हम धागे के निर्यात को नियंत्रित रूप में अनुमति देते हैं क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हथकरघा उद्योग के लिये महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मार्च, 1973 में जब बिजली संकट के कारण धागा प्राप्त नहीं होता था हमने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था परन्तु धीरे धीरे जब धागा उपलब्ध होने लगा हमने इस मामले में प्रगति की। धागा व्यापार विनियमित किया जा रहा है और धागा निर्यात के लिये कोई राजसहायता नहीं दे रहे हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय इस बात से सहमत कि थोड़ा बहुत निर्यात अभी भी किया जा रहा है। क्या देश की आवश्यकतायें पूरी हो जाती है और उसके पश्चात् कुछ मात्रा निर्यात के लिये शेष रह जाती है और दूसरे क्या देश पर्यन्त धागे के मूल्य में वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव तैयार कपड़े पर पड़ा है।

श्री ए० सी० जार्ज : वर्ष 1973 में कुछ कठिनाइयां थीं जब, विशेषतया तमिलनाडू में, बिजली संकट चल रहा था। स्थिति में सुधार हुआ है और पिछे धागे के मूल्य स्थिर हो गये हैं। जब धागे के निर्यात का निर्णय किया जाता है तब देश में धागे की उपलब्धता विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की आवश्यकता तथा अधिक मात्रा में निर्यात कि जा सके इन सब बातों पर भी ध्यान रखा जाता है। इस सब बातों का ध्यान देखकर ही निर्यात की अनुमति दी जाती है।

Shri Madhu Limaye : Is it not a fact that the weavers in India are not getting yarn in adequate quantity and on fixed price ? Weavers of Bhagalpur district and of my Constituency are getting neither the Cotton nor staple yarn. May I know whether the Hon. Minister propose to enforce than on export and whether efforts would be made to check the system of on Money prevalent these days ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि मैंने पहले बताया है धागे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से अधिक लाभ नहीं होगा क्योंकि बहुत से ठेके किये जा चुके हैं और वाणिज्यिक रूचि पैदा की जा चुकी है। दूसरे जब हम निर्यात की अनुमति देते हैं हम विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर हीं कुछ काउन्टस के निर्यात की अनुमति देते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर : विदेशों को कितनी मात्रा में धागों का निर्यात किया गया, किन किन देशों को इसका निर्यात किया गया ओर हमारे देश के बुनकरों को इन निर्यातों के फलस्वरुप क्या किन्ही कठीनाईयों का सामना करना पडा ?

श्री ए० सी० जार्ज : 1970 में हमने 26.87 करोड रुपये की लागत के तीन करोड़ चार लाख किलोग्रॅम धागों का निर्यात किया । 1972 में हमने 22.77 करोड़ रुपए की लागत के 2 करोड़ 22 लाख किलोग्रॅम धागों का निर्यात किया और 1973 में हमने 13.07 करोड़ रूपये की लागत के 1 करोड 19 लाख किलोग्राम भागों का निर्यात किया। इस वर्ष 80 लाख किलोग्राम के निर्यात का कार्यक्रम है। आवश्यकता उपलब्धता और कपडा नीतो को ध्यान रखते हुये इस पर पुनः विचार होना है।

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर : किन देशों को इतना निर्यात किया गया।

श्री ए० सी० जार्ज : किन किन देशों को किया गया, यह सचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : यदि इस बात को भी मान ले कि अ क उत्पादन की आवश्यकता है और निर्यात जारी रहना चाहिये तो बूनकरों के लिए आबंटित कोटे को कारखाने के मालिकों को क्यों सौपा जाता है। उदाहरणार्थ छः महीने की अवधि के दौरान भागलपुर में $2\frac{1}{2}$ लाख बुनकरों जिनके 25,000 करघें हैं, की 8,560 बेलों का नियतन किया गया, जिसमें से अब तक केवल 1,600 गाठें दी गयी हैं। निर्यात की आवश्यकता तथा उत्पादन को भी ध्यान में रखते हुए 8,560 गाठों में से $2\frac{1}{2}$ लाख श्रमिकों की 25,000 करवों के लिये केवल 1,500 गांठों के देने के क्या कारण हैं? सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है? क्या इसका कारण सरकार की कार्यक्षमता है अथवा कार्य अक्षमता है?

श्री ए० सी० जार्ज : आपको याद होगा कि गत अधिवेशन से पहले वाले अधिवेशन के दौरान इस समस्या पर इस सदन में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। हमारी नीति विभिन्न काउंट वाले इन गांठों को विभिन्न राज्यों को, राज्य कपड़ा निगमों, सिविल सप्लायी विभागों अथवा सहकारी संस्थाओं, आबंटित करने की थी। हमने राज्य सरकारों को ऐसा करने के लिये सहमत होने के बारे में पूरा प्रयास किया। कुछ बातों के लिये हम अनुभव करते

हैं कि यह उचित रहेगा कि सम्बन्धित राज्य सरकार के सिविल सप्लायी विभाग अथवा सहकारी संस्थाएं इस जिम्मेवारी को सम्भालने के लिये सामने आयें।

श्री भागवत झा आजाद : बी० आई० एस० सी० ओ० एम० ए० एन० नामक एक रजिस्टर्ड एजन्सी ने मूल्य भी चुकता कर दिया है और फिर भी उन्हें बंडल नहीं मिले है जबकि कारखाने के मालिकों को बंडल दिये जा चुके हैं।

[बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

***373. श्री मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने 30 जनवरी, 1974 को बम्बई में फैलोशिप सोसायटी, ट्रस्ट और फैलोशिप स्कूल के भवनों और स्कूलों के सुपरिटेंडेन्ट और फलोशिप सोसायटी के सेक्रेटरी और फेलोशिप सोसायटी ट्रस्ट के कोन्स्टिटिट्युटिड अटार्नी के निवास स्थानों पर भी छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त छापों में कई लाख रुपया, जिसका कोई लेखा न था, तथा कई लाख रुपये की कीमत का सोना और जेवरात पकड़े गये थे; और

(ग) यदि हां, तो संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आय-कर विभाग ने जो व्यक्ति फेलोशिप स्कूल के अधीक्षक, और फेलोशिप ट्रस्ट के सचिव भी हैं, उनके आवासीय और कार्यालय परिसरों और उनके पुत्र के आवासीय परिसरों की 30 जनवरी, 1974 को तलाशी ली थी।

(ख) उपर्युक्त तलाशी में निम्नलिखित चीजें पकड़ी गई थी :—

		रुपये
(i)	नकदी	85,950
(ii)	निश्चित अवधि जमा रसीदें	3,89,780
(iii)	जवाहरात	55,730

ऊपर की वस्तुओं के अतिरिक्त, कुछ लेखा-पुस्तकें भी पकड़ी गई थी।

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया गया है जिसमें अघोषित आय का सारांश रूप में अनुमान दिया गया है तथा अघोषित आय पर कर की रकम 1,24,844 रुपये निर्धारित की गयी है। इस सीमा तक पकड़ी गई परिसम्पत्तियां रोक रखी गई है तथा बाकी की छोड़ दी गई है।

कर-निर्धारणों के कार्य को पूरा करने के लिये आगे जांच की जा रही है। दण्ड और अभियोग के दृष्टिकोण से विधि सम्मत अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Shri Madhu Limaye: It is going on for the last few days the Hon. Minister in a meeting of Manipur Committee admitted that quota is not being given to Bihar.

श्री० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि बम्बइ स्थित फेलोशिप सोसाइटो, जिनके भवनों पर आयकर विभाग ने छापे मारे थे जैसे कि उत्तर में माना गया है, ने महाराष्ट्र सरकार से बहुत मात्रा में अनुदान प्राप्त किया था और क्या 31 मार्च, 1974 को समाप्त वर्ष के लिये क्या उन्होंने 1,83,215 रुपये की राशि प्राप्त की थी और क्या महाराष्ट्र सरकार के नशाबंदी मंत्री श्री मोहनलाल पोपट ने आयकर विभाग द्वारा आयोजित छापों के परिणाम स्वरूप त्यागपत्र दिया था ?

श्री के० आर० गणेश : इस सोसाइटो ने महाराष्ट्र सरकार से क्या कोई अनुदान प्राप्त किया था यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नही है। इस समय मुझे यह जानकारी भी नहीं है कि क्या मंत्री ने त्यागपत्र दिया है।

श्री मधु दंडवते : क्या आपने बाद में भी पता किया था ?

श्री के० आर० गणेश : यह एक शैक्षणिक ट्रस्ट है। इसके संस्थापक श्री धर्मसेवे खटाउ श्री एम० आर० जयकर तथा श्री जमनादास द्वारकादास थे। शिकायत ट्रस्ट के विरुद्ध नहीं थीं, यह ट्रस्ट के सुपरिटेन्डेंट के विरुद्ध थीं क्योंकि उसकी आय साधनों के अनुपात में नहीं और वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस शिकायत में यह भी था कि विद्यार्थियों के दाखले तथा अगली कक्षा के लिये उन्नत करने के मामले में कुछ कदाचार हुये हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा उसके पुत्र के निवास स्थान तथा ट्रस्ट के सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय पर छापे मारे गये। पकडी गयी सम्पत्ति का ब्यौरा मैं दे चुका हू और उसके द्वारा देय कर का संक्षिप्त निर्धारण भी किया जा चुका है। शेष सम्पत्ति छोड़ दी गयी है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप से की गयी जांच में ढील-डाली गयी? क्या यह भी सच है कि उत्तर में उल्लेखित बिना लेखे की राशि के पकडे आने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्टस के प्रस्तुत लेखों के साथ राशियों की जांच किये बिना ही लाखों रुपये ट्रस्ट को वापिस किये गये ?

श्री के० आर० गणेश : मुझे मालुम नही है कि माननीय सदस्य को यह सूचना कहा से मिली कि वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद सारे मामले में ढील डाली गयी। ऐसा कहना सच नहीं है, जब्त की गयी सम्पत्ति के बारे में कह ही चुका हुं। दिये गये उत्तर में इस बात का उल्लेख है कि लाखों रुपये की सम्पत्ती जिसका इन्होंने जिक्र किया, वहां नहीं थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निश्चित अवधि के लिये 3,54,000 रुपये की जमा राशि जो पकड़ी गयी, बाद मे छोड़नी पड़ी क्योंकि जमा राशि ट्रस्ट की थी, किसी व्यक्ति की नही।

प्रश्न यह है कि छापा इस व्यक्ति के बारे प्राप्त गुप्त सूचना के प्राप्त होने पर मारा गया; ट्रस्ट के बारे कोइ शिकायत नहीं थी। मैं कह चुका हूं कि छापा जनवरी के महीने में मारा गया। कानून के अनुसार 90 दिनों के अन्दर संक्षिप्त निर्धारण करना पड़ता है इस मामले में ऐसा किया जा चुका है और 1,24,000 रुपये का कर निश्चित किया जा चुका है और उस लागत की सम्पत्ति रखी गयी है और शेष छोड़ दी गयी है।

श्री० मधु दंडवते : मेरा एक विशिष्ट प्रश्न यह था कि प्रमाणित लेखों की जांच रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट को प्रस्तुत लेखों के साथ किये बिना क्या वही राशि वापिस की गयी यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण था ?

श्री के० आर० गणेश : मै अपने उत्तर में कह चुका हूं कि कर निर्धारणों को पूरा करने के लिये आग जांच की जायेगी और कर निर्धारण पूरा होने पर छिपाई गयी बातों

का पता लगाया जायेगा। इसके बाद अभियोग के दृष्टिकोण से मामला चलेगा । वास्तविकता यह है कि संक्षिप्त कर निर्धारण के बाद आयकर कानून की सारी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।

माननीय सदस्य ने एक महत्वपर्ण प्रश्न उठाया है और कुछ संदेहों को दूर करने के लिये उत्तर जरुरी है। यदि निर्धारित के घर पर छापा मारा जाये और सम्पत्ति पकड़ी जाये—चाहे नकदी हो, निश्चित अवधि की जमा राशि हो, प्रतिपूर्तियां हो, जेवरात हों तथा किसी अन्य रूप में हो तो जब तक कर निर्धारण को पुनः करके तथा छिपी वस्तुओं का पता लगा कर यह सब सिद्ध न हो जाये उस समय तक यह कहना सम्भव नहीं कि पकड़ी गयी सम्पत्ति ही छिपायी हुई सम्पति है । इसी कारण संक्षिप्त कर निर्धारण किया जाता है । प्राप्त सूचना के फलस्वरूप संक्षिप्त कर निर्धारण किये जाने पर निर्धारिती का बयान लेने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि इतना कर देय था । अगामी कार्यवाही चलती रहेगी । उसका आयकर निर्धारण पुनः करना होगा और यह देखना होगा कि क्या आय छिपायी तो नहीं गयी जो कुछ भी जरूरी हो किया जायेगा ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : इस मामले में बिना लेखे की राशि की खोज निकालने संबंधी वित्त मंत्रालय के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। श्री दंडवते ने बंबई के बारे में प्रश्न पूछा है जो काले धन का एक शहर बन गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने मंत्रालय और किसी अन्य विभाग के द्वारा उन लोगों के साधनों का मूल्यांकन करने का निश्चय कर लिया है जिन्होंने बबंई की बेकबे रेक्लेमेशन स्कीम के अंतर्गत गृह निर्माण के लिये बनाम अथवा अपने नाम पर भूमि का क्रय किया है? दूसरी बात यह है कि वहां फिल्म उद्योग है तथा फिल्म निर्माता विशेषकर फिल्म उद्योग के पिछले कुछ वर्षों से वितरकों अथवा निर्माताओं के नाम पर पैसा बनाते आ रहे हैं। क्या मंत्रालय इसकी विशेष जांच करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने कुछ लाभदायक सुझाव दिये हैं। सभा को इस बात की जानकारी है कि अभी कुछ समय से बम्बइ में अनेक छापे मारे गये और हुंडी घोटाले, हवाला घोटाले जैसे अनेक घोटालों का पता लगाया गया और इन घोटालों को कुछ सीमा तक तोड़ा गया है। माननीय सदस्य ने फिल्म उद्योग की सम्पत्ति के सौदों तथा घटनाओं का जिक्र किया है। ये अच्छे सुझाव हैं औच इनकी जांच की जायेगी ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ कथित कदाचारों की जांच की जा रही है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के अतिरिक्त क्या उनके विरुद्ध अन्य फोजदारी अभियोगों के बारे भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री के० आर० गणेश : मैं पहले कह चुका हूं कि दंड और अभियोग के दृष्टिकोण से आगे की जांच की जायेगी। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने से पहले छिपरी सम्पत्ति तथा छल को सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद ही भारतीय दंड संहिता अथवा आयकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

Tourist Target

***374. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether at the 21st Annual Convention of the Travel Agents held in Srinagar on the 23rd April, 1972, Government had fixed a target of 8 lakh tourists by the end of 1978; and

(b) if so, the action being taken to achieve it?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) सरकार ने 1978 के अंत तक 8 लाख पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

विवरण

अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किये गए विभिन्न अन्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को पर्यटन विभाग के अनुरोध पर हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए खुला घोषित कर दिया गया है ।

2. पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने के लिए, सरकार ने होटलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे विदेशी पर्यटकों से बिलों के भुगतान विदेशी मुद्रा में ही लें ।

3. विदेशों की संभावित पर्यटन मार्केटों में एक प्रबल बिक्री परक अभियान चलाया गया है । एयर-इंडिया के सहयोग से चलाए गए "आपरेशन यूरोप" तथा "आपरेशन यू० एस० ए०" कार्यक्रम के अंतर्गत कांटिनेंटल यूरोप तथा अमरीका से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

4. तेल के धनी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पश्चिम एशिया में भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय खोला जा रहा है ।

5. भारत तथा विदेशों में अधिक उन्नत प्रकार के साहित्य से तीव्र प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ।

6. चार्टर उड़ानों संबंधी नीति को उदार बना दिया गया है ।

7. कई देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीज़ा शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

8. पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया, नार्डिक देशों तथा बल्गारिया के साथ 90 दिन तक के वास के लिए वीज़ा समाप्ति के संबंध में द्विपक्षीय करार किए गए हैं ।

9. 21 दिवसीय अवतरण परमिट की वैधता की अवधि को, जोकि बिना वीज़ा के प्रवेश की अनुमति देता है, बढ़ा कर 28 दिन कर दिया गया है जिसमें पड़ौसी देशों से अनेक प्रविष्टियों की अनुमति भी प्रदान की गयी है ।

10. विमानक्षेत्रों पर सरली-करण प्रणालियों में सुधार कर दिया गया है ।

11. भारतीय मिशनों तथा भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर विदेशी पर्यटकों को नि:शुल्क शराब परमिट जारी किए जाते हैं ।

12. भिखारियों तथा दलालों के उत्पात को समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

13. समस्त पर्यटक शिकायतों से निपटने तथा उपचारी उपाय करने के लिए विभाग में एक शिकायत सेल की स्थापना की गयी है ।

14. समुद्र पार अभिवृद्धिपरक यात्राओं को व्यापक रूप से हाथ में लेने तथा विदेशों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के योग्य बनाने के लिए यात्रा व्यवसाय को विदेशी मुद्रा के विमोचन के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है ।

15. प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में विभाग प्रति वर्ष विदेशों से लगभग 300 यात्रा अभिकर्ताओं तथा 100 यात्रा लेखकों/पत्रकारों/दूरदर्शन/फिल्म उत्पादकों को भारत परिचायक यात्राओं के लिए निमंत्रित करता है ।

16. गुलमर्ग, कोवालम तथा गोवा में इन स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिए अवकाशकालीन विहारस्थलों का निर्माण किया जा रहा है ।

17. हमारे चारों अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर बृहत् सुधार किए जा रहे हैं ।

18. विदेशों से वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए वन्य जीव पर्यटन का विकास किया जा रहा है ।

19. पर्यटक सुविधाओं के संवर्धन तथा सुधार के लिए पर्यटन व्यवसाय में स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों तथा अन्य निजी पार्टियों को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

20. जहां कहीं सम्भव होता है महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर मौजूदा पर्यटक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है ।

21. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थानों का विकास किया जा रहा है ।

22. पर्यटक सेवाओं के चलाने के लिए प्रशिक्षित तथा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग का निर्माण करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

23. आई० ए० टी०ए० के ढाचे के अंतर्गत एयर-इंडिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों, जैसे न्यूयार्क बम्बई/दिल्ली, पैरिस-दिल्ली/बम्बई/कलकत्ता आदि, पर स्थान से स्थान तक के विशिष्ट किराए भी लागू किए गए हैं । भारत के लिए यात्रा के प्रारंभिक खर्च को कम करने तथा पर्यटकों के अन्य गंतव्य देशों से कड़ी प्रति स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए यथासंभव अधिकतम सेक्टरों पर आकर्षक अभिवृद्धिपरक किराए लागू करने के लिए एयर इंडिया के माध्यम से निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

24. विदेशी मुद्रा में देय विशेष अभिवृद्धिपरक किराये 1 सितम्बर, 1974 से लागू होंगे । ये किराये इंडियन एयरलाइंस के देशीय क्षेत्रों पर बिना किसी प्रतिबंध के 14 दिवसीय तथा 21 दिवसीय यात्राओं के लिए क्रमशः 200 अमरीकी डालर तथा 275 अमरीकी डालर हैं ।

Shri M. C. Daga : Foreign tourists generally visit India with the objective of knowing something about Indian culture which is visible in the villages. What steps have been taken to develop this culture ?

Dr. Sarojini Mahishi : Foreign tourists visit India with a view to see the monuments. historical places, scenetic hills, sea shores and wild animals. So many things have been done in this direction. Residential accommodation has been provided at Giri Forest, Kanapali in Madhya Pradesh, Kajiranga in Assam, National Corbet Park in Uttar Pradesh or Kandipur Madhumalai in South India. Similarly sufficient facilities have been provided at all the tourist stations. All the hon. members are aware of the facilities available in their own states.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में दिये गये ऋण

***369. श्री सरजू पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बेरोजगार इंजीनियरों, लघु उद्योगपतियों, छोटे किसानों और रिक्शा चालकों को कितना ऋण दिया ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इन राज्यों में बड़े उद्योगपतियों को कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में छोटे लेनदारों को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में जो आंकड़े रखे गये हैं वे मोटे तौर पर "कृषि", "लघु उद्योग", "व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति", "सड़क और जल परिवहन चालक", "छोटा कारोबार और खुदरा व्यापार" आदि जैसी श्रेणियों के अनुसार रखे गये हैं। बेरोजगार इंजीनियरों को दिये गये ऋण अधिकतर "व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति" और "लघु उद्योग" नामक श्रेणियों के अन्तर्गत दिखाए जाते हैं। रिक्शा चालकों को दिये गये ऋण भी प्रायः "व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति" नामक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। छोटे किसानों को दिये गये ऋण "कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण" नामक श्रेणी में दिये जायेंगे। इस श्रेणी के अन्तर्गत 3 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जोतवार आंकड़े भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की श्रेणियों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकमों का ब्यौरा अनुबन्ध i और ii में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8202/74]**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को छोड़कर, अन्य उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया रकमों के जून, 1973 के अन्त तक के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)
उत्तर प्रदेश	197.20
बिहार	115.80
पश्चिम बंगाल	401.68

डाक्टरों, वकीलों और इंजीनियरों द्वारा आयकर की अदायगी

***370. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने डाक्टर, वकील और ठेकेदार हैं जो आयकर अदा करते हैं ;

(ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में इन वर्गों से कितना आयकर वसूल किया गया ;

(ग) क्या सरकार के पास समाज के इन वर्गों पर आयकर लागू करने और इनकी आय का निर्धारण करने के लिए कोई व्यवस्था है ; और

(घ) अब तक इन लोगों से पिछली अवधि के आय कर की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर विभाग के विभिन्न आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों के रजिस्टरों में जिन डाक्टरों, वकीलों और ठेकेदारों के नाम दर्ज हैं, उनकी संख्या का, एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8203/74]**

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) सभी स्व-नियोजित व्यक्तियों जैसे डाक्टरों, वकीलों, ठेकेदारों आदि के नामों और पतों के बारे में आवश्यक सूचना इकट्ठी करने और उनमें से जिन लोगों की आयकर लगने योग्य आमदनी है तथा जो आयकर विभाग के रजिस्टरों में पहले से दर्ज नहीं हैं उनको कर के दायरे में लाने के लिये, आयकर आयुक्तों को विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। इस प्रयोजन के लिये सर्वेक्षण-कार्य बढ़ाया जा रहा है।

सर्वेक्षण का कार्य पहले भी किया जा चुका है। वर्ष 1972-73 और 1973-74 में किये गये सर्वेक्षण के परिणाम में जिन मामलों का पता चला उनकी संख्या, विवरण-पत्र के अनुबन्ध में दी गई है।

(घ) जिन व्यक्तियों की आयकर लगने योग्य आमदनी है उन सबसे चालू वर्ष की आय की विवरणियां मांगने के लिये, उनको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के लिये, सभी आयकर आयुक्तों को हाल ही में हिदायतें दी गई हैं। आयुक्तों से यह भी कहा गया है कि वे मौजूदा कर-निर्धारण को समाप्त करने के बाद, जहां भी आवश्यक हो, पूर्ववर्ती वर्षों में कर लगने योग्य आय के कर-निर्धारण की कार्यवाही करें।

अनुबन्ध

	वित्तीय वर्ष 1972-73 (10 महीनों के लिये)	वित्तीय वर्ष 1973-74
आयकर आयुक्त द्वारा सूचित किये गए नये मामले :		
(i) **व्यवसाय में लगे व्यक्ति :**		
आयकर	6,300	3,953
धनकर	189	116
(ii) **ठेकेदार :**		
आयकर	1,658	788
धनकर	21	91
(iii) **वेतन भोगी कर्मचारी :**		
आयकर	23,612	12,510
धनकर	93	75
(iv) **अन्य :**		
आयकर	57,854	46,875
धनकर	3,973	8,937
(v) **जोड़ :**		
आयकर	89,424	64,126
धनकर	4,276	9,219

कोचीन में असैनिक हवाई अड्डा

*375. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन में एक असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित हवाई अड्डे की मुख्य बातें क्या हैं और इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार से आवश्यक भूमि निःशुल्क प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) नागर विमानन विभाग द्वारा इंडियन एयरलाइंस के परामर्श से कोचीन के निकट एक सिविल विमानक्षेत्र के संभावित निर्माण के लिए विभिन्न स्थलों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रायोजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित किया गया है।

बम्बई में कपड़ा मिल मालिकों और उद्योगपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

*376. श्री रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में धागे की खरीद के लिए कपड़ा मिल मालिकों और उद्योगपतियों को सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से 3 करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या धागे की उपलब्धता और उसके मूल्यों पर इससे कोई प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक वस्त्र उद्योग को कार्यचालन पूंजी के लिए दिये गये ऋणों के आंकड़े इस प्रकार नहीं रखते जिनसे किसी लेनदार द्वारा केवल धागे की खरीद पर खर्च की गयी रकम का पता चल सके। जून, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल मिला कर सभी उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया रकमें और उनमें वस्त्र उद्योग का हिस्सा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

	बम्बई	अखिल भारतीय
क. सभी उद्योग	424.40	2029.05
ख. वस्त्रोद्योग	113.06	436.02
ग. क की तुलना में ख का प्रतिशत	26.6	21.5

(ग) बैंकों द्वारा वस्त्रोद्योग को सामान्य रूप से कार्यचालन पूंजी के लिए दिये गये ऋणों से यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इनका कीमतों तथा बाजार में धागे की उपलब्धता पर कितना प्रभाव पड़ा है।

निर्यात बढ़ाने के लिए नई कपड़ा नीति

***377. श्री अनादिचरण दास :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए नई कपड़ा नीति पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या निर्यात प्रधान सूती कपड़ा मिलों को देश में बिक्री के लिये नियंत्रित मूल्य के कपड़े की सप्लाई के मामले में कुछ राहत दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में प्रस्थापनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ।

'कमकौन' देशों से सहायता

***378. श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी देशों के इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक से विकास के प्रयोजनों के लिये भारत को काफी ऋण देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण देने की पेशकश की गई है तथा उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) हाल में इण्टरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मास्को में प्रारम्भिक बातचीत हुई थी जिसमें बैंक द्वारा भारत की विकास परियोजनाओं के लिए धन देने की संभावनाओं पर विचार किया गया था । बैंक के साथ और आगे बातचीत की उम्मीद है ।

(ख) यह सवाल ही नहीं होता ।

जुनागढ़ (गुजरात) में गिरवन रक्षित स्थल का विकास

***379. श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में जुनागढ़ में गिरवन रक्षित स्थल के विस्तार के लिये कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है ;

(ख) वर्ष 1974-75 में उक्त रक्षित स्थल के विकास के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) वहां पर्यटकों को क्या सुविधायें दी गई हैं अथवा देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) हाल ही में 147.11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गिर वन्य जीव शरणस्थान में जोड़ कर कुल क्षेत्र को 1412.12 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है ।

(ख) गिर वन्य जीव शरणस्थान के विकास के लिये राज्य तथा केन्द्रीय बजटों में 1974-75 के लिये 11.04 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

3—27 L. S. S. (ND)/74

(ग) गिर वन्य जीव शरणस्थान में पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में परिवहन, आवास, आहार/अल्पाहार, शेरों का प्रदर्शन एवं भ्रमण (एक्सकर्शन) शामिल हैं।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंक ब्याज दरें बढाया जाना

***380. श्री एन० ई० होरो :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा हाल ही में बैंक ब्याज दरें बढ़ाई गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न तारीखों को पकने वाली जमा रकमों पर और विभिन्न वर्गों के अग्रिमों के ब्याज की दरों में 23 जुलाई, 1974 से जो संशोधन किया गया है उसका ब्यौरा अनुबन्ध I और II में दिया गया है। [**ग्रंथालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8204/74**]

जूतों के निर्यात में कमी

***381. श्री गजाधर माझी :**

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान जूतों के निर्यात में कोई कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। ऐसा अनुमान है कि 1973-74 के दौरान चमड़े के जूतों के निर्यातों का मूल्य 1972-73 के दौरान किये गये निर्यातों के मूल्य से अधिक है :

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष के दौरान चमड़े के जूतों के निर्यात संवर्धन के लिए निम्नोक्त कदम उठाये गये हैं।

(1) अर्ध साधित चमड़े का निर्यात कोटा प्रणाली के जरिए विनियमित किया गया है ताकि चमड़े के जूतों के विनिर्माताओं को चमड़े की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हो।

(2) राज्य व्यापार निगम, जिसके माध्यम से जूतों का निर्यात मार्गीकृत है, चमड़ा उद्योग की, जिसमें निर्यात प्रयोजन के लिए जूते भी शामिल हैं, सहायता करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है।

(3) अन्य बातों के साथ साथ चमड़े के जूते के विनिर्माण के लिए आवश्यक ऐसी मशीनरी की एक स्थायी सूची तैयार की गई है जिसके आयात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों तथा पूंजीगत माल के लाइसेंसों के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

(4) चमड़े के जूतों के आयात पर हवाई भाड़ा उपदान योजना की अवधि 30 सितम्बर, 1974 तक बढ़ा दी गई है।

कुछ मिलों द्वारा निर्यात दायित्वों को पूरा न किया जाना

***382. श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिनूर मिल्स और नवजीवन मिल्स द्वारा जनवरी-जून, 1973 और जुलाई-दिसम्बर, 1973 की अवधि में निर्यात के दायित्वों को पूरा न किये जाने के लिये उन पर जुर्माना किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोषी मिलों के विरुद्ध कपड़ा आयुक्त ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) 1973 में इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा लिए गये स्वैच्छिक निर्यात दायित्व के अनुसार सभी मिश्रित सूती वस्त्र मिलों को पंचांग वर्ष के दौरान कपड़े के अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत निर्यात करना था। तथापि, मिलों को अपना दायित्व पारस्परिक मान्य शर्तों पर अन्य मिश्रित मिलों को हस्तांतरित करने की छूट दी गई थी। 1973 में 52.28 लाख वर्ग मीटर कपड़े के निर्यात के दायित्व के बदले में कोहिनूर मिल्स ने 22.59 लाख वर्ग-मीटर कपड़े का स्वयं निर्यात किया तथा शेष दायित्व को कुछ अन्य मिलों को हस्तांतरित कर दिया जिनमें न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, महाराणा मिल्स, स्वैन मिल्स, आदि शामिल हैं। इसी प्रकार 1973 के दौरान नं० नवजीवन मिल्स का निर्यात दायित्व 9.98 लाख वर्ग मीटर का था। मिल ने अपने नाम से कोई कपड़ा निर्यात नहीं किया लेकिन अपना दायित्व में हिंदुस्तान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० को हस्तांतरित कर दिया। चूंकि दोनों मिलों के दायित्वों का पूरा न होने वाला हिस्सा विधिवत स्वीकार किया गया था तथा हस्तांतरीत मिलों द्वारा पूरा किया गया था इसलिए माननीय सदस्य के प्रश्न में उल्लिखित दोनों मिलों की ओर से समग्र रूप से कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। ऐसी हालातों में इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा सम्बद्ध मिलों के विरुद्ध कोई जुर्माना लगाये जाने अथवा कोई अन्य कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Export of Ready made Garments

***383. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which "Ready to Wear Garments" were exported during the last three years, year-wise and the value of those garments exported to each country ;

(b) whether these garments are prepared by the cottage and small scale industries;

(c) the steps taken to provide them special incentives ; and

(d) the State-wise number of the persons or institutions in the country who have been issued licences for the export of ready to wear garments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) A good part of our garments exports emanate from small scale units.

(c) In addition to import replenishment for dyes and embellishments as per the provisions of the I. T. C. Policy (Vol. II), cash assistance is provided by the Indian Cotton Mills' Federation against garments exports. Garments exporters can participate in Garments Fairs arranged by the Cotton Textiles Export Promotion Council at concessional rates. Exporters of garments whose exports exceeds Rs. 5 lakhs are entitled to become recognised Export Houses with the advantages which go with it. Import of garment machinery is allowed on the basis of 60% Export-obligation.

(d) There is no system of registration of exporters of garments.

STATEMENT

The major markets to which ready made garments have been exported during the last three years and value thereof are :

Name of the Country	Value in Lakh Rupees		
	1973-74*	1972-73	1971-72
France .	311·2	152·2	56·6
Italy .	210·4	58·8	24·0
Netherlands . .	184·2	81·2	15·6
Germany Fed. Rep. .	305·4	260·3	100·8
Denmark.	385·6	132·2	50·7
Norway .	116·4	49·3	11·6
Sweden .	435·5	581·4	196·2
U.K. .	503·4	210·3	114·1
U.S.S.R. .	608·6	626·2	454·2
U.S.A. .	974·8	442·2	189·1
Australia .	425·6	121·6	33·3
Canada	109·6	43·8	22·0

कपड़ा मिलो को अपने नियंत्रण में लेना

***384. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय किया है जो पहले सरकार के नियंत्रण में थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए शीघ्र ही उपयुक्त विधान अधिनियमित करने का विचार है।

कराधान प्रणाली में संशोधन

***2542. श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि के लिये कर सम्बन्धी कानूनों में आवश्यक संशोधन करने हेतु किसी नीति की रूपरेखा तैयार की जा रही है ;

(ख) क्या इन कर संशोधनों का उद्देश्य निगमित लाभों के और अधिक भाग को उत्पादन कार्यों में लगाने का प्रोत्साहन देना होगा ; और

*Estimated.

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कानूनों में किन मुख्य आधारों पर संशोधन किये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार को राजस्व विषयक नीति पर बराबर नजर रखी जाती है। पांचवीं पंच-वर्षीय आयोजना के संदर्भ में कराधान से सम्बन्धित नीति के ढांचे के बारे में पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में बता दिया गया है। आर्थिक कार्य विभाग में एक राजस्व नीति कक्ष भी खोला गया है जो कराधान के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से अध्ययन करेगा ताकि कर-प्रणाली को समूची सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील, सांधिक, लचीली और संतुलित बनाया जा सके।

पंजाब के राज्य सहकारी बैंकों में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पूंजी निवेश

2543. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने पंजाब के राज्य सहकारी बैंकों में कोई धनराशि निवेश की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि निवेश की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कृषि पुनर्वित्त निगम ने पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को 30 जून, 1974 तक 6.29 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं और कृषि पुनर्वित्त निगम ने पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक के ऋण पत्रों में 23.86 करोड़ रुपये की रकम लगायी है।

समझौतों के अनुसार अखबारी कागज का आयात

2544. श्री एम० कतामुतु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात समझौतों के अनुसार अन्य देशों से अखबारी कागज मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पोत-लदान तथा परिवहन की समस्याओं के कारण स्कैंडिनेविया, चैकोस्लोवाकिया तथा बंगला देश से निर्धारित समयानुसार सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई हुई है।

Experiments for Artificial Rains in the Rihand Dam Area

2545. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Uttar Pradesh Government propose to carry out experiments for artificial rains in the Rihand Dam area during 1974;

(b) if so, the area in square miles likely to be covered and the estimated amount of expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Yes, Sir. At the request of the Uttar Pradesh State Electricity Board, artificial rain-making experiments are being carried out in the Rihand Dam area since July 21, 1974 by the Indian Institute of Tropical Meteorology in collaboration with the India Meteorological Department.

(b) An area of about 13,000 square kilometers is likely to be covered and the expenditure will be Rs. 9 lakhs approximately.

सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन कालें

2546. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कार्यालयों में टेलीफोन को कालों पर खर्च वर्ष 1973 के पहले छः महीनों की तुलना में वर्ष 1974 के पहले छः महिनों में काफी बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) तथा (ख): अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

रोजगार कर लगाया जाना

2547. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार कर लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या हैं और इस समय यह मामला किस चरण पर है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) रोजगार कर अथवा रोजगार अधिभार लगाने का सुझाव उन विभिन्न सुझावों में से एक है जो देश के आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए प्राप्त हुए हैं और ऐसे सभी सुझावों पर सालाना बजट बनाते समय विचार किया जाता है ।

Rise in Tariff on Sugar

2548. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Banamali Patnaik :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have raised the tariff on sugar by Rs. 10 from January, 1974 ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Tariff value of free sale sugar which is reviewed monthly was increased from Rs. 260 per quintal to Rs. 270 per quintal for the month of January, 1974. This was done in view of increase in the average ex-factory price realisations.

बजट घाटे में कमी करना

2549. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया है कि वर्ष 1974-75 के संशोधित प्राक्कलन की तुलना में वर्ष 1973-74 का बजट घाटा आधा रह जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार के किसी दावे की जानकारी नहीं है । 1974-75 के संशोधित अनुमानों को, फरवरी, 1975 में 1975-76 का बजट पेश करते समय ही अन्तिम रूप दिया जायगा ।

बिड़ला ग्रुप उद्योगों के द्वारा करों का अपवंचन

2550. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से बिड़ला ग्रुप के उद्योगों को आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के अपवंचन के कितने मामलों में कितनी बार अन्तर्ग्रस्त पाया गया ; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) बिरला उद्योग समूह द्वारा आयकर का अपवंचन, जांच के दौरान सरकार की जानकारी में आया था और श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ ज्ञापनों में भी इस का जिक्र था। बड़े उद्योग गृहों में से कुछ उद्योग गृहों के कर सम्बन्धी मामलों की, और बिरला समूह भी इनमें शामिल है, व्यापक तथा लगातार जांच करने के लिए अगस्त, 1972 में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया था। इस जांच के परिणाम में अब तक बिरला उद्योग समूह के आयकर के 39 मामले, धनकर के 213 मामले तथा दानकर के 3 मामले, कर के पुनः निर्धारण के, लिए खोले गये हैं। इन मामलों में जांच की कार्यवाही जारी है। इसके अलावा वर्ष 1970-71 में 5, 1971-72 में 11 तथा 1972-73 में 17 मामलों में दण्ड की कार्यवाही शुरू की गई थी, तथा उक्त अवधि में कुल मिलाकर 2,24,133 रु० के दण्ड लगाये गये हैं।

बिरला उद्योग समूह द्वारा सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन सम्बन्धी सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इसे यथा सम्भव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

Loss suffered by Central Industries in Maharashtra due to Strike

2551. Shri Hukam Chand Kachwai : Will be Minister of Financ be pleased to state the estimated amount of loss suffered by the Central Undertakings in Maharashtra as a result of country-wide railway strike in May, 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The Railway strike of May 1974 affected the economy by dislocating the movement of goods and passengers. It would be difficult to precisely estimate the direct loss suffered by a manufacturing unit due to such general dislocation of traffic.

Of the Central Goverment manufacturing units located in Maharashtra, the Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India Limited reported some dislocation in despatches due to the Railway strike.

Loss Suffered by Central Industries in M. P. Due to Strike

2552. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the estimated amount of loss suffered by the Central Undertakings in Madhya Pradesh as a result of country-wide Railway strike in May, 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): The Railway strike of May 1974 affected the economy by dislocating the movement of goods and passengers. It would be difficult to precisely estimate the direct loss suffered by a manufacturing unit due to such general dislocation of traffic. Of the Central Government manufacturing/mining units located in Madhya Pradesh, the Bailadila Iron Ore Project of the National Mineral Development Corporation and Bhilai Steel Plant have reported some difficulties experienced due to the railway strike resulting in lower production/despatches.

Loss Suffered by Central Industries in West Bengal due to Rail Strike

2553. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the estimated loss suffered by Central Industries in West Bengal due to country-wise Railway Strike of May, 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The Railway strike of May 1974 affected the economy by dislocating the movement of goods and passengers. It would be difficult to precisely estimate the direct loss suffered by a manufacturing unit due to such general dislocation of traffic.

Of the Central Government manufacturing units located in West Bengal, the Durgapur Steel Plant and the Alloy Steel Plant reported lower production/despatches due to the Railway strike.

लद्दाख में शाल-ऊन उद्योग का विकास,

2554. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में शाल-ऊन उद्योग के विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत सरकार समय समय पर ऊनी उद्योग के वेस्टेड हथकरघा क्षत्र के लिये उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा को अधिकतम सोमा का 50 प्रतिशत उद्योग निदेशक जम्मू तथा कश्मोर को आबंटित करती है। इसके अतिरिक्त राज्य उद्योग निदेशक को जम्मू तथा कश्मीर राज्य के शाल उद्योग के लिये रफल यार्न वूल टार्नस के आयात हेतु जनवरी 1974 में 10 लाख रु० को अधिकतम अतिरिक्त विदेशी मुद्रा रिलीज की गई है। राज्य के विभिन्न भागों में स्थित पृथक पृथक एककों में वास्तविक आबंटन राज्य उद्योग निदेशक द्वारा किया जाता है और वे लद्दाख के शाल ऊन उद्योगों की सहायता और विकास के लिये आवश्यक उपाय कर रहे होंगे।

रेलवे हड़ताल के दौरान इण्डियन एयरलाइंस की अतिरिक्त उड़ानें

2555. **श्री एस० ए० मुरुगन्नन्तम :** क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने रेलवे हड़ताल के दौरान अतिरिक्त उड़ानें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हाँ।

(ख) रेल हड़ताल के दौरान इण्डियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित की गयी अतिरिक्त उड़ानों के ब्यौरों को देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8205/74]**

रणजीत होटल, नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी विनियमों को सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही

2556. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किये गये अचानक निरीक्षण से इस बात का पता चला है कि रणजीत होटल, नई दिल्ली में रसोई घर को अस्वच्छ रखा जाता है, बर्तन खाना बनाने के लिए सुरक्षित नहीं होते और स्वास्थ्य संबंधी आम हालत सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या. होटल के संचालक भारत पर्यटन विकास निगम की निरीक्षण एकक ने इन टियों की और संकेत नहीं किया ; और

(ग) क्या एक महीने के अन्दर स्थिति में सुधार करने के लिये होटल के अधिकारियों से कहा गया है, जिसमें असफल रहने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और यदि हां, तो क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है और होटल के कार्यकरण में स्वास्थ्य संबंधी विनियमों की सख्ती से लागू करने की सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के बीच हुई एक मीटिंग के परिणाम स्वरूप एकदल ने, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय तथा दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों का निरीक्षण किया। दलने रणजीत होटल मे किचन का सफाई व्यवस्था, कच्चे माल की स्टोर व्यवस्था, रूफ-हैंडलरों की सफाई, पर्यावरण की सामान्य स्वच्छता आदि में सुधार करने के लिए सुझाव दिए। दल ने यह भी सुझाव दिया कि ये सुधार एक महीने के अंदर-अंदर किए जाने चाहिए। परंतु, लाइसेंस के रद्द करने के संबंध में रणजीत होटल को न कोई नोटिस दिया गया अथवा न उसको कोई नोटिस प्राप्त हुआ। दल द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित किया जा चुका है तथा सफाई-व्यवस्था के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।

1974 के लिए भारत-रुस व्यापार योजाना

2557. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 के लिये भारत-रूस व्यापार योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिये हाल में एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल मास्को भेजा गया था :

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में व्यापार करारों की पर्याप्त क्रियान्विति नहीं हो रही है तथा किन वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) दोनों देशों द्वारा करारों को पूर्णरूप से क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) यात्रा के दौरान 1974 व्यापार संलेख के क्रियान्वयन का एक समग्र पुनरीक्षण किया गया था। दोनों पक्षों ने देखा कि सोवियत संघ से भारत को और भारत से सोवियत संघ को अधिकांश माल की सप्लाई के लिये संविदाएं 1974 व्यापार संलेख के अनुरूप मात्राओं व मूल्यों के लिये की गई हैं।

भुगतान स्थिति का पुनरीक्षण करने पर, कुछ भारतीय निर्यात मदों अर्थात् दस्ती औजार, मोटर-गाड़ी संघटक, रंजक सामग्री, भषजीय पदार्थ, अरण्डी का तेल, खली आदि हेतु व्यापार प्रबन्धों में उपयुक्त वृद्धि की गई।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं को मूल्य अन्तर की प्रतिपूर्ति

2558. श्री डी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं को मूल्य अन्तर की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी सुविधा को वापस लेने के निर्णय से नीति का हनन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यातकर्ताओं को मिलने वाली लगभग एक करोड़ रुपये की राशि बचाई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्य अन्तर की प्रतिपूर्ति के प्रत्येक वायदे को फिर से आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) इस्पात को बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्दर्भ में, जिससे कीमत अन्तर पूर्णत: निष्प्रभावी हो जाता है, इस्पात की विभिन्न किस्मों की अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अन्तर की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी योजना 26-10-72 से समाप्त कर दी गई है। अत: नीति हनन या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा धन बचाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) उपरोक्त कारणों से इस योजना को पुन: शुरू किये जाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में कृषि क्षेत्र में लगाई गई पूंजी

2559. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बैंकों को कृषि क्षेत्र में पूंजी लगाने का निर्देश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस क्षेत्र में गुजरात और उड़ीसा में कितनी पूंजी लगाई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर बैंकों पर जोर देते रहे हैं कि वे ऐसी योजनाएं बनायें, जिनके अन्तर्गत कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के सभी लाभप्रद प्रस्तावों के लिए बैंक अधिक से अधिक धन की व्यवस्था कर सकें। यह नीति बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के अनुरूप है।

(ख) दिसम्बर, 1973 के अन्त में दोनों राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये गये ऋणों की बकाया रकमें इस प्रकार थी :

	(लाख रुपयों में) अनन्तिम
गुजरात	4166.66
उड़ीसा	157.38

चाय का मूल्य समीकरण पद्धति

2560. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चाय का उत्पादन करने वाले अन्य देशों के सहयोग से मूल्यसमीकरण (प्राइस पूलिंग) पद्धति बनाने का प्रयास कर रहा है ; और

(ख) क्या चाय पर शुल्क कम करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। निर्यात देशों में चाय पर शुल्क कम करने के प्रश्न पर खाद्य तथा कृषि संगठन में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

आयात नीति द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

2561. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने व्यापार तथा उद्योग से वर्ष 1974-75 की आयात नीति में प्रदान की गई नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिये कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति व्यापार और उद्योग की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1974-75 की आयात नीति में जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उनका सामान्यतः अच्छा स्वागत हुआ है ।

अखरोट के निर्यातकर्ताओं को नगद सहायता

2562 . श्री अनादि चरण दास : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखरोट के निर्यातकर्ताओं को अक्तूबर, 1972 से तीन वर्ष के लिये 5 प्रतिशत एफ० ओ० बी० वसूली की दर से तथा पिछले 12 महीनों से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक निर्यात करने पर 2-1/2 प्रतिशत अतिरिक्त नकद सहायता मंजूर की थी ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कोई हानि न होने पर भी तथा उद्योग द्वारा सितम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक वस्तुतः ऊंचे मूल्य लिये जाने के उपरान्त भी नकद सहायता मंजूर करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । बाजार स्थिति में सुधार के फलस्वरूप जब यह महसूस किया गया कि यह वस्तु बिना नकद सहायता के निर्यात बाजार में अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सकती है तो योजना 1-10-73 को वापस ले ली गई ।

(ख) जब नकद सहायता प्रदान करने का विनिश्चय किया गया, उस समय सरकार को वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सितम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि के लिये निर्यात से प्राप्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । उस समय उपलब्ध 1971-72 के लिये एफ० ओ० वी० प्राप्ति के आंकड़ों से पता चला कि व्यापार को निर्यातों पर 5 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित औसतन हानि हुई । जिन अन्य कारणों से सरकार नकद सहायता देने के लिये तैयार हुई वे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) 1971 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के तत्वावधान में किये गये बाजार स्थिति निर्धारण टूर ने अखरोटों के निर्यात बढ़ाने के लिये 10 प्रतिशत की नकद सहायता प्रदान करने की सिफारिश की ।

(2) चूंकि हम 5,000 मे० टन से अधिक के निर्यात स्तर को, जिस तक हम पहले पहुंच चुके थे, फिर एक बार प्राप्त करने की क्षमता है इसलिये यह महसूस किया गया कि नकद सहायता प्रदान करने से हमारे निर्यातों को आवश्यक प्रतियोगी सुविधा प्राप्त होगी ।

(3) आन्तरिक कीमतें ऊंची चल रही थीं तथा यह आशा की गई कि नकद सहायता प्रदान करने से निर्यातक अपना माल स्थानीय खपत के लिये भेजकर आन्तरिक ऊंची कीमतों पर बेचने की अपेक्षा और अधिक निर्यात करने के लिये प्रेरित होगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1973–74 में किया गया व्यापार

2563. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1973-74 के दौरान कितने मूल्य का नया व्यापार किया ;

(ख) वर्ष 1973-74 में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश का बही-मूल्य क्या था ; और

(ग) इससे दो वर्ष पूर्व के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया नया बीमा-कारोबार तथा इनमें से प्रत्येक वर्ष के अन्त में उसके द्वारा किये गये निवेशों का कुल खाता-मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	नया बीमा-कारोबार (बीमाकृत रकम)	निवेश
	(करोड़ रुपयों में)	
1971–72	1,639.89	1,927.59
1972–73	2,075.20	2,172.38
1973–74	*2,591.29	*2,450.71

वर्ष 1974–75 में पंजाब तथा हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

2564. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वष 1974-75 में पंजाब तथा हरियाणा में कहां कहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1974 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास पंजाब और हरियाणा में शाखाएं खोलने के लिए क्रमश: 64 और 37 लाइसेंस/अलाटमेंट थे । एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें उन स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां ये कार्यालय खोले जायेंगे । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8206/74**]

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बरामद किया गया काला धन

2565. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

श्री पी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली महानगरों में अलग-अलग कितना काला धन बरामद किया गया ;

(ख) इस सम्बन्ध में पृथक-पृथक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ; और

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं और इनकी लेखा परीक्षा होनी है ।

(ग) नगर-वार इन वर्षों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों को दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई, मद्रास और दिल्ली महा-नगरों में पकड़ी गई नकदी, जवाहरात तथा अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्य इस प्रकार है :—

नगर	1971–72	1972–73	1973–74
बम्बई .	65,01,638*	89,50,272	75,14,115
मद्रास .	12,17,314	88,34,153	39,08,919
दिल्ली	43,55,345	29,99,736	33,44,335

कलकत्ता के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

	1971–72	1972–73	1973–74
बम्बई शहर . . .	43	58	62
मद्रास शहर	18	34	21
दिल्ली शहर . . .	50	65	40

कलकत्ता शहर के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसे, एकत्रित होते ही, सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

निर्यात परिषदों के कृत्य

2566. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी निर्यात परिषदें कार्य कर रही हैं तथा उनके कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या इन परिषदों के कार्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण रहता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन परिषदों के कार्यों पर नियंत्रण रखने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश में 17 निर्यात संवर्धन परिषदें कार्य कर रही हैं । उनके मुख्य कार्य हैं :—

(1) उत्पाद विकास में सहायता देना ;

(2) विदेशों में अलग अलग बाजार अध्ययन करना ;

(3) विदेशी बाजार सम्बन्धी जानकारी देना ;

*इसके अलावा 3927 सावरेन-सिक्का तथा 6382 किलोग्राम सोना भी पकड़ा गया ।

(4) सदस्यों की उत्पादन क्षमता, उत्पादन, उत्पाद रेंज तथा निर्यात योग्यता के बारे में जानकारी रखना ;

(5) सामान्य प्रचार करना ;

(6) प्रतिनिधिमंडल, अध्ययन-सह-विक्रय दल भेजना तथा विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को आमन्त्रित करना ।

(ख) जी हां । इन परिषदों के कार्यचालन पर सरकारी नियन्त्रण है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी का निर्यात

2567. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 के दौरान विदेशों को कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) वर्ष 1974 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात करने का प्रस्ताव है और किन देशों को इसका निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972 में विदेशों को 12.50 करोड़ रु० मूल्य की 98,827 मे० टन तथा 1973 में 42.21 करोड़ रु० मूल्य की 195,042 मे० टन चीनी का निर्यात किया गया ।

(ख) सप्लाई, मांग और बाजार की स्थितियों पर निर्भर रहते हुए काफी मात्रा में चीनी के निर्यात किये जाने की आशा है । जिन देशों को चीनी का निर्यात किया गया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—ब्रिटेन अमरीका, पश्चिम एशिया के कई देश, श्रीलंका और मालदीव ।

जीवन बीमा निगम के पालिसियों के प्रीमियम और डिवीडेंड की दरों का पुनरीक्षण

2568. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद उसकी पालसियों पर प्रीमियम और डिवीडेंड की दर में कोई वृद्धि नहीं हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रीमियम और डिवीडेंड की दरों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार का विचार कोई समिति नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा सावधि बीमा तथा आजीवन बीमा पर बोनस की दरों में क्रमिक रूप से वृद्धि की गई है, जो प्रतिवर्ष बीमाकृत रकम के प्रति हजार रु० पर क्रमशः 12.80 रु० और 14.00 रु० से बढ़ाकर 17.60 रु० और 22.00 रु० कर दी गई है । हालांकि बढ़ी हुई आय का, मुद्रास्फीति के परिणामतः प्रशासन में होने वाले व्यय में वृद्धि के कारण व्यापक रूप से निराकरण हो गया है, फिर भी जीवन बीमा निगम अपनी लाभकारिता में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति सजग है और इस दिशा में विभिन्न उपाय कर रहा है ।

भावी व्ययन की अनिश्चित प्रवृत्ति और साथ ही इस तथ्यको ध्यान में रखते हुए कि सलाभ पालिसी धारियों के साथ समता,बोनस के वितरण के तरीकों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है, जीवन बीमा नियम ने सलाभ योजनाओं के अधीन बीमा-किस्तों की दरों में संशोधन करने की बात तब तक के लिए स्थगित कर दी है जब तक कि व्यय स्थिर न हो जाय। तथापि, सलाभ पालिसीयों के मामले में जीवन बीमा निगम ने बीमांकन संबंधी आधार पर, हाल के वर्षों में कतिपय लाभहीन योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के अधीन प्रीमियम की दरें घटा दी हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

केरल में लीड बैंक योजना के अन्तर्गत बनाई गयी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

2569. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के चुने हुये जिलों के लिये लीड बैंक योजना के अन्तर्गत बनाई गई विकास योजनाओं को इस वीच क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत जिन बैंकों को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है उन्हें उनके लिए निश्चित जिलों में सवक्षण करना है जिससे कि वे ऐसे केन्द्रों का पता लगा सके जिनमें बैंक प्रणाली का विकास करना है तथा उन्हें ऋणों के अन्तर का पता लगाना है। इस प्रकार का सर्वेक्षण केरल के सभी जिलों में किया जा चुका है। लीड बैंकों ने सभी जिलों में जिला स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया है ताकि जिलों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जा सके। बैंक योग्य विकास कार्यक्रमों का पता लगाने का कार्य और ऐसी योजनाओं के लिए समन्वित रूप से ऋण देने का कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो वराबर चलती रहती है।

केरल में आयकर की बकाया राशि

2570. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) केरल में इस समय आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) गत दो वर्षों में राज्य में आयकर की कितनी राशि वसुल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर आयुक्त केरल के अधिकार क्षेत्र में 31 मार्च, 1974 को निगम कर को शामिल करके आयकर की, सकल तथा शुद्ध बकाया रकमें नीचे दिये अनुसार थीं :—

(रकम करोड़ रुपए में)

कुल बकाया रकमें	शुद्ध बकाया रकमें
9.02	3.65

(ख) आयकर आयुक्त केरल के अधिकार क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में निगम कर को शामिल करके जो आयकर वसुल हुआ, उसकी कुल रकमें नीचे दी गई हैं :—

वित्तीय वर्ष	आयकर की कुल वसूली (करोड़ रु०)
1972-73	17.90
1973-74	20.37

गत दो वर्षों में पता लगाया गया काला धन

2571. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और 1974 में अब तक कितना काला धन बरामद किया गया ;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ग) कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा इस अवधि में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में 1972-73 में 454 लाख रुपए, 1973-74 में 440 लाख रुपए तथा अप्रील से जून, 1974 तक की अवधि में 159 लाख रुपए की परिसम्पत्तियाँ पकड़ी गईं ।

2. जिन व्यक्तियों के यहां तलाशियां ली गई, उनकी संख्या वर्ष 1972-73 में 532, वर्ष 1973-74 में 538 और अप्रैल से जून, 1974 तक की अवधि में 103 थी ।

3. जिन तलाशियों में नकदी और अन्य परिसंपत्तियां पकड़ी जाती हैं उनमें तलाशियां लेने के बाद कार्यवाही शुरु की जाती है जिससे अघोषित आय का सरकारी तौर पर अनुमान लगाने तथा पकड़ी गई परिसंपत्तियों में से उतनी परिसंपत्ति को रोक रखने के आदेश आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अधीन जारी किये जा सके जितनी कर-दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हो । इसके बाद, पकड़ी गई सामग्री और अपराध-आरोपणीय बहीखातों तथा दस्तावेजों के आधार पर कर-निर्धारणों को भी अन्तिम रूप दिया जाता है । आय/धन को छिपाने के लिये दण्ड लगाने की और जहां आवश्यक हो, इस्तागासे की कार्यवाही भी शुरू की जाती है ।

4. यह उल्लेखनीय है कि किसी तलाशी में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों के मुल्य से उस तलाशी की सफलता अथवा उपयोगिता का पुरा बोध नहीं होता । बहीखाते और दस्तावेज भी, जिनमें चोरी-छिपे की गई तथा गैर लेखागत लेन-देनों का प्रमाण होता है, उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं । कालेधन और अपवंचन पर काबू पाने के लिये तलाशियां एक जोरदार साधन हैं । जिन व्यक्तियों के यहां तलाशियां ली जाती हैं, उससे उनका कालाधन और कर-अपवंचन तो प्रकाश में आता ही है, साथ ही तलाशियों का उन व्यक्तियों पर निवारक प्रभाव भी पड़ता है, जो कर-अपवंचन करने की इच्छा अथवा प्रलोभन रखते हो । इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी, जिन्होंने अपनी आय छिपाई हुई है, तलाशियों के डर से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(4ए) के उपबन्धों के अधीन अपनी छिपाई हुई आय की घोषणा स्वेच्छा से करने की प्रेरणा पाते है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में अधिक संख्या में कपड़ा मिलों की स्थापना के लिये क्षमता

2572. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अधिक संख्या में कपड़ा मिलों की स्थापना करने के लिये क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या है जहां नये कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अतिरिक्त तकुआ तथा करघा क्षमता के सृजन के संबंध में चतुर्थ योजना अवधि के दौरान अपनाई गई लाइसेंस

नीति किसी राज्यवार आबंटन पर आधारित नहीं थी । सहकारिता अथवा सरकारी क्षेत्र में नए कताई एककों के सृजन को प्रोत्साहित किया गया था, परन्तु केरल में ऐसे नये कताई एकक स्थापित किये जाने के लिये कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ । पांचवीं योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार की अनुमति देते समय, उन क्षेत्रों में जहां हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों के लिये यार्न की अतृप्त मांग है और उन क्षेत्रों में भी जहां कि रुई पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है परन्तु वहां कताई एककों की, यदि कोई स्थानीय मांग है तो वह थोड़ी है, अतिरिक्त क्षमता के सृजन को ध्यान में रखा जायेगा । केरल सरकार द्वारा सिफारिश किये गये आवेदनपत्रों पर जोकि अनुमोदित मानदण्डों के अन्तर्गत आते हैं, अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों का आयात

2573. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी पुस्तकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों के आयात की नीति में परिवर्तन के कारण हैं; और

(ग) क्या इसका देश में स्वदेशी पुस्तक बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

फर्मों और व्यक्तियों की ओर एक लाख रुपयों से अधिक बकाया आयकर की राशि

2574. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी ओर एक लाख से अधिक रुपयों की आयकर की राशि बकाया है;

(ख) यह राशि कब से बकाया है; और

(ग) इसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यावाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जिन फर्मों और व्यष्टियों की तरफ आयकर की एक लाख रुपए से अधिक रकम बकाया है उनसे प्राप्य बकाया के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका हिसाब मंत्रालय में नहीं रखा जाता तथा इसे देश भर में स्थित क्षेत्रीय संगठनों से एकत्र करना होगा । लेकिन जिन फर्मों और व्यष्टियों की तरफ 31 मार्च, 1974 को आय-कर की दस लाख रुपए से अधिक रकम बकाया थी, उनके बारे में सूचना मंत्रालय में उपलब्ध हैं और उनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8207/74]**

4—27 L. S. S. (ND)/74

(ख) यह बकाया पिछले बहुत से कर-निर्धारण वर्षों के बारे में हैं, जिनमें सबसे पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्ष 1940-41 है और सबसे परवर्ती वर्ष 1973-74 ।

बकाया की वसूली विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी जिनमें से कुछ कारण ये हैं :—

(i) विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं जिनमें आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे अपीलीय प्राधिकरण भी शामिल हैं;

(ii) उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गई हैं जिन्होंने निषेधाज्ञा जारी करके विभाग को वसूली करने से रोक दिया है;

(iii) दोहरे आय-कर से राहत के दावे अनिर्णीत पड़े हैं;

(iv) मांगें उन व्यक्तियों के नाम हैं जो भारत छोड़ कर चले गये हैं;

(v) रकमें अपीलों में विवादग्रस्त हैं यद्यपि उनके लिये स्थगन आदेश जारी नहीं किये गये हैं;

(vi) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में शेयरों की बिक्री से कठिनाइयां पैदा होती हैं क्योंकि प्रथमत: उन शेयरों का स्वतंत्ररूप से हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता और द्वितीयत: खरीददार उनको खरीदवाने में रूची भी नहीं रखते हों, क्योंकि अधिकांश शेयरधारी कम्पनी के कार्यों के प्रबन्ध में कोई प्रभावकारी मत नहीं रखते ।

(vii) अभिग्रहण की गई अचल सम्पत्ति को बेचना भी कठिन होता है क्योंकि कर चूक-कर्त्ताओं द्वारा प्रभाव डालने के कारण अथवा जिस क्षेत्र में भवन स्थित है उसके अलोकप्रिय होने के कारण खरीददार नहीं मिलते । कभी कभी नियत मूल्य से कम-मूल्य की बोलियां लगाई जाती हैं और नीलामी से बिक्री एक से अधिक बार करनी पड़ती हैं ।

(viii) परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के बारे में झगड़ा खड़ा होने से कपटपूर्ण तथा लम्बी मुकदमे बाजी चलती हैं ।

(ix) कर निर्धारिती अपने पीछे कोई परिसम्पत्तियां नहीं छोड़कर मर जाते हैं अथवा दिवालिया हो जाते हैं अथवा करनिर्धारितियों का पता नहीं चलता अथवा कर निर्धारितियों की कोई अभिग्रहण परिसम्पित्तियां नहीं होती; और

(x) मांगे संरक्षात्मक किस्म की भी होती हैं ।

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए कानून के अन्तर्गत व्यवस्थित सभी कार्यवाहियां की गई हैं/की जा रही है जिनमें निम्नलिखित कार्यवाहियां भी शामिल हैं :—

(i) कर का भुगतान नहीं करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221 के अन्तर्गत दण्ड लगाना ।

(ii) धारा 226 (2) के अन्तर्गत वेतन की जब्ती ।

(iii) धारा 226(3) के अन्तर्गत अनुऋणी के ऋणों की जब्ती ।

(iv) धारा 226(4) के अन्तर्गत न्यायालयों में धन का अभिग्रहण ।

(v) धारा 226(5) के अन्तर्गत चल-सम्पत्ति का अभिग्रहण तथा बिक्री ।

(vi) धारा 222 के अन्तर्गत वसूली प्रमाणपत्र जारी करना।

(vii) चल/अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण/बिक्री ।

(viii) कर निर्धारिती को सिविल जेल में नजरबन्द करवाना ।

चालू वर्ष के दौरान चीनी का निर्यात

2575. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और कितना यूनिट-मूल्य प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिये इन दोनों के तुलनात्मक आंकडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वर्ष के कुल उत्पादन के प्रति इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) चालू वर्ष में अन्य वचनबद्ध निर्यात का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चार वर्ष (11 अगस्त, 1974 तक) के दौरान और गत वर्ष उसी अवधि के दौरान वास्तव में निर्यातित चीनी की मात्रा क्रमश: 2,26,758 मे० टन और 84,700 मे० टन रही है । गत वर्ष (11 अगस्त, 1973 तक) के दौरान औसत एफ० ओ० बी० प्राप्ति 1215 प्रति मे० टन थी और इस वर्ष की उसी अवधि के दौरान इसका 3255 रु० प्रति मे० टन होने का अनुमान है ।

(ख) 1972-73 मौसम के दौरान 38.73 लाख मे० टन के कुल उत्पादन का 2.19% ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 3 लाख मे० टन से कुछ अधिक ओर मात्रा के निर्यात हेतु संविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया है ।

विदेशीय सहायता

2576. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक कच्चे माल और उपकरणों के आयात के लिये देश की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा चालू वर्ष में कितनी सहायता मंजूर की गई है;

(ख) क्या कुल जितनी सहायता मांगी थी यह उतनी ही है अथवा भारत द्वारा हाल में किये गये परमाणु विस्फोट पर कुछ देशों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहायता में कुछ कमी की गई है; और

(ग) सहायता देने वाले देशों के मन से भय और आशंकायें दूर करने के लिये तथा सामान्य रूप से सहायता दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत सरकार ने 9 वी औद्योगिक आयात परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 29 मई, 1974 को 112.50 करोड़ रुपए (1500 लाख डालर) के ऋण करार पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि प्राथमिकता प्राप्त चुने हुए उद्योगों के औद्योगिक यूनिटों के लिये जरूरी कच्चा माल, मशीनों के हिस्से तथा फालतू पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को वित्त व्यवस्था की जा सके ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित ऋण पर विदेशों से इस देश को कुल मिलाकर सहायता के रूप में हो रही प्राप्ति पर हाल के आणविक विस्फोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) हमारी स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सामने स्पष्ट कर दी गई है और बहुत से देशों ने भारत को इस साल दी जाने वाली अपनी सहायता में वृद्धि करने का संकेत दिया है ।

पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कमी

2577. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 की तुलना में वर्ष 1973-74 में पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पटसन की वस्तुओं के निर्यात 1972-73 में जो 249.06 करोड़ रुपए के मूल्य के 5,78,400 मे० टन के हुए थे वे गिरकर 1973-74 में 222.82 करोड़ रुपए मूल्य के 5,45,400 मे० टन रह गये। यह गिरावट एक महीने से अधिक समय तक चलने वाली हड़ताल से उत्पादन में रुकावट और साथ ही बिजली की कटौतियां, जहाजों में पर्याप्त स्थान का उपलब्ध न होना आदि जैसी कई बातों के कारण आई ।

ढाका में इण्डियन एयरलाइंस के कार्यालय के सामने बम विस्फोट

2578. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका में मोती झील कर्मशियल क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालय के सामने 15 जून, 1974 को एक बम विस्फोट हुआ; और

(ख) यदि हां, तो उससे एयरलाइन्स के कार्यालय को क्या क्षति हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 15 जून, 1974 की रात्रि को स्टाफ क्वार्टरों की बगल में पार्क की हुई यात्री कोच का तथा स्टाफ क्वार्टरों के गेट का निशाना बना कर दो 'मोलाटोव काकटेल' फेंके गये थे । उससे कोई क्षति नहीं हुई ।

14 जून, 1974 की रात्रि को मोती झील, ढाका, स्थित इंडियन एयरलाइंस के नगर बुकिंग कार्यालय पर तथा कार्यालय के बगल में पार्क की हुई कोच पर तीन बम फेंके गये जिसके परिणामस्वरूप (लगभग) 1,000 रुपए की क्षति हुई ।

धागे के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की हथकरघा बुनकरों की मांग

2579. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
डा० हरी प्रसाद शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकर कांग्रेस ने हाल ही में यह मांग की है कि धागे, रंग और केमिकलों के बढते हुए मूल्यों को जिनका गरीब बुनकरों पर बहुत भार पड रहा है रोकने के लिये दृढ़ उठाये कदम जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हथकरघा उद्योग के लिये अपेक्षित यार्न, रंजकों और रासायनिक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सरकार के अनुरोध पर और वस्त्र आयुक्त से परामर्श करने के बाद इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने काटन यार्न की कीमतों को नियंत्रित करने के लिये अप्रैल, 1974 में एक स्कीम बनाई । इस स्कीम के अन्तर्गत यार्न की कीमतों को 28 मार्च, 1974 के कीमत स्तर पर स्थिर कर दिया गया है, और राज्य सरकार के नामितों, राज्य निगमों और बुनकरों के, शीर्षस्थ निकायों को मिलों से सीधे यार्न उठाने की अनुमति है । फिलहाल यह स्कीम अगस्त 1974 के अन्त तक लागू है और इससे सूत की कीमतों में स्थिरता आई है । रंजकों व रासायनिक पदार्थों के संबंध में पंजीबद्ध निर्यातकों से संबंधित नीति में टैक्सटाइल मदों के निर्यातों के आधार पर दुर्लभ रन्जकों व रासायनिक पदार्थों के आयात की व्यवस्था पहले ही विद्यमान है । रन्जकों व रासायनिक पदार्थों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

Payment of Salaries to Telex Operators in the Ministry of Finance

2580. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the telex operators in the Revenue Department of his Ministry have not been paid their salaries for the last several months ;

(b) if so, the total number of persons in the Revenue Department who have not been paid their salary for more than one month ;

(c) the reasons therefor and the action being taken by Government for the disbursement of their salary ; and

(d) the action being taken against the guilty officer ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) There are two telex operators in the Department of Revenue and Insurance and they have both been paid their salaries up-to-date. There had been some delay in the payment on account of their inter-departmental transfer and some difficulties in obtaining sanction for one of the posts. Provisional payment without the special pay of Rs. 20 per month had been made in the latter case also in June and July 1974 and all the arrears have been paid this month. There are no other similar cases.

(c) & (d) These questions do not arise in view of the answer to (a) and (b) above.

Exports to and Imports from Bangladesh

2581. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the names of the items to be exported to Bangladesh during 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : The Balanced Trade and Payments Arrangement between India and Bangladesh which came into force from 28th September, 1973 for a period of one year provides for trade in specified commodities of special interest to the extent of Rs. 30·5 crores each way. The exports from India to Bangladesh under this Arrangement include the following item :-

(1) Coal, (2) Tobacco unmanufactured, (3) Cement, (4) Raw Cotton, (5) Cotton Textiles, (6) Cotton yarn, (7) Bicycles and parts therey of (8) Stone Boulders Hardwood, Soft wood, Baretes, Lime and Limestones, Dolomite, Gypsum, (9) Ayurvedic

and Unani Medicines, (10) Books, News-papers, Periodicals and Musical instruments, (11) Chemicals and Pharmaceuticals, (12) Spices, (13) Spare parts and Machinery and equipment of small value not exceeding Rs. 50,000. (14) Tooth brushes, shaving brushes and tooth pastes, (15) Sports goods, (16) Movies and (17) other miscellaneous items permissible under Export Trade Control Regulations within a ceiling of Rs. 1 crore.

In addition to export to Bangladesh under the Balanced Trade and Payments Arrangement, it has also been agreed to supply wagons, coaches,s leepers, power equipment, transmission lines, agricultural machinery, textile machinery etc. to Bangladesh under the credit agreements concluded between the two countries.

नल सरोवर (गुजरात) की पक्षी शरणस्थली की यात्रा करनेवाले पर्यटकों को सुविधायें

2583. **श्री वेकारिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित नल सरोवर की पक्षी शरणस्थली की यात्रा करने वाले पर्यटकों को समुचित सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों के लिए कितने आवासों का निर्माण किया गया है और वहां पर्यटकों को क्या सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) नल सरोवर पक्षी शरणस्थल में पर्यटकों के लिये प्रदान की गई सुविधाओं में एक अवकाशगृह और रेस्टोरेंट, एक पिकनिक शेड और नौका-विहार सुविधायें शामिल हैं । राज्य सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वहां एक शयनागार (डॉरमेट्रि) के निर्माण का प्रस्ताव है । निधि उपलब्ध होने की की अवस्था में एवं व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नल सरोवर पक्षी शरणस्थान में एक विश्राम-गृह के निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

निर्यात कार्यों में लगी विदेशी कम्पनियों में भारतीय भागीदारी

2584. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री निर्यात कार्यों में लगी विदेशी कम्पनियों में भारतीय भागीदारी के बारे में 10 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनका निर्यात उनके उत्पादन के 60 प्रतिशत से कम है ;

(ख) "निर्धारित अवधि" शब्दों का क्या अर्थ है जिसके भीतर इन कम्पनियों को अपने आप को भारतीय कम्पनियों में परिवर्तित करना होगा अथवा वे भारत में पहले से ही पंजीकृत हों, तो उन्हें अपनी 26 प्रतिशत से अन्यून इक्विटी की भारतीय भागीदारी की व्यवस्था करनी होगी ;

(ग) क्या प्रत्येक कम्पनी के मामले में निर्धारित समय निर्धारित कर दिया गया है ; और

(घ) क्या उन कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जो इन विनियमों तथा अनुदेशों का पालन नहीं करती हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं हैं और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) प्रत्येक मामले में "निर्धारित अवधि" अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी शाखा/कंपनी के आकार, सम्बद्ध विदेशी शेयरधारिता को कम करने की सीमा पर निर्भर होगी और सामान्यत: यह अवधि 2 से 3 वर्ष तक होगी । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सम्बद्ध पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फारेन एक्सचेंज रेग्यूलेशन एक्ट) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पर अपने फैसले की सूचना देते समय प्रत्येक मामले में यह अवधि निर्धारित करेगा ।

(घ) फारेन एक्सचेंज रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1973 के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गयी हैं ताकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया विनियमों या अपने द्वारा दिये गये निवेशों का पालन न किये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई कर सके ।

दक्षिणपूर्व एशिया में पूंजी निवेश के अवसर

2585. श्री मधु लिमये :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री अनादि चरण दास :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्यमकर्त्ता दक्षिण-पूर्व एशिया में पुंजी निवेश के अवसरों की ओर अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं ;

(ख) उनके द्वारा अब तक कितने उपक्रम आरम्भ किये जा चुके हैं ; और

(ग) कितने प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं तथा सम्बद्ध देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में स्थापित होने वाले अनुमोदित भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यमों में से 21 ने उत्पादन आरंभ कर दिया है तथा 39 कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ग) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तावित 12 प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं जिनकी स्थापना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में की जायेगी अर्थात् मलयेशिया (2), इंडोनेशिया (3), फिलीपाइन्स (3), थाईलैंड (1) तथा ईरान (3) ।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय

2586. श्री मधु लिमये :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बैंकिंग आयोग की 400 सिफारिशों में से राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा आयोग सम्बन्धी सिफारिश सरकार ने मंजूर कर ली है ;

(ख) राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या बैंकिंग आयोग की काफी सिफारिशों के बारे में सरकार का विचार निर्णय लेने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंकिंग आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में निर्णय ले लिया गया है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया गया है । आयोग की बाकी सिफारिशों के सम्बन्ध में जांच का काम काफी आगे बढ़ चुका है ।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसा एक राष्ट्रीय बैंक सेवा आयोग स्थापित करने की सिफारिश सिद्धान्त रूप में मान ली है और उसे आशा है कि शीघ्र ही आयोग के कार्य क्षेत्र तथा उसके क्षेत्राधिकार की रूपरेखा के लिए आवश्यक विधान को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा 'एयरबस' की खरीद

2587. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस अपनी आंतरिक उड्डानों के लिये कुछ 'एयरबस' विमान खरीदने के लिये एक फ्रेंच फर्म के साथ बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान की दक्षता की जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो कार्य कर रहे वर्तमान विमानों की तुलना में इसकी ईंधन खपत तथा परिचालन मितव्ययता के बारे में इस परीक्षण के क्या परिणाम रहे ; और

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) इण्डियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े की अभिवृद्धि के लिए किस प्रकार के और कितने अतिरिक्त विमान खरीदे जायें, इस प्रश्न की जाँच की जा रही है और इस प्रक्रिया में अन्य विमानों के साथ-साथ ए० 300-बी० जैसे चौड़ी बाडी वाले विमान का भी अध्ययन किया जा सकता है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर हैंगरों का उपयोग

2588. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता हवाई अड्डे पर निर्मित हैंगरों को उपयोग में न लाए जाने के कारण प्रति वर्ष कितनी हानि हुई ;

(ख) उनके निर्माण के पश्चात् कब से उनका उपयोग नहीं किया गया ; और

(ग) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अथवा उन्हें किसी विदेशी कम्पनी को किराये पर देकर उनका लाभप्रद उपयोग किये जाने के लिये अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) यदि हैंगरों की वर्षभर पूरी लागू होती, तो विमान क्षेत्र प्राधिकरण ने 3.8 लाख रुपए वार्षिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया होता ।

(ख) इस समय कलकत्ता विमान क्षेत्र पर तीन हैंगरों का नीचे दी गयी तारीखों से उपयोग नहीं किया जा रहा है :—

हैंगर संख्या	तारीख जिससे उसका उपयोग नहीं हो रहा है
12	1-1-1973
13	19-11-1973
18	31-10-1969

परन्तु इनमें से दो हैंगरों का इन तारीखों के बाद भी थोड़ी थोड़ी अवधियों के लिए उपयोग किया जाता रहा ।

(ग) हैंगर नं० 12 तथा 13 इण्डियन एयरलाइंस को उनकी आवासीय कालोनी के लिए दिए गए जाने के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र में स्थित हैं। कलकत्ता से इन हैंगरों को स्थानांतरित किए जाने के प्रश्न की प्राधिकरण द्वारा जाँच की जा रही है। प्राधिकरण हैंगर नं० 18 के उपयोग के प्रश्न की इण्डियन एयर-लाइंस तथा अन्य अभिकरणों के परामर्श से भी जांच कर रहा है।

भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा गया गांजा और तस्करी का सामान

2590. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री 1972 और 1973 में पकड़े गये तस्करी के माल के बारे में 15 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत नेपाल सीमा पर, विशेष रुप से बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली गांजा और नेपाल के अतिरिक्त अन्य देशो से आया तस्करी का माल पकडे जाने के बारे में प्रतिदिन का औसतन कितना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों कों गिरफतार किया गया, मुकदमा चलाया गया अथवा सजा दी गई ;

(ख) क्या मई, 1974 के महीने में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करते हुए मधुबनी जिले के वासोपट्टी के खण्ड विकास अधिकारी और जय नगर के सीमा शुल्क निरीक्षक को रंग हाथों पकड़ा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना अेकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्रहि सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) तथा (ग) : मामल की जांच की गई थी और यह पाया गया कि 5 मई, 1974 को जय नगर मे एक सीमाशुल्क निरीक्षक तथा उसका ड्राईवर छात्रों के आक्रमण शिकार हुए।

मामले की फिर से जांच की जा रही है।

औद्योगिक उपक्रमों को सरकार/सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गयी धनराशि को ईक्विटी शेयरों में बदलने का प्रस्ताव

2591. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार जांच आयोग द्वारा बताए गये 75 गृहों के अथवा उनके द्वारा प्रबन्धित औद्योगिक उपक्रमों की पूरी सूची क्या है जिनमें सरकार के अथवा सरकारी वित्तीय संस्थानों ने पुंजी लगाई है अथवा उनको ऋण दिया है तथा क्या सरकारी धनराशी को ईक्विटी शेयरों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंशुरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत सहायता के सबंध में अपेक्षित जानकारी क्रमश: अनुबन्ध एक, दो, तीन, चार और पांच में उस रूप में दी गयी है जिस रुप मे यह जानकारी इन संस्थाओं द्वारा रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8208/74।]**

सरकार ने इन पांचों अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं को उपयुक्त मार्गदर्शक सिदधान्त जारी कर रखे हैं कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को भारी सहायता दिये जाने के मामलों में, जिनमें बड़े औद्योगिक गृहों के स्वामित्व, प्रबन्ध अथवा नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, इन संस्थाओं को चाहिए कि वे अपने ऋण सहायता करारों में रुपान्तरण का शर्त भी शामिल करें। ये मार्गदर्शक सिद्धान्त 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये थे।

इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इन संस्थाओं ने ऋण करारों में रुपान्तरणीय संबंधी खण्ड शामिल करना शुरू कर दिया है। ऋण को पूर्णतः अथवा अंशतः रूपान्तरित करने के वास्तविक विकल्प का प्रयोग, वित्तीय संस्थाओं दवारा, ऋण करारों में लिखित रुपान्तरणीय संबंधी खण्ड के उपबन्धों के अनुसार, उपयुक्त समय पर किया जाना है। ऋण की सामान्य शेयर-पुंजी में रुपान्तरित करने के विकल्प का वास्तविक प्रयोग विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे परियोजना का स्वरूप, सामान्य शेयर-पुंजी से होने वाला अनुमानित लाभ, आदि। किसी नयी परियोजना के मामले में, ऋण को रूपान्तरित करने का विकल्प सामान्यतः 5 वर्ष के बाद उपलब्ध होगा और अधिक बड़ी मात्रा में विस्तार के मामले में इससे कुछ जल्दी उपलब्ध होगा। अब तक, इन संस्थाओं ने चार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी गयी सहायता के संबंध में ऋण के कुछ भाग को सामान्य पुंजी में बदला है जहां तक मार्गदर्शक सिदधातों के जारी किये जाने से पहले दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, इन सबको सामान्य पुंजी में बदलने का विचार नहीं है लेकिन सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं को इस बात का अधिकार होगा कि यदि ऋण के चुकाये जाने में कोई चूक हो तो वे अपने विवेकानुसार रूपान्तरण के बारे में बातचीत कर सकती हैं; प्रत्येक मामला उसके गुणदोषों के आधार पर, औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ बातचीत के जरिये तय किया जायगा।

कृत्रिम वर्षा के लिये प्रयास

2592. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृत्रिम वर्षा के लिये प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के; और

(ग) उक्त तकनिकी कृषि के लिये कहां तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) तथा (ख) पूना के निकट तथा उत्तर प्रदेश में रिहंद श्रवण क्षेत्र (कैचमैंट एरिया) में हवा से और मद्रास के निकट, हिसार (हरियाणा) तथा गोदरा (गुजरात) में भूतल से सामान्य नमक द्वारा मेघवपन के प्रयोग किए जा रहे हैं।

(ग) परिणामों का विश्वसनीय रुप से मूल्यांकन करने से पूर्व कई वर्षों तक प्रयोग करने पड़ेंगे।

सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में कार्यकुशलता में गिरावट

2593. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से सी० डी० ए० पटना के कार्यालय में अधिकारियों को गुटबंन्दी की, पक्षपात की, कर्मचारी-विरोधी और एसोसिएशन विरोधी नीतियों के कारण कार्य के स्तर और कुशलतामें गिरावट आ गई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों से विभिन्न स्त्रोतों से इस सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार, रक्षा लेखा महा-नियंत्रक और सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त बुराइयों के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) जांच करने के पश्चात् इन शिकायतों को न्यायोचित नहीं पाया गया ।

खाडी के देशों को निर्यात में कमी

2594. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बहुत से व्यापार प्रतिनिधि मंडलों तथा व्यापारियों ने विदेशों में हमारी मिशनों के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण पर अपनी निराशा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे मिशनों के पास वाणिज्यिक समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है औह वाणिज्यिक सचिव तथा अन्य अधिकारी को जल्दी-जल्दी स्थानांतरित किया जाता है; और

(ग) क्या मुख्यतः इन्हीं कारणों से खाड़ी के देशों को पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1972-73 में हमारे निर्यात में 15 प्रतिशत कमी हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों में वाणिज्यिक कार्य निपटाने के लिए पर्याप्त अमला है । भारत के विदेश व्यापार में विस्तार के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के लिए अनवरत समीक्षा की जाती है कि वाणिज्यिक अमला पर्याप्त रहे । विदेश स्थित मिशनों में अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष है परन्तु वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के बारे में इसे बढ़ा कर चार वर्ष भी किया जा सकता है ।

(ग) वर्ष 1972-73 में खाड़ी के देशों को भारत के निर्यात लगभग 33.08 करोड़ रू० के रहे जब कि उससे पिछले वर्ष वे 26.39 करोड़ रू० के थे ।

हथकरघा उद्योग के लिए पृथक आयुक्त

2595. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र में हथकरघा उद्योग के लिए पृथक आयुक्त नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल द्वारा, जिसके अध्यक्ष श्री बी० सिवरामन हैं।, 20 जुलाई, 1974 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस आशय की सिफारिश की गई है । सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

काफी के मूल्यों में वृद्धि

2596. **श्री इसाहक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने काफी के मूल्यों में तदर्थ वृद्धि करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जॉर्ज) : (क) तथा (ख) केरल सरकारने अनुरोध किया कि श्रमिकों की मजदूरी और कुछ अन्तर्निविष्ट साधनों की किमत में वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा काफी की किमत में उचित वृध्दि करने की अनुमति दी जाये । इस मामले पर विचार किया गया है और उस समय तक के लिये जब तक काफी की उत्पादन लागत का अध्ययन नहीं हो जाता काफी की पूल बिक्री की रिजर्व कीमत बढ़ाकर 4.25 रु० प्रति प्वाइंट कर दी गई है ।

बाढ़ से राहत कार्यों के लिये आसाम को वित्तीय सहायता

2597. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही की आसाम की बाढ़ की स्थिति की जानकारी है । जिससे कम से कम दो लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राहत कार्यों के लिए सरकार ने क्या सहायता दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को दवी विपत्ति संबंधी राहत कार्यों के खर्च के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पिछली योजना को 1 अप्रैल, 1974 से रद्द कर दिया गया है ।

जूट की निर्यात कीमतों में वृद्धि

2598. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट की निर्यात-कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की है और चालू वर्ष के दौरान कुल निर्यात आय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कालीन अस्तर को छोड़कर पटसन निर्मित वस्तुओं की निर्यात कीमतें सप्लाई तथा मांग की बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है तथा इस पर कोई कीमत नियंत्रण नहीं है । कालीन अस्तर का निर्यात निर्धारित कीमत आधार पर किया जाता है तथा मार्च, 1974 में यह कीमत 200 रुपए प्रति टन बढ़ायी गई थी ।

ऋण नियंत्रण से राहत देने के बारे में पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा अनुरोध किया जाना

2599. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राइवेट ऋणदाता स्थिति का फायदा उठा रहे है, पंजाब के वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से एक विशेष मामले के रूप में ऋण नियंत्रण से राहत देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उन्हें कोई पत्र भेजा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) रिजर्व बैंक ने बताया है कि जून, 1974 में उसके गवर्नर को पंजाब के वित्त मंत्री से एक पत्र मिला था जिसमें पंजाब के लघु उद्योगों के लिए ऋणों की पाबन्दियों में ढ़ील देने के लिए अनुरोध किया गया

था और गवर्नर ने अपने उत्तर में और बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया है कि लघु उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए तरजीह देने की नीति को ना तो समाप्त किया गया है और ना ही तरजीह देना कम किया गया है।

रुपये का अवमूल्यन

2600. **श्री वेंकटासुब्बया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रुपये की क्रय शक्ति को बनाये रखने के लिए रूपये का अवमूल्यन करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी, नहीं।

भारत श्रीलंका व्यापार सम्बन्ध

2601. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका, दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों का पुनर्विलोकन करना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार प्रवाह का पुनर्विलोकन करने के लिए भारत-श्रीलंका की आर्थिक सहयोग संबंधी उप समिति की बैठकें नियमित रूप से कुछ कुछ समय बाद होती रहती है। उप समिति की पिछली बैठक कोलम्बो में जून, 1974 में हुई थी। जिन विषयों पर विचार-विमर्ष किया गया उनमें पारस्परिक व्यापार के विस्तार, विशेष रूप से श्रीलंका से भारत द्वारा विशिष्ट वस्तुओं के आयात से संबंधित मामले सम्मिलित थे।

रक्षा लेखा के कुछ नियंत्रकों के स्थानान्तरण के बारे में आदेश की क्रियान्विति

2602. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में रक्षा लेखा के कुछ नियंत्रकों की एक स्थानान्तरण तालिका सूची तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अन्य आदेश को अभी तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या रक्षा लेखा के एक नियंत्रक के विरूद्ध विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्ष 1972 में कुछ रक्षा लेखा नियंत्रकों के स्थानान्तरण को मंजूरी दी गई थी। इनमें से कुछ एक को स्थानान्तरित कर दिया गया था परन्तु कुछ अन्य नियंत्रकों के मामलों पर प्रशासनिक आधार पर पुनर्विचार करना पड़ा।

(ग) यह माना जाता है कि वर्तमान संदर्भ का संबंध रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के विरूद्ध शिकायतों से हैं। कुछ पत्र तो नियंत्रक के प्रशासन की अलोचना से संबधित थे और कुछ प्रशासन के समर्थन में थे।

(घ) सरकार इस मामले से अवगत है।

रक्षा लेखा विभाग में काम कर रहे लेखाकारों, उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के पदनाम में परिवर्तन

2603. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों को तरह रक्षा लेखा विभागों मे काम कर रहे लेखाकारों, उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के पदनाम मे परिवर्तन कर दिया गया है ;

(ख) क्या भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग को तरह पदनाम मे परिवर्तन के साथ-साथ रक्षा लेखा विभाग के लेखाकारों को कुछ कार्यकारी अधिकार प्रदान किये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, श्रीमन्

(ख) और (ग) अभी तक नहीं, श्रीमन्। इस मामले पर पूरी तत्परता से विचार किया जा रहा है।

पटना के रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में 'वेट कैन्टीन' चलाने के लिये सरकार द्वारा दी गई राशि

2604. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1972 से अब तक पटना के रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय मे "वेट कैन्टीन" चलाने के लिए कितनी धन-राशि दी है और सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि और "वेट कैन्टीन" में हुई बिक्री से प्राप्त धनराशि किन-किन मदों पर खर्च की गई है ;

(ख) रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय, पटना में कर्मचारी कल्याण समिति, सी० एस० डी० (एस०) कैन्टीन, किराने की दुकानों और हितकारी निधियों के सरकारी सहायताओं सहित आय के साधन क्या है ;

(ग) रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय पटना में उक्त संगठनों को चलाने की प्रक्रिया क्या है और प्रबन्धक समितियों का गठन किस के द्वारा किया गया है ;

(घ) क्या वर्ष 1972 से अब तक उक्त संगठनों के लेखों को परीक्षा को गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो लेखों को रखने में यदि कोई दुरूपयोग, गबन और घोटाला किया गया है तो उसके कारणों सहित लेखों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972 से लेकर अब तक पटना के रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय मे वेट कैन्टीन के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि निम्नलिखित है :

(i) **वेट कैन्टीन के लिए कर्मचारियों के वेतन के लिए आर्थिक सहायता :**

वर्ष 1972 (कैलेण्डर वर्ष)	4048.00 रुपए
वर्ष 1973 (वही)	6196.60 ,,
वर्ष 1974 (6/74 तक)	4888.90 ,,
जोड़	15,133.50 ,,

(ii) **सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गई धन राशि :**

वर्ष 1972-73	17,000.00 रु०
वर्ष 1973-74 . .	1,500.00 रु०
जोड़ .	18,500.00 रु०

उपर्युक्त (i) में उल्लिखित धन-राशि कैन्टीन के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उपयोग की गई तथा (ii) पर उल्लिखित 18,500.00 रुपये में से लगभग 17,450.00 रुपये फर्निचर, क्राकरी, कैंटीन का सामान आदि खरीदने पर खर्च किए गए। कैंटीन में हुई बिक्री से प्राप्त धन-राशि का उपयोग कैन्टीन मे बेचों जाने वाली चाय तथा खाने की वस्तुएं बनाने के लिए क्राकरी, सब्जियां, तेल, कोयला, चाय, मैदा, सूजो, दूध और दूध से बनी वस्तुएं आदि खरीदने पर खर्च की गई।

(ख) (i) **कर्मचारी कल्याण समिति :** समिति के लिए धन-राशि, समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकों/प्रकाशनों को खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त हुई अग्रिम धन-राशि द्वारा एकत्र की जाती है। सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया था।

(ii) **सी० एस० डी० कैन्टीन :** सदस्यों द्वारा जमा की गई रकम, सी० एस० डी० (आई) बम्बई से प्राप्त ऋण, लाभ-पूंजीकरण तथा अन्य समान धन अर्थात कर्मचारियों के कल्याण वाले संगठनों से प्राप्त ऋण ही कैन्टीन की निधि के मुख्य साधन हैं। सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया था।

(iii) **किराने की दुकान (किराना वितरण केन्द्र)**: किराना वितरण केन्द्र को चलाने के लिए धन राशि उन कर्मचारियों से एकत्र की जाती है जो 10 रुपये सदस्यता शुल्क दे कर इसके सदस्य बन जाते हैं। इसके अन्य सहयोगी संगठनों से उधार ले कर और लाभ-पूंजीकरण से भी धन-राशि एकत्रित की जाती है। सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया था।

(iv) **हितकारी निधि :** इस निधि का धन सदस्यों से चन्दे के रूप में प्राप्त किया जाता है। सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया था।

(ग) (i) **कर्मचारी कल्याण समिति :** समिति का प्रबन्ध एक प्रबन्धक-समिति के हाथ में है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं।

नियंत्रक रक्षा लेखा . . .	पदेन अध्यक्ष
सहायक रक्षा लेखा नियंत्रकों में से कोई एक	अफसर-इन-चार्ज
लेखा अधिकारियों में से कोई एक	अपर अफसर-इन-चार्ज
स्टाफ सदस्यगण . . .	तीन स्थानीय क्षेत्रीय परिषद के 2 स्टाफ सदस्यों सहित।

(ii) **सी० एस० डी० केन्टीन :** कैन्टीन एक प्रबन्धक समिति चलाती है जिसके सदस्य निम्नलिखित है :

पैटरन	. नियंत्रक रक्षा लेखा	सभी पैटरन द्वारा नामित किए जाते हैं ।
प्रधान	. संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रकों में से कोई एक	
उप-प्रधान	उप-नियंत्रक रक्षा लेखा/सहायक नियंत्रक रक्षा लेखा इनमें से कोई एक	
अफसर-इन-चार्ज	लेखा अधिकारियों में से कोई एक	

प्रबन्धक एवं खजानची	एक (1)	सभी आम सभा में मतदान द्वारा चुने जाते हैं ।
सहायक प्रबन्धक	एक (1)	
सदस्यगण	चार (4)	

(iii) **किराने की दुकान (किराना वितरण केन्द्र) :** किराना वितरण केन्द्र को एक प्रबन्धक समिति चलाती है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :

पैटरन	. नियंत्रक रक्षा लेखा	नियंत्रक द्वारा नामित किए जाते हैं ।
प्रधान	. संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रकों में से एक	
अफसर-इन-चार्ज	लेखा अधिकारियों में से एक	

प्रबन्धक एवं खजानची	अनुभागधिकारी (लेखाकार)	सदस्यों द्वारा आम सभा में मतदान द्वारा चुने जाते हैं !
सहायक प्रबन्धक	दो (2)	
सदस्यगण	चार (4)	

(iv) **हितकारी निधी :** यह निधि एक समिति द्वारा चलाई जाती है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :

अध्यक्ष	. नियंत्रक रक्षा लेखा	नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा नामित किए जाते हैं । निधि के सदस्यों द्वारा जो नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के मुख्य कार्यालय में काम करते हैं, चुने जाते हैं ।
उपाध्यक्ष	. संयुक्त नियंत्रकों में से एक	
सदस्य	. उप नियंत्रक रक्षा लेखा (ए०एन०)	
चुने हुए सदस्य	चार (4)	

(घ) और (ङ) (i) **कर्मचारी कल्याण समिति :** मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखों का लेखा-परीक्षण हो गया है और उसमें किसी भी प्रकार का दुरूपयोग, गबन और घोटाला नहीं पाया गया ।

(ii) **सी० एस० डी० कैन्टीन :** मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखों का ले परीक्षण हो गया है और उसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग, गबन और घोटाला नहीं पाया गया ।

(iii) **किराने की दुकान (किराना वितरण केन्द्र)** : मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीया वर्ष के लेखों का लेखा-परीक्षण हो गया है और उसमें किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, गबन और घोटाला नहीं पाया गया है ।

(iv) **हितकारी निधिः** हितकारी निधि की स्थापना 5 मई, 1973 को की गई थी । इस समिति के उप-नियमों के अनुसार लेखों का वर्ष में एक बार लेखा-परीक्षण करना होता है । लेखों का लेखा-परीक्षण कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है । यहां यह बता दिया जाए कि अब तक केवल 608 रुपये ही चन्दे के में एकत्र हुए हैं और उस में से केवल 20 रुपये खर्च हुए हैं । किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग, गबन और घोटाला नहीं है ।

"रोज वुड" के निर्यात में विलम्ब के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

2605. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :
श्री माधवराव सिंधिया :
क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोज-वुड के निर्यात की प्रक्रिया में आई बाधा को दूर करने में उनके मंत्रालय के असफल रहने के कारण काफी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ;

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और दोषी अधिकारियों के नाम क्या हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि भविष्य में रोज वुड के निर्यात में बाधा न आये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रोज वुड का निर्यात उसी वार्षिक अधिकतम सीमा तक विनियमित रखा जा रहा है जो कृषि मंत्रालय और सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से निर्धारित की गई है । चालू वर्ष के दौरान कोचीन को छोड़कर सभी पत्तनों से निर्यात के लिए रोजवुड का पूरा कोटा निर्मुक्त कर दिया गया है । कोचीन को आबंटित कोटे का 50 प्रतिशत भी निर्मुक्त कर दिया गया है । अवध कटाई रोकने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा कतिपय सुरक्षात्मक उपाय लागू किये जाने से सम्बन्धित प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिये जाने पर शेष 50 प्रतिशत कोटा भी उस पत्तन से निर्मुक्त कर दिया जायेगा । चूंकि विदेशी बाजारों में रोज वुड की भारी मांग है, अतः लाइसेंस वर्ष पूरा होने से काफी पहले ही समग्र कोटा निर्यात कर दिया जायेगा और हम केरल राज्य सरकार से कह रहे हैं कि वे निर्यात प्रणाली से सम्बन्धित अपने दृष्टिकोण को अन्तिम रूप दें ।

देहरादून में अफीम की खेती

2606. श्री एम० एस० मुरली : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम की खेती को, जो कि देहरादून जिले के चकराता खण्ड में और उत्तर काशी जिले के पुरौला खण्ड में लोकप्रिय होती जा रही है सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारत द्वारा अफीम का विदेशों को निर्यात भी किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो कृषकों को अफीम की अधिक खेती के लिए प्रोत्साहित न करने के क्या कारण हैं ?

5—27 LS S(N)/74

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) भारत बहुत से विदेशों को अफीम का निर्यात कर रहा है। परन्तु अफीम उत्पादन के लिए पोस्त की खेती के संबंध में भारत सरकार की नीति इस प्रकार के उत्पादन को विश्व को चिकित्सा संबंधी एवं वैज्ञानिक आवश्यकताओं तथा प्रभावी नियंत्रण योग्य क्षेत्रों तक सीमित रखने के उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर आधारित होती है। देहरादून तथा उत्तर काशी जिलों के चकराता और पुरौला खंड ऐसे पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र हैं जहां कुशल पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन है। इसलिए, इन क्षेत्रों में अफीम के उत्पादन के लिए पोस्त की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि बीज-उत्पादन के लिए इन खंडों में राज्य सरकार के नियंत्रण में सीमित आधार पर पोस्त की खेती की जाती है।

विदेशों में भारतीय ऊनी बुनाई के वस्त्रों की मांग

2607 श्री एन० ई० होरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय ऊनी बुनाई के वस्त्रों की भारी मांग है और इन उत्पादों का बाजार तथा क्षमता इतनी अधिक है कि निर्यात व्यापार को बहुत बढ़ाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में मूल्यांकन करने तथा सुझाव देने के लिए कोई समिति नियुक्त की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। तथापि, चूंकि अत्यधिक आधुनिक परिधानों की मांग है, जिनका निर्माण भारत इस समय नहीं कर रहा है, और इनकी कीमत अप्रतियोगी है, अतः ये दो कठिनाईयां हैं जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों को भारतीय ऊनी बुनाई के वस्त्रों के बड़े पैमाने पर निर्यात के रास्ते में आ रही है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि० को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण

2608. श्री एन० ई० होरो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि० को 10 करोड़ रुपये की राशि का चेक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं और उर्वरक की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए इस धन का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां। जीवन बीमा निगम ने जुलाई 1971 में उक्त निगम के लिये 10 करोड़ रु० का एक मियादी ऋण मंजूर किया था और इस बीच ऋण की सम्पूर्ण राशि एक ही किश्त में दे दी गयी है।

(ख) ऋण की सुरक्षा निगम की वर्तमान तथा भावी दोनों तरह की निश्चित परिसम्पत्तियों को प्रथम बन्धक रखकर तथा इसकी चालू परिसम्पत्तियों पर चल-भार (फ्लोटिंग चार्ज) लगाकर की जाती है। क्योंकि कुछ चालू परिसम्पत्तियों से संबंधित इस प्रकार के चल-भार को, रोकड़ जमा तथा/अथवा जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधाओं की दृष्टि से, निगम की कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिये निगम के बैंकरों के पक्ष में बन्धक रखना होता है। इस ऋण पर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज लगाया गया है परन्तु ब्याज की किश्तों की शीघ्र अदायगी और नियत

तारीख को ऋण वापस करने के लिये 1 प्रतिशत वार्षिक की छूट दी गई है । इस ऋण की अदायगी, जीवन बीमा निगम द्वारा निश्चित किये जाने वाले अदायगी संबंधी नियम के अनुसार की जायेगी । पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने पर भारतीय किसान उर्वरक निगम प्रतिवर्ष निम्नलिखित मात्रा में उर्वरक सप्लाय कर सकेगा ।

(1) यूरिया (46 प्रतिशत) . . .	3,96,000 टन
एन० पी० के० . . .	92,800 टन
10-26-26	92,800 टन
12-32-16	92,800 टन
14-36-12	1,89,900 टन
. . . .	3,75,500 टन

पर्यटन केन्द्रों में "साम्प्रदायिक" नाम बोर्डों का प्रदर्शित किया जाना

2609. श्री के० मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन केन्द्रों में 'साम्प्रदायिक' नाम बोर्डों के प्रदर्शन को निरुत्साहित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग का संबंध देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के पर्यावरण के संरक्षण से है और इस की रूचि इस बात को सुनिश्चित करने में है कि पर्यटन अभिरुचि के स्थलों पर बोर्डों एवं विज्ञापन-पट्टों के लगाने से उनकी प्राकृतिक सुषमा किसी भी रूप में विकृत न होने पाये ।

निर्यातकर्ताओं को संरक्षण देने के बारे में एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया को सुझाव देना

2610. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया ने स्टैट बैंक आफ इंडिया को यह सुझाव दिया है कि लंगर डालने की कठिनाइयों के कारण नौवहन कम्पनियों को माल के उतारने में विलम्ब होने से निर्यातकर्त्ताओं को होने वाली हानि से संरक्षण देने के लिए उचित नीति अपनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुझाव दिये गये हैं और उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्टैट बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि इसने मार्च, 1974 में भारतीय निर्यात ऋण और गारण्टी निगम को सुझाव दिया था कि निगम की एक नयी नीति शुरु करने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए जिसके अनुसार और बातों के साथ-साथ, जहाजों द्वारा उस बंदरगाह की बजाय जहां के लिए माल बुक किया गया हो, अन्य बंदरगाह में माल उतारने के कारण अतिरिक्त परिवहन/संग्रहण बीमा व्यय के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से बचाव प्रदान किया जा सके । बताया जाता है कि भारतीय निर्यात ऋण और गारण्टी निगम इस सुझाव पर विचार कर रहा है ।

भारत-सूडान व्यापार करार

2611. श्री गजाधर मांझी :

श्री जे० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सूडान करार फिर से खतरे में पड़ गया है क्योंकि रूई का निर्यात करके अपने व्यापार असंतुलन को ठीक करने में सूडान असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सामने आ रही बाधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत भारत-सूडानी व्यापार में सूडान की ओर मौजूदा अनुमानित असंतुलन लगभग 114 लाख पौंड ठहरता है। इस असंतुलन को कम करने के लिए दोनों देश प्रयत्नशील हैं। इस सम्बन्ध में हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल सूदान गया था और उसने सूदानी प्राधिकारियों से बातचीत की। लगभग 25 लाख पौंड मूल्य के 10,000 मे० टन तिलहन की भारत को बिक्री हेतु एक संविदा की गई है। आगे बातचीत के लिए एक सूडानी प्रतिनिधिमंडल के शीघ्र ही भारत आने की संभावना है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

बंगला देश से हवाई समझौता

2612. श्री गजाधर माझी :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच एक दूसरे के क्षेत्र को तथा एक दूसरे के क्षेत्र से होकर उनके राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा उड़ाने भरने के बारे में हाल में कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त समझौते के अन्तर्गत इस समय कितनी विमान सेवाएं चल रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 26 जून से 3 जुलाई 1974 तक नई दिल्ली में किये गये अंत: सरकारी परामर्शों के परिणामस्वरूप विमान सेवा करार के एक प्रारूप पर आद्य-क्षर किये गये जिसे अब अनुमोदन एवं हस्ताक्षरों के लिए अपनी-अपनी सरकारों को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) प्रारूप-करार के उपबंधों के अनुसार एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को ढाका और चिट्टा गांव के लिए एक सप्ताह में 30 सेवाओं तक के परिचालन का अधिकार होगा। इनमें से दो सेवाओं का परिचालन एअर इंडिया द्वारा ढाका हो कर उससे आगे के स्थानों तक किया जा सकता है। इसी प्रकार बंगलादेश विमान को प्रति सप्ताह 30 सेवाएं परिचालित करने का अधिकार होगा, 28 कलकत्ता के लिये तथा दो बम्बई होकर उस से आगे के स्थानों के लिये।

(ग) फिलहाल एयर इंडिया बोइंग 707 विमानों से भारत तथा ढाका के बीच प्रति सप्ताह दो सेवाएं परिचालित कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस बोइंग 737 विमान से कलकत्ता और ढाका के बीच एक दैनिक उड़ान का परिचालन कर रही है। बंगलादेश विमान चिट्टागांव और ढाका से कलकत्ता के लिए प्रति सप्ताह 21 सेवाएं परिचालित कर रहे हैं। विमान-सेवा करार का अनुमोदिन तथा उस पर हस्ताक्षर होने तक इन सेवाओं को अस्थायी प्राधिकार के आधार पर परिचालित किया जा रहा है।

काश्मीर में पश्मीना शाल उद्योग को कच्चे माल की कमी

2613. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में पश्मीना शाल उद्योग को जिसमें लगभग 5000 कारीगर काम करते हैं लद्दाख से बड़े पैमाने पर ऊन की तस्करी के कारण अपरिष्कृत 'पशम' ऊन की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो लद्दाख क्षेत्र में तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली हवाई अड्डे के प्रस्थान (डिपार्चर लांज) में वातानुकूलन संयंत्र का कार्यकरण

2614. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे के प्रस्थान लांज में वातानुकूलन संयंत्र 20 जून की शाम से 22 जून 1974 तक बन्द रहा था जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) दिल्ली विधान क्षेत्र के देशीय प्रस्थान लांज में वातानुकूलन संयंत्र (एयरकंडिशनिंग प्लाट) पानी की कमी के कारण 20 जून को सायंकाल से 22 जून 1974 तक चालू नहीं था । यात्रियों की असुविधा में कमी करने के लिए 21 जून को "एयर सर्कुलेटरों" की व्यवस्था की गयी थी ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में 20 जून की सायंकाल से लेकर 21 जून, 1974 की प्रातःकाल तक, थोडे समय को छोड़ कर, वातानुकूलन व्यवस्था कार्य नहीं कर रही थी । ऐसा पानी की कमी तथा वाटरपम्प में मामूली खराबियों के कारण हुआ । परन्तु, 'ब्लोअर' कार्य कर रहे थे ।

पश्चिम जर्मनी से बढ़ा हुआ पूंजी निवेश

2615. श्री सी० के० चंद्रप्पन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्षों के गतिरोध के पश्चात् सरकार यह आशा कर रही है कि पश्चिम जर्मनी से बढ़ा हुआ पूंजी निवेश मिलेगा ; और

(ख) भारत में इस पूंजी निवेश का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही वह यह आशा कर रही है कि पश्चिम जर्मनी अपने पूंजी निवेश में कोई वृद्धि करेगी ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मध्य प्रदेश में लघु किसानों को दिये गये ऋण

2616. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मध्य प्रदेश में, दो हैक्टैयर जोत वाले किसानों तथा दो हैक्टैयर से अधिक लेकिन चार हैक्टैयर से कम जोत वाले किसानों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये गये ऋणों की निम्नलिखित तारीखों को जो रकमे बकाया थीं उनके आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपयों में)

	बकाया			
	दिसम्बर	दिसम्बर	सितम्बर	मार्च
	1971	1972	1973	1974
2 हैक्टेयर तक की जोत वाले किसान	11.73	25.05	33.64	75.73
2 हैक्टेयर से अधिक लेकिन 4 हैक्टेयर से कम जोत वाले किसान .	29.54	33.18	45.19	69.76

सेवानिवृत सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी

2617. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान इस बीच कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भुगतान किस तारीख से किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस का भुगतान किस तारीख तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) इलाहाबाद ने सरकार द्वारा सशस्त्रसेना के पेंशनर को मंजुर की गई राहत का भुगतान करने के लिए एक एक्सप्रेस परिपत्र भेज कर पेंशन वितरण अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया है । इन में से कुछ पेंशन वितरण अधिकारियों ने जुलाई, 1974 में राहत का भुगतान कर दिया है ।

(ख) भुगतान जूलाई, 1974 से आरम्भ किया गया ।

(ग) चूंकि जुलाई, 1974 में वितरित की गई पेंशन के संबंध में सभी पेंशन वितरण अधिकारियों से लेखें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । अत: सभी पेंशन वितरण केन्द्रों द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि के बारे में पूरी स्थिति ज्ञात नहीं है । तथापि कुछ केन्द्रों से प्राप्त लेखों से यह मालुम हुआ है कि बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कर दिया है । अन्य बातों के साथ-साथ इस पर भी निर्भर करती है कि पेंशनर अगली बार पेंशन लेन कब आता है । चूंकि पेंशन वितरण अधिकारियों को बढ़ी हुई पेंशन के भुगतान के लिए पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है इस लिए यह आशा की जाती है कि जब अगली बार पेंशनर अपनी पेंशन लेने आएंगे तो उन्हे बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा ।

कंडक्टरों पर उत्पाद शुल्क

2618. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या उत्पादशुल्क विनियमों के अनुसार टैरिफ दर केवल मानक विशिष्टियों के अनुरूप बनाए गए कन्डक्टरों पर ही लागू होती है ;

(ख) क्या अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग मुल्यांकन एकक सं०viii/3 द्वारा आई०टी०डी० विशिष्ट नं० एस/डब्ल्यु सी–101ए; को मानक विशिष्टि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा जिससे कलकत्ता में कंडक्टर निर्माताओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या अन्य सभी राज्यों में उत्पादशुल्क विभाग के अधीक्षकों द्वारा इस आई०टी०डी० विशिष्टि को मानक विशिष्टि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो अधीक्षक, उत्पादशुल्क विभाग, कलकत्ता द्वारा इस आई०टी०डी० विशिष्टि को मानक विशिष्टि के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) तारों तथा केबलों के टैरिफ मुल्य दिनांक 20 अप्रैल, 1974 की अधिसूचना सं० 76/74–के०उ०शु० के जरिये नियत किये गये थे। अधिसूचना के परन्तुक 3 के अनुसार, इस अधिसूचना में निहित कोई भी उपबन्ध खरीदार द्वारा दी गयी किसी विशेष विशिष्टि के अनुसार निर्मित बिजली के तारों तथा केबलों पर लागू नहीं होता। एतद्नुसार जो तार और केबल उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आते, उन पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के अनुसार शुल्क निर्धारण किया जायेगा।

यह सच है कि अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, शुल्क निर्धारण एकक सं० viii/3 ने, दिनांक 20 अप्रैल 1974 की अधिसूचना सं० 76/74 के० उ० शु० के परन्तुक 3 को ध्यान में रखते हुए आई० टी० डी० विशिष्टि सं० एस डब्ल्यू सी-101-ए को मानक विशिष्टि नहीं माना।

(ग) संगत सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) 20 जुलाई, 1973 को जारी किये गये एक आदेश में कलकत्ता में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंधित सहायक समाहर्ता, ने निर्णय किया है कि उक्त ए०सी०एस०आर० कण्डक्टर्स का निर्माण खरीददार द्वारा दी गयी विशेष विशिष्टियों के अनुसार किया गया था और इसलिये वे दिनांक 20 अप्रैल, 1974 की अधिसूचना सं० 76/74–के०उ०शु० के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण किये जाने योग्य नहीं है।

परन्तु, पार्टी ने इस बीच कलकत्ता में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के अपीलीय समाहर्ता के समक्ष अपील दायर कर दी है, जिसे अभी इस संबंध में फैसला करना है।

विश्व बैंक से ऋण

2619. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को विश्व बैंक समूह से निर्यात क्षमता वाले उद्योगों सहित लघु उद्योगों विकास के संवर्धन के लिए अतिरिक्त सहायता प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सहायता चुने हुए उद्योगों को दी जायेगी अथवा सामान्य रूप से दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विश्व बैंक समूह ने छोटे और दरमियाने दर्जे के उद्यमों की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए 18.75 करोड़ रुपय (250 लाख डालर) का ऋण दिया है। भारत सरकार छोटे उद्योगों, जिनमें निर्यात क्षमता रखने वाले उद्योग भी शामिल है, के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बैंक समूह से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है। इस उद्देश्य से ऐसी एक परियोजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था, जिसके लिए अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है और इसकी रिपोर्ट अभी मिली नहीं है। इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि यह सहायता चयनात्मक होगी या सामान्य होगी।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार

2620. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका वस्तु विनिमय के आधार पर भारत से व्यापार बढाने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) क्या भारतीय निर्माताओं ने इस बारे में अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अमरीका के साथ किसी भी वस्तु विनिमय सौदे के लिए कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

आयात में अत्याधिक वृद्धि

2621. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यानों के आयात में मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप पिछले वर्ष किये गये आयात की अपेक्षा आयात में 44.3 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या इसका सामना करने के लिए चीनी, चाय और लोह अयस्क तथा पटसन, जैसी उन वस्तुओं के, जिनमें हमारी स्थिति सुविधाजनक है, निर्यात की मात्रा तथा मूल्य में वृद्धि करने की विश्व समुदाय की प्रवृत्तियों का लाभ उठान के लिए दृढ प्रयास किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973-74 के लिए अनन्तिम आयात आंकडे वर्ष के दौरान आयातों में 44.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं । आयातों में वृद्धि खाद्यानों के अलावा, तेल तथा तेल उत्पादें उर्वरकों, रासायनिक पदार्थों इस्पात मशीनरी आदि जैसी प्रायः सभी मुख्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण थी ।

(ख) जी हां । सरकार की नीति चीनी, चाय, लोह अयस्क पटसन निर्मित वस्तुओं आदि जैसी सुस्थापित मदों के अलावा निर्यात संभाव्यता वाली सभी वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहन देने की है ।

नारियल जटा और नारियल जटा से बने उत्पादों का निर्यात

2622. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में नारियल जटा से बने उत्पादों का निर्यात उक्त वर्ष के लये निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है;

(ख) क्या सरकार विदेशी खरीदारों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और अन्यत्र यंत्रोकृत उद्योग को चुनौती का मुकाबला करने के उद्देश्य से नारियल जटा उद्योग का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मुख्यता निर्यात बाजार के लिए कतिपय प्रकार की चटाइयों तथा मैटिंग के उत्पादन के लिए मशीनीकरण करने का विचार है । मशीनीकरण का कार्य इस तरीके से शुरू किया जाएगा जिसमें कयर उद्योग में लगे श्रमिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे ।

Financial Assistance to States for Relief Works

2623. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the funds given to the various States by the Central Government for relief works during the years 1973-74 and 1974-75;

(b) the basis on which the amount is allocated for every State ; and

(c) the amount demanded by the Madhya Pradesh Government for relief works during the said years and the amount actually given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) A statement showing Central assistance released during 1973-74 to State Governments for natural calamities relief expenditure is annexed. This assistance was provided on the basis of the recommendations of the Central teams which visited the States and made an assessment of the situation.

As regards 1974-75, following the recommendations of the Sixth Finance Commission, the previous scheme of Central assistance to States for natural calamity relief expenditure has been rescinded with effect from 1st April, 1974.

(c) The Government of Madhya Pradesh reported that an amount of Rs. 9·60 crores was incurred on drought relief measures in 1972-73 and 1973-74 and another sum of Rs. 2·22 crores was anticipated on flood relief measures in 1973-74. On the basis of this expenditure and in the light of the recommendations of the Central teams, a sum of Rs. 6·69 crores was released to the State Government in 1973-74. subject to further adjustment on the basis of the audited figures of expenditure. No request for financial assistance in 1974-75 so far has been received from the State Government.

STATEMENT

The funds released to States during 1973-74 towards natural calamities relief expenditure are as follows :

		(Rs. in Crores)
1.	Andhra Pradesh	15·00
2.	Assam	5·00
3.	Bihar	1·70
4.	Gujarat	56·25
5.	Jammu & Kashmir	2·7
6.	Karnataka	26·37
7.	Kerala	1·13
8.	Madhya Pradesh	6·69
9.	Maharashtra	114·09
10.	Orissa	9·10
11.	Rajasthan	38·50
12.	Tamil Nadu	5·00
13.	Tripura	1·00
14.	Uttar Pradesh	16·25
15.	West Bengal	4·50
	TOTAL	303·33

NOTE : The figures given above includes amounts released as arrears of assistance.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों, कम्पनियों और निगमों को दिये गये ऋण

2624. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 वर्षों के दौरान (एक) कृषि, (दो) बड़े उद्योगों, (तीन) छोटे पैमाने के उद्योगों, (चार) व्यापार और वाणिज्य, (पांच) गृह निर्माण, (छः) विकास परियोजनाओं, और (सात) अन्य प्रयोजनों से सम्बन्धित कार्यों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों, कम्पनियों अथवा निगमों को कितनी राशि दी गयी;

(ख) राज्यवार कितनी-कितनी राशि दी गयी;

(ग) इसी अवधि के दौरान ऋण चुकाने की निश्चित तिथियों के पश्चात ऋणों की कितनी राशि चुकानी बकाया रही; और

(घ) ऐसे चुकाये न गये ऋणों की राज्य वार राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना यथा संभव इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व बाजार में तांबे के मूल्य में गिरावट

2626. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में तांबे के मूल्य में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार और तांबे के निर्यात पर तांबे के मूल्य में उक्त कमी के प्रतिकूल प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) तांबे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, जिसमें वर्ष 1973 में और 1974 की प्रथम कुछ महीनों में तीव्र वृद्धि आई थी, हाल के महीनों में कुछ गिरावट आई है। भारत तांबे का निर्यात नहीं करता बल्कि पर्याप्त मात्रा में इसका आयात करता है। कीमत में इन उतार चढावों के प्रभाव का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के रुप में स्थिरता आने के बाद ही लगाया जा सकता है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंक को स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र

2627. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1974 तक की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया को, राज्यवार, स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) इसी अवधि के दौरान राज्य वार कितने आवेदन पत्रों को मंजूर किया गया; और वे कितनी-कितनी राशि के थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आंकडे रखने के मौजूदा प्रबन्धों के अनुसार, प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में ब्योरे वार जानकारी संकलित नहीं की जाती। स्वयं काम करने वालों की योजनाओं के सम्बन्ध में दिये गये

अग्रिमों के आंकड़े आमतौर पर पेशेवार और "स्वयं काम करने वाले व्यक्ति" को प्राथमिकता वाली श्रेणी के अन्तर्गत रखे जाते है, जिसके सम्बन्ध में सबसे हाल के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8209/74]**

चमड़े की निर्मित वस्तुओं का निर्यात

2628. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़े की निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने के लिये आधारभूत ढांचा बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में अब तक कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों के स्थान पर तैयार चमड़े तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं के निर्यात करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। वे ये हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में व्यवस्था की गई है कि ई० आई० कमाई हुई तथा क्रीम खालों तथा चमड़ियों के आधार पर जो 3 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है उस आयात प्रतिपूर्ति का कम से कम 2/3 भाग संतुलित आधुनिकीकरण तथा विभिन्न विस्तार कार्यों के लिए आवश्यक मशीनों, पुर्जों तथा उपस्करों के आयात के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग में लाना होगा।

(2) तैयार चमड़े, चमड़ा निर्मित वस्तुओं तथा जूतों के विनिर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी की एक व्यापक सूची तैयार की है। तकनीकी विकास महानिदेशालय से हर बार सम्पर्क स्थापित किये बिना विनिर्माताओं को मशीनरी की इन मदों के आयात की अनुमति है।

(3) आयात प्रतिपूर्ति के आधार पर जिन रासायनिक पदार्थों तथा रंजकों के आयात की अनुमति है उनकी सूची का भी विस्तार किया गया है।

(4) अर्ध-साधित चमड़े के विनिर्माता अपनी अर्ध-साधित क्षमता के बराबर पूरी सीमा तक तैयार चमड़ा विनिर्माण करने की क्षमता स्थापित कर सकते हैं और उन्हें इस काम के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। वे उस मशीनरी को खरीद कर सकते हैं जो स्वदेशी बाजारों में उपलब्ध हो तथा जो स्वदेशी बाजारों में उपलब्ध नहीं है, उस पुंजीगत मशीनरी के आयात की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तैयार चमड़ा तैयार करने की क्षमता स्थापित कर लेने के पश्चात वे तैयार चमड़े के उत्पादन के लिए अपने लाइसेंसों का पृष्ठांकन करा सकते हैं। इससे अर्ध-साधित चमड़े के विनिर्माण की क्षमता को तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में उत्तरोत्तर बदलने में सहायता मिलेगी।

(5) तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए नये एकक स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। वे अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों से शुरुआत करेंगे। विदेशी कम्पनियों व बड़े औद्योगिक गृहों के संबंध में तथा ऐसे मामलों में जिनमें विदेशी सहयोग अन्तर्गस्त है, पर्याप्त निर्यात दायित्व निर्धारित किये जाएंगे।

(6) तैयार चमड़े व चमड़ा निर्मित वस्तुओं तथा (ख) चमड़े के जूतों व संघटकों के निर्यात पर हवाई भाड़ा उपदान दिया जाता है।

(ग) तैयार चमड़े की वस्तुओं तथा चमड़े के जुतों के नियातों से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशी निम्नोक्त प्रकार है :--

(मूल्य करोड़ रु. में)

	1972-73	1973-74 (प्राक्कलित)
तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं जिन में फर भी शामिल हैं।	23.62	19.62
चमड़े के जूते/संघटक	10.27	11.48

जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता लेने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाएं

2629. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता लेने के बारे में केरल सरकार तथा अन्य अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत योजनाओं का स्वरुप क्या है;

(ख) उनमें से कितनी योजनाओं को जीवन बीमा निगम ने स्वीकृति दी है और उक्त योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) कितनी योजनाएं अभी भी जीवन बीमा निगम के विचाराधीन हैं और कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1974-75 में केरल सरकार द्वारा तथा उस राज्य में स्थित अर्ध-सरकारी संस्थाओं द्वारा जीवन बीमा निगम के वित्तीय सहायता के लिए पेश की गयी योजनाएं

(करोड़ रुपयों में)

योजना	मांगी गयी सहायता	जीवन बीमा निगम द्वारा आवंटित रकम	टिप्पणी
1. इडिक्की बिजली परियोजना	3.60		यह परियोजना जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है। इस महीने के अन्त में फैसला हो जाने की आशा है।
2. पांचवीं आयोजना के दौरान केरल राज्य का बिजली पैदा करने का द्रुतगामी कार्यक्रम	50.00*	..	प्रस्ताव की जीवन बीमा निगम द्वारा जांच की जा रही है।

* सम्पूर्ण पांचवी आयोजना की अवधि के लिए।

(करोड रुपयों में)

योजना	मांगी गयी सहायता	जीवन बीमा निगम द्वारा आबंटित रकम	टिप्पणी
3. गांवों में पाइपों द्वारा जलपूर्ति की मौजूदा 204 योजनाएं	0.65	0.50	
4. गांवों में पाइपों द्वारा जलपूर्ति की 139 नयी योजनाएं	0.25		प्रस्ताव की जीवन बीमा निगम द्वारा जांच की जा रही है।
5. "एक लाख घर" बनाने की योजना .	1.50	1.50	..
6. प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों को ऋण देना	0.50	..	प्रस्ताव की जीवन बीमा निगम द्वारा जांच की जा रही है।

Agreement for Import of Paper

2630. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether in view of the shortage of paper and its future ill effect, Government have entered into any new trade agreement during the last two or three months ; and

(b) if so, the facts of the agreement and the quantity of paper to be imported from other countries indicating the names of these countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) While every effort is being made to correct the present imbalance between supply and demand, no proposal to import paper is under consideration.

धार्मिक यात्री केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

2631. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कुछ धार्मिक यात्री केन्द्रों के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र भी हैं केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) केरल सरकार से सबरिमलई, गुरुवायुर, मलयाथुर, एवं मम्बुरम् पर तीर्थ-यात्रियों के लिए सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रिय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। सीमित साधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण इन स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निधियों का प्रबंध संभव नही हो पाया है। वस्तुतः तीर्थ-स्थलों का विकास मूल रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

Price of Tea

2632. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are unable to check the continuous rise in prices of tea; and

(b) the extent to which its prices were increased during the last three years indicating dates on which they were increased ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) Teas are normally sold through auctions both for internal consumption and exports, and Government do not fix prices. The average prices of itea realised in Calcutta and Cochin auctions are set out below for the period indicated against each :—

Seasonal Years	Calcutta Rs./Kg.	Years	Cochin Rs./Kg.
1971-72 .	7·13	1971	6·31
1972-73	6·82	1972	6·26
1973-74 . . .	7·73	1973	5·99

(Prices are inclusive of excise duty)

नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

2633. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जो भारत से नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों का आयात करते हैं; और

(ख) 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान इस प्रकार के निर्यात से ऐसे देशों से देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1973-74 में 82 देशों ने भारत से कयर तथा कयर उत्पादों का आयात किया। प्रमुख आयातक देशों के नामों और 1972-73 के दौरान उन देशों को किये गये कयर उत्पादों के निर्यातों के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश का नाम	लाख रुपयों में 1972-73	लाख रुपयों में 1973-74
1. आस्ट्रेलिया	46.93	68.63
2. कनाडा	36.60	34.77
3. पूर्व जर्मनी	35.25	33.02

देश का नाम	लाख रुपयों में	
	1972-73	1973-74
4. फ्रांस	176.35	145.84
5. जापान	21.17	17.87
6. ब्रिटेन	221.32	175.11
7. सोवियत संघ	82.07	49.15
8. युगोस्लाविया	17.92	18.54
9. चैकोस्लोवाकिया	3.44	33.11
10. बल्गारिया	19.81	7.73
11. पोलैंड	18.52	28.83
12. संयुक्त राज्य अमरीका	170.03	191.90
13. यूनान	17.84	20.94
14. पश्चिम जर्मनी	131.31	112.86
15. स्विट्जरलैंड	29.63	10.82
16. बर्मा	17.67	24.30
17. स्पेन	19.35	29.23
18. नीदरलैंड	127.89	112.12
19. इटली	115.22	179.69
20. बेल्जियम	30.26	71.54
21. डेनमार्क	39.12	45.41
22. टर्की	11.64	11.78

वर्ष 1973–74 के बजट में दिखाया गया घाटा

2634. **श्री मुरासोली मारन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में दिखाए गए बजट 320 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे में आयातित गेहूं पर हुआ खर्च भी सम्मिलित है अथवा उसे बैंकों पर डाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1973-74 में विदेशों से अनाज मंगवाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को जितने ऋण दिये गये थे उनमें से निगम ने 6 करोड़ रुपये की रकम को छोड़कर बाकी सभी ऋणों की रकमें वापस कर दी है।

खाद्य निगम द्वारा बैंक से लिये गये ऋणों की रकम 1973-74 के अन्त में 289 करोड़ रुपया थी जबकि उसके मुकाबले में वर्ष के प्रारम्भ में यह रकम 284 करोड़ रुपया थी। निगम द्वारा लिया गया ऋण उसकी धन सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जिसमें आयात पर होने वाले खर्च की रकम भी शामिल है।

वित्तीय वर्ष 1973–74 में बजट में दिखाया गया घाटा

2635. श्री मुरासोली मारन : क्या वित्त मंत्री 4 मई, 1974 को संसद में दिये गये अपने भाषण के संबंध में जिसमें उन्होंने कहा था कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के बजट में वास्तविक घाटा 320 करोड़ रुपये का था यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्तविक घाटे के ये आंकड़े वित्तीय वर्ष के अन्तिम शुक्रवार अथवा 31 मार्च को उपलब्ध थे, और

(ख) उन दो दिनों के घाटे के सही आंकड़े क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मार्च, 1974 के अन्तिम शुक्रवार को बजट में 208.77 करोड़ रुपये का घाटा था और भारतीय रिजर्व बैंक की किताबों के अनुसार 1973-74 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी समायोजन करने के बाद बजट में 318.67 करोड़ रुपये का घाटा था।

वर्ष 1974–75 मे बजट में अनुमानित घाटा

2636. श्री मुरासोली मारन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 के बजट में 125 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है ;

(ख) क्या 1973–74 के बजट में वास्तविक घाटा 320 करोड़ रुपये का था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें सरकार द्वारा तदर्थ ट्रेजरी बिलों के रूप में निकट बैंक से लिया गया उधार और रिजर्व बैंक से अन्य रूपों में लिया गया उधार भी सम्मिलित है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 1974–75 के लिए अन्तिम रूप से स्वीकृत बजट में 125.92 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है।

(ख) रिजर्व बैंक की किताबों के मुताबिक 1973–74 के बजट मे 318.67 करोड़ रुपये का वास्तविक घाटा हुआ था।

(ग) और (घ) बजट के घाटे का हिसाब किताब निम्नलिखित बातों के आधार पर लगाया गया था :—

	1973–74	1974–75
1. राजकोष हुंडियों की निवल वृद्धि, जिसमें तदर्थ आधार पर रिजर्व बैंक को जारी की गयी हुंडियां भी शामिल है।	340.41	125.78

	1973-74	1974-75
2. तदर्थ प्रतिभूतियों को लम्बी अवधि की प्रतिभूतियों में बदलना .	100.00	
3. नकद शेष मे घट बढ़ . . .	— 121.74	0.14
(—वृद्धि+कमी) .	318.67	125.92

पर्यटक गाइडों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

2637. **श्री नारायण चंद पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे कोई संस्थान हैं जहां पर्यटक गाइडों के रूप में काम करने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो ये संस्थान कौन कौन से हैं और इनमें प्रवेश लेने का तरीका क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटक गाइड II महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर स्थित भारत सरकार के क्षेत्र-पर्यटन कार्यालयों द्वारा प्रशिक्षित किये जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 3 मास होती है तथा इस में उपयुक्त विश्वविद्यालयीन स्नातकों को प्रवेश दिया जाता है । जो इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं उन्हें पर्यटन विभाग के अनुमोदित गाइडों के रुप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी किये जाते हैं ।

सभी निर्माण एककों पर अनिवार्य निर्यात बाध्यता लागू करना

2638. **श्री वसन्त साठे** :
श्री घामनकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे औद्योगिक एककों सहित सभी निर्माण एककों पर अनिवार्य निर्यात बाध्यता लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बाध्यता सभी एककों पर इस बात पर ध्यान दिये बिना एक समान रूप से लागू होगी कि उन्हें विदेशी मुद्रा का नियतन होना है अथवा नहीं ;

(ग) इस प्रकार के निर्णय करने के क्या आधार हैं ; और

(घ) क्या सरकार में निर्यात की अधिक सम्भावनाओं वाले उत्पादनों का निर्धारण किया है और क्या कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई गई आयातित वस्तुओं के अधिक मूल्यों के लिये निर्यात वचन बद्धता वाले उद्योगों की क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) औद्योगिक एककों पर निर्यात बाध्यताएं लाइसेंस समिति, विदेश निवेश बोर्ड तथा पूंजीगत माल समिति द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण और फरवरी 1973 में घोषित लाइसेंस नीति के संदर्भ में लगाई जाती है । निर्यात बाध्यताएं लागू करते समय उत्पाद की निर्यात संभाव्यता, निबल विदेशी मुद्रा उपार्जन और सम्बन्धित उद्योग के विकास की वर्तमान अवस्था के संदर्भ में उत्पाद के निर्यात की वांछनीयता और अन्य संगत उत्पादनों पर भी विचार किया जाता है ।

(घ) निर्यात संभाव्यता वाली मदों का पता लगाना एक अनवरत प्रक्रिया है और इस प्रकार ज्ञात हुए उत्पादों की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जाती है। निर्यात किये जाने वाले विभिन्न उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में भी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत एकत्रित राशि

2639. श्री वसन्त साठे :
श्री धामनकर

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के दौरान लघु बचतों की कुल कितनी राशि एकत्रित हुई ;

(ख) क्या समाज के गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग के अंशदान का कोई विश्लेषण किया गया है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) छोटे किसानों तथा कम आय तथा निश्चित आय वाले वर्गों की बचत करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कौन से विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लगभग 1350 करोड़ रुपये (निवल)।

(ख) अल्प बचत संग्रह के आंकड़े इन बचत योजनाओं में धन लगाने वाले लोगों की आय के अनुसार नहीं रखे जाते।

(ग) छोटे किसानों और कम आमदनी वाले लोगों और बंधी आमदनी वाले लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किये गये कुछ उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) विभागेतर शाखा डाकपालों को डाकघर मीयादी जमा पर और उनके डाकघरो मे डाकघर बचत बैंक खातों में जमा रकमों में होने वाली निवल वृद्धि पर कमीशन के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है।

(ii) 5 रुपये और 10 रुपये वाली 5-वर्षीय आवर्ती जमा रकमों पर लागू सुरक्षित बचत योजना में इस बात की व्यवस्था है कि जमाकर्त्ता की मृत्यु हो जाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अवधि पूरी होने पर मिलने वाली पूरी राशि की अदायगी की जाय बशर्ते कि खाते में 24 महीनों के लिए विना किसी चूक के रकम जमा की जाती रही हो।

(iii) डाकघर इनामी प्रोत्साहन योजना मे, जो दिसम्बर, 1973 से शुरू की गयी है, इस बात की व्यवस्था है कि जिन लोगों ने डाकघर बचत बैंक खाते खोल रखें हों और प्रत्येक वर्ष अप्रैल-सितम्बर और अक्टूबर-मार्च की अवधियों में कम से कम 200 रुपये जमा रखे हों, उन्हें वर्ष में दो बार कुल 20.50 लाख रुपये के इनाम दिये जायें।

(iv) अल्प बचत प्रतिभूतियों के ब्याज की दर में 23 जुलाई, 1974 से 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गयी है।

Promotion of mica trade

2640. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government for the promotion of mica trade during the last three years and whether Government have formulated any concrete scheme for its promotion ; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) : Government have been taking various measures for promoting export of mica trade A Committee named Mica Advisory Committee was set upto consider steps which should be taken to increase production and export of mica. As a result of the recommendations made by the Committee the following measures have been taken in the last three years :—

(i) Effective from 1st January 1973, export duty on higher-grades of mica was reduced from 40% to 30% *advalorem*; of medium grades from 40% to 20% *ad valorem*, and of lower grades of loose splittings from 20% to 15% *ad val.*

(ii) Floor prices of mica were raised in January, 1973 and revised further in February 1974, with a view to boosting production and consequently export of mica.

(iii) Assistance was provided to the mica industry to increase production of fabricated and manufactured mica products and their export.

(iv) Mica Trading Corporation, as a subsidiary to the Minerals and Metals Trading Corporation, has been set up to procure, process and export mica with a view to assisting the weaker section of mica trade to participate in exports of mica to foreign countries.

Overdraft By Bihar

2641. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased state :

(a) the overdrafts drawn by the Government of Bihar from Reserve Bank as on the 31st July, 1974 ; and

(b) the overdrafts drawn by the Government of Bihar as on the 31st July, 1973 ?

The Minister of State in th Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Rs. 42·07 crores.

(b) Rs. 0·84 crores.

पर्यटक स्थल के रूप में दार्जिलिंग का प्रचार

2642. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मे दार्जिलिग एक प्रसिद्ध दर्शनीय पर्वतीय स्थल है और विदेशी पर्यटकों के लिए भी यह एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है; और

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से पर्यटक स्थल के रुप में दार्जिलिंग के बारे में विदेशों में कोई प्रचार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यटन विभाग ने पश्चिमी बंगाल सरकार के माध्यम से दार्जीलिंग के बारे में 'दार्जीलिंग दी हिमालियन फेन्टेसी' नाम से एक वृत्त-चित्र बनाने की व्यवस्था की है। दार्जीलिंग का एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रुप में प्रचार करने की दृष्टि से इस वृत्त-चित्र के प्रिंट भारत तथा विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों मे वितरित करने के लिये तैयार किये जा रहेहैं । पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पर्यटक प्रचार-साहित्य में दार्जीलिंग भी सम्मिलित किया गया है ।

पर्यटन स्थल के रूप में सुंदरबन का विकास करने के लिए बृहत् योजना

2643. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के वन पर्यटकों के लिए अत्याधिक आकर्षक स्थल हो सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुन्दरबन भारत के पर्यटन मान-चित्र मे हैं ; और

(ग) क्या पर्यटन स्थल के रुप में सुन्दरबन का विकास करने के लिए कोई बृहत् योजना तैयार की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) शेरों के संरक्षण एवं प्रजनन के लिये 'टाइगर प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत 9 पशु-शरणस्थानों में से सुन्दरबन भी एक है। राज्य सरकार द्वारा इस पशु-शरणस्थान के लिये सीजनल संदर्शित यात्राओं का भी प्रबंध किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमताओं का उपयोग

2644. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता के उपयोग सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान पनपने की अवस्था को पार कर चुके हैं ;

(ख) जहां कहीं क्षमता का कम उपयोग हुआ है उसके क्या कारण है ; और

(ग) इन उपक्रमों के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा निभायी गयी भूमिका का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गयी है।

(ख) क्षमता के उपयोग में कमी के ये प्रमुख कारण थे :

(i) उपस्कर की बनावट में खराबियां और कमियां

(ii) बिजली की कमी और बिजली फेल हो जाना

(iii) अनुरक्षण के लिए काम बन्द रखने का समय अधिक होना

(iv) कच्चे माल का अभाव और घटियापन

(v) श्रमिक अशान्ति

(vi) श्रमिक उत्पादकता में कमी

(vii) कुछ मामलों में मांग की कमी होना

(viii) जटिल इंजीनियरी संयंत्रों में आधुनिकतम उपस्कर और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक क्रियात्मक और तकनीकी कौशल विकसित करने तथा डिजाइन, सांचा-औजार और उत्पादन बढ़ाने वाली अन्य सेवाएं स्थापित करने में समय लगना।

(ग) सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी उपक्रमों की उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है :

(i) परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में मितव्ययता बरतने के सभी तरीकों का पता लगाना ;

(ii) उद्यमों की प्रगति में बाधक कारणों का पता लगाने तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उनके कार्य का निरन्तर मूल्यांकन करना ;

(iii) प्रबन्ध सम्बन्धी नयी तकनीक जैसे 'कार्यक्रम-मूल्यांकन-समीक्षा-तकनीक' (पर्ट) क्रान्तिक पथ-पद्धति' (सी० पी० एम०) और उद्देश्यपूरक प्रबन्ध व्यवस्था (एम० बी० ओ०) आदि शुरू करना ;

(iv) उपक्रमों को निवारक अनुरक्षण के बारे में सलाह देना ;

(v) बेहतर सामग्री-प्रबन्ध ;

(vi) प्रबन्धकों का चयन, विकास और प्रशिक्षण ;

(vii) मजदूरी और कार्मिक नीतियों का युक्तिकरण ;

(viii) कार्य-संचालन के मूल्यांकन और नियंत्रण के लिए अच्छी प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली ;

(ix) वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करना ;

(x) उपक्रमों को सरकार के साथ अपने मामले निपटाने में सहायता देना ;

(xi) जहां आवश्यक हो वहां दोष-निवारक अध्ययन करना ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जो उद्यम/एकक पनपने की स्थिति को पार कर गये हैं उनके क्षमता के उपयोग सम्बन्धी आंकड़े

	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	
	1972-73	1973-74
1. भारत हैवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लि०	27	31
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार	24	44
3. भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, कुरकुन्ता एकक	47	55
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	54	69
5. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	79	76

विभिन्न राज्य पर्यटन विभागों को दी गई सहायता

2645. श्री शंकरराव सावन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय राज्य पर्यटन विभागों की किस प्रकार सहायता करता है ;

(ख) वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 में जून के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग को कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य पर्यटन विभागों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन आवश्यक रूप से एक सहकारी उद्यम है जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकार तथा कई अन्य अभिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निबाहते हैं। प्रथम, केन्द्र द्वारा राज्यों में पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण-स्थलों पर कई पर्यटन स्कीमें प्रारंभ की जाती हैं। द्वितीय, केन्द्र सरकार देश में पर्यटन की अभिवृद्धि एवं विकास के लिये किये गये विभिन्न उपायों के लिये राज्य सरकारों की सहायता करती है। तृतीय, केन्द्र राज्यों में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों तथा सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिए भारत के अन्दर तथा विदेशों में प्रचार कार्य करता है। चतुर्थ, केन्द्र कई अन्य प्रकार से भी सहायता करता है: जैसे गाइडों तथा अन्य पर्यटन कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कारों का आबंटन, होटलों का निर्माण आदि, आदि।

(ख) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय क्षेत्र की पर्यटन स्कीमों पर 9.38 लाख रुपये खर्च किये गये थे।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्यीय क्षेत्रों की पर्यटन स्कीमों का समन्वयन राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों तथा पंचवर्षीय योजनाओं एवं तत्पश्चात् वार्षिक योजनाओं को बनाते समय योजना आयोग के कार्यकारी दल के साथ आयोजना स्तर पर विचार विमर्श के द्वारा किया जाता है। इसे पर्यटन विकास परिषद् तथा राज्य पर्यटन परामर्शदात्री परिषदों की बैठकों में विचार-विमर्श के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर

2646. श्री शंकरराव सावंत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 में सरकार द्वारा लिए गये ऋणो पर ब्याज की दर क्या थी और वर्ष 1974-75 में ब्याज की दर क्या ली जा रही है ;

(ख) इन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर क्या थी और क्या ली जा रही है ; और

(ग) ऋण के ऊपर ब्याज की अब अधिक दर का उद्योग, सामान्य अर्थव्यवस्था तथा मूल्यों पर क्या प्रभाव पडेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणो की ब्याज दरें और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली रकमों के ब्याज की दरों का ब्योरा अनुबन्ध एक और दो में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8210/74]**

(ग) बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के व्याज की दर ऋणों पर रोक लगाने और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण को सीमित करने के उद्देश्य से बढाई गयी हैं क्योंकि 1973-74 से मुद्रा के प्रसार में जो वृद्धि हुई है उसका एक बड़ा कारण उक्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण ही है। व्याज की दरों में वृद्धि करने का औद्योगिक लागत पर जो प्रभाव पड़ेगा वह सम्भवतः न के बराबर होगा क्योंकि संगठित उद्योग की उत्पादन लागत के अनुपात में व्याज की राशि बहुत कम (2–3 प्रतिशत) बैठती है। इसके अलावा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे निर्यात और अनाज की वसूली करने के लिए दिये जाने वाले ऋणों की व्याज दर में कुछ रियायत दी जाती है। जहां तक सामान्य अर्थ-व्यवस्था और कीमतों पर इसके प्रभाव का सवाल है, आशा है कि ऋणों के व्याज की दरें बढ़ा दिये जाने से मुद्रा का फैलाव रोका जा सकेगा और इस तरह संभवतः सामान्य आर्थिक स्थिति को सुधारने में इससे बड़ी मदद मिलेगी।

भारतीय पटसन निगम द्वारा बड़े पटसन उद्योगपतियों से वसूल की जाने वाली राशि

2647. श्री प्रिय रंजन दास मूंशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम द्वारा कलकत्ता में मेगलिओड कम्पनी तथा अन्य बड़े पटसन उद्योगपतिय से वास्तव में कितनी राशि वसूल की जानी है ;

(ख) क्या पटसन निगम के बोर्ड में पटसन उद्योगपतियों के प्रबन्धक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बड़े व्यापार गृहों के हस्तक्षेप के बिना पटसन निगम किस प्रकार प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 27 जुलाई, 1974 को भारती पटसन निगम को विभिन्न पटसन मिलों से लगभग 15.93 करोड़ रुपये की राशि लेनी थी।

(ख) तथा (ग) भारतीय पटसन निगम के निदेशक बोर्ड के 10 निदेशकों में से केवल दो उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शेष या तो कार्य निदेशक हैं या वे केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लम्बे रेशे वाली रुई किसानों के पास जमा हो जाने की समस्या

2648. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों के पास लम्बे रेशे वाली रुई जमा हो जाने की समस्या का समाधान करने के लिए गुजरात सरकार को कोई निदेश दिया है ;

(ख) क्या गुजरात के राज्यपाल के परामर्शदाता ने उनके साथ जुलाई 1974 में विचार विमर्श किया था और ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) गुजरात में अनबिकी रुई की समस्या को हल करने के लिए 6-8-1974 से मिलों पर लगी स्टाक सीमा के संबंध में अहमदाबाद और बम्बई में स्थित मिलों के मामले में उस हद तक छूट दे दी गई है कि वे देश में अन्यत्र स्थित मिलों के मामले में एक वर्ष छः माह की अपेक्षा अपनी दो मास की औसत खपत के बराबर रुई की खरीद कर सकें। निगम को अधिक ऋण सुविधाएं देने की संभाव्यता की सक्रिय रूप से विचाराधीन है। जिससे निगम गुजरात में रुई की कुछ अतिरिक्त खरीदारियां कर सके।

पर्यटकों को एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करने को आकर्षित करने की योजना

2649. श्री वयालर रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों को एयर इण्डिया द्वारा यात्रा करने को आकर्षित करने की कोई विशेष योजना लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की संक्षिप्त रुप-रेखा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) भारत के लिए पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि के लिए इस समय कई अभिवृद्धिपर किराये उपलब्ध हैं । इस के अतिरिक्त, एयर-इण्डिया की 1,000 अमरीकी डालर में विशेष विश्व भ्रमण ग्रुप टूर प्रारंभ करने की योजना है । यह किराया सुविधा 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के ग्रुप को उपलब्ध होगी । इस धनराशि में स्थल-प्रबंधों, जैसे होटल आवास, भू-परिवहन तथा स्थल-दर्शन की लागत जोड़ी जाएगी ।

यह किराया आई० ए० टी० ए० के माध्यम से प्रारंभ करने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव को अगले आई० ए० टी० ए० यातायात सम्मेलन की विषय-सूची पर रखा जाएगा ।

राज्य व्यापार निगम के पास पड़ा आयातित खाद्य तेल

2650. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का एक कारण यह है कि जून, 1974 से पूर्व विद्यमान मूल्य निर्धारण पद्धति के अन्तर्गत रुके पड़े आयातित तेल को रिलीज करने के मामले में सरकार अनिश्चितता की स्थिति में रही है; और

(ख) मई, 1974 के अन्त में भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास कुल कितनी मात्रा आयातित खाद्य तेल पड़ा था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) 5060 मे० टन ।

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

2651. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग अप्रैल-जून 1974 के दौरान नियंत्रित कपड़े का उस मात्रा में उत्पादन कर पाया था जिस की परिकल्पना नियंत्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत की गयी थी ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ;

(ग) क्या कपड़ा उद्योग पर उनके दायित्वों को पूरा न करने के लिये कोई जुर्माना लगाया गया था ; और

(घ) इस अवधि दौरान वसूल किये गये जुर्माने की कुल राशि क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) यद्यपि अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु अप्रैल–जून, 1974 की तिमाही के दौरान मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन दायित्व की अपेक्षा कम होगा । यह इस बात के कारण है कि मिलों ने अप्रैल, 1974

में घोषित नई नीति के अनुसार अपने उत्पादन कार्यक्रम के समागार योजन में कुछ समय के लिए था। उपर्युक्त रुइयों की प्राप्यता, रुइ स्टाक रखने के लिए मिलों पर लगाए प्रतिबन्ध और कुछ राज्यों में बिजली की कटौतियां जैसे अन्य कुछ ऐसे कारण थे जिनसे मिलें पूर्ण सीमा तक नियंत्रित कपड़ें का उत्पादन करने का अपना दायित्व पूरा न कर सकी। इन बातों को देखते हुए मिलों को अप्रैल-जून, 1974 के दौरान उत्पादन में हुयी गिरावट को सितम्बर, 1974 के अन्त तक पूरा करने की अनुमति दी गई है। अतः इस अवस्था में जुर्माना लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली के आयकर आयुक्त रेंज दो के कार्यालय में अपूर्ण रिकार्ड रखा जाना

2652. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के आयकर आयुक्त रेंज-दो के अन्तर्गत जिला आठ में अनेक वार्षिक डी० सी० रजिस्टर उचित ढंग से नहीं रखे जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक ऐसे करदाताओं को, जो पहले ही अपने कर का भुगतान कर चुके होते हैं उक्त जिले में कर की वसूली करने वाले कर्मचारियों द्वारा काफी परेशान किया जाता है और उन्हें रसीदों की फोटोस्टेट प्रतियां पेश करने के लिये कहा जाता है और यदि वे रसीदें पेश नहीं करते है, तो उनके विरुद्ध कर की वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है ;

(ख) उक्त जिले के वसूली कक्ष में तीन वर्षों से अधिक समय से कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ग) जनता को परेशानी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; ;और

(घ) क्या सरकार का विचार वार्षिक डी० सी० रजिस्टरों के स्थान पर अब सभी कर दाताओं के लेजर फोलियों रखने का है जबकि उन्हें स्थायी लेखा नम्बर आबंटित कर दिय गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नयी दिल्ली में आयकर के क्षेत्र VIII मांग तथा वसूली रजिस्टर समुचित रूप से रखे जाते हैं, और कर-निर्धारितियों द्वारा की गयी कर अदायगियों को विधिवत दर्ज किया जाता है। किन्तु, जिन मामलों में आय-कर कार्यालय में चालान की प्रतियां तत्काल उपलब्ध नहीं होती, उनमें सत्यापन करने एवं रजिस्टारों में प्रविष्टि की सुविधा के लिए कर निर्धारितियों को कहा जा रहा है कि वे अपनी चालान की प्रतियां प्रस्तुत करें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिन कर-निर्धारितियों ने पहले ही अदायगियां कर दी हैं, उनके मामले में वसूली-प्रक्रिया शुरू नहीं करनी पड़े तथा इसके परिणामतः होनेवाली परेशानी उन्हें नही हो। किसी भी मामले में फोटोस्टेट प्रतियां प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं किया गया है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) हिदायतें जारी की गयी हैं कि जनता की परेशानी टालने के लिए सभी कर-अदायगियों का समुचित समायोजन किया जाय।

(घ) सरकारने, आय-कर विभाग में हिसाब रखने तथा वसूली की प्रक्रिया की जांच करने और उनमें गति एवं कुशलता लाने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

लघुउद्योगों द्वारा सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात

2653. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली लघु उद्योग निगम ने विदेशों से सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात करने के ऋयादेश प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋयादेश प्राप्त हुए हैं और किन-किन देशों से ऐसे ऋयादेश प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) उन देशों में सिले सिलाये भारती कपड़ों को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों के माध्यम से तथा इस संबंध में प्रदर्शनियों का आयोजन करने संबंधी कार्यवाहियों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सिले सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए दिल्ली लघु उद्योग निगम ने ऋयादेश प्राप्त किए हैं ।

(ग) सरकार तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें दोनों ही विदेशों में विशेषतः सिले सिलाए परिधानों के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भाग ले रहे हैं तथा इन के भाग लेने के बड़े उत्साह-वर्धक परिणाम निकले हैं, क्योंकि परिधानों के निर्यात जो 1971–72 में 14 करोड़ रुपये के हुए थे वे 1973–74 में बढ़कर 40 करोड़ रुपये के हो गए हैं ।

भारत-अफगान व्यापार प्रोटोकोल

2655. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ष 1974–75 के लिए व्यापार प्रोटोकोल सम्पन्न हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस करार के परिणामस्वरूप कितने मूल्य की वस्तुएं आदान-प्रदान की जाएंगी ; और

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों को कहां तक लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) यद्यपि, भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई नया व्यापार संलेख सपन्न नहीं हुआ है, परन्तु दोनों सरकारों ने 1974–75 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह को विनियमित करने के लिए विशेष प्रबंध का हाल ही में पुनरीक्षण किया है । यह विनिश्चित किया गया है कि व्यापार को उसी आधार पर जारी रखा जाए जो पिछले दो वर्षों से चला आ रहा था । दोनों देशो के बीच जिन वस्तुओं का व्यापार होना है उनके ब्यौरो तीन वर्षों की अवधि के लिए 20-2–1972 को किए गए भारत–अफगान व्यापार प्रबन्ध में निहित हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । दोनों देशो के बीच व्यापार चलते रहने से निःसन्देह पारस्परिक वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे ।

आयकर सूची

2656. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया प्रत्येक महानगर में आयकर विभाग के सांख्यिकीय सेल को आयकर सूचियों की प्रति भेज रहा है ;

(ख) क्या इन सूचियों की कोई प्रति आयकर विभाग के संबंधित वसूली सेलों को नहीं भेजी जाती है जिसके कारण करदाता के दावे की जांच करने में कि कर का भुगतान कर दिया गया है, मुश्किल होती है और इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को बहुत असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार की सूचियों की कोई प्रति संबंधित आय-कर क्षेत्रों/मंडलों को नहीं भेजी जाती है । परन्तु, सूचियों में दिखाई गई अदायगियों को आयुक्त के कार्यालय के सांख्यिकीय अनुभाग में रखे गये क्षेत्रवार/मंडलवार रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जहां पर कर निर्धारिती का नाम, स्थायी लेखा संख्या, कर-निर्धारण वर्ष और कर को अदा की गई रकम रखी जाती है । अदायगियों को दर्ज करने के बाद, सूचियों के साथ प्राप्त चालानों के प्रतिपत्रकों संबंधित क्षेत्रों/मंडलों को भेज दिया जाता है क्षेत्रों/मंडलों के वसूली कक्षों में प्राप्त हुए चालानों से उन दैनिक वसूली रजिस्टरों और मांग तथा वसूली रजिस्टरों में प्रविस्टियों की जाती है जो वसूली कक्षों में रखे जाते हैं । अदायगियों की जांच, वसूली कक्ष में रखे गये दैनिक वसूली रजिस्टर मांग और वसूली रजिस्टर की प्रविष्टियों से अथवा आय-कर आयुक्त के कार्यालय के सांख्यिकीय सेल में रखे गये क्षेत्र-वार रजिस्टरों से की जाती है । इसलिये, वसूली कक्षों को कर-दाता के दावे की जांच के मामले में सूचियों के अभाव में, कोई कठिनाई नहीं होती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय बैंकों का कार्यकरण

2657. श्री भगीरथ भंवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने तथा कौन कौन से भारतीय बैंक काम कर रहे हैं ;

(ख) वे किन किन देशों में काम कर रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों की विकास दर क्या रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 1974 को 16 विभिन्न देशों में 8 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की 61 शाखाएं थीं । इन बैंकों के नाम और इन देशों के नाम' जहां ये शाखाएं काम कर रही हैं, अनुबन्ध में दिये गए हैं ।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि 1971 से 1973 तक की अवधि में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं की जमा रकमों और अग्रिमो में लगभग क्रमश: 57 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

अनुबन्ध

31 जुलाई, 1974 को विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक बंकों की शाखाओं का देशवार वितरण का ब्यौरा :—

क्रम संख्या	बैंक का नाम	देश का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	ब्रिटेन	2
		श्रीलंका	1
		संयुक्त राज्य अमेरिका	1
		सिक्कम	1
		मालदीव द्वीपसमूह	1
2.	बैंक आफ बड़ौदा	फिजी द्वीपसमूह	8
		गायना	2
		कैनिया	7
		मारिशस	5
		ब्रिटेन	4
		डूबाई	1
		आबू धाबी	1
3.	बैंक आफ इंडिया	हांग कांग	1
		जापान	2
		कैनिया	2
		सिंगापुर	1
		ब्रिटन	6
		फ्रांस	1
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	ब्रिटेन	1
5.	इंडियन बैंक	श्रीलंका	1
		सिंगापुर	1

क्रम संख्या	बैंक का नाम	देश का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
6	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	श्रीलंका	1
		हांगकांग	2
		सिंगापुर	1
7	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	हांगकांग	2
		सिंगापुर	3
		ब्रिटेन	1
8	भारत ओवरसीज़ बैंक लि०	थाइलैण्ड	1
		जोड़	61

टिप्पणी : 1. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक अर्थात तीन भारतीय बैंकों की मलेशिया में पहले की शाखाओं को अब यूनाइटेड एशियन बैंक, बरहड, क्वालालमपुर ने अपने अधिकार में ले लिया है, उपर्युक्त तीन भारतीय बैंकों की इस बैंक में तिहाई शेयर पूंजी है ।

2. यूगांडा और नाइजीरिया में बैंक आफ बड़ोदा और बैंक आफ इंडिया की सहायक शाखाएं हैं ।

3. स्टेट बैंक आफ सिक्कीम की शेयर पूंजी में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की 20 प्रतिशत शेयर पूंजी है । बैंक आफ भूटान की शेयर पूंजी में स्टेट बैंक आफ इंडिया की 40 प्रतिशत शेयर पूंजी है ।

देश में विदेशी बैंक

2658. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तथा कौन कौन से विदेशी बैंक काम कर रहे हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन विदेशी बैंकों की विकास दर क्या रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) देश में इस समय 11 विदेशी बैंक काम कर रहे हैं । वे हैं :—

(1) अमेरिकन एक्सप्रैस इण्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन ।

(2) एलगैम्ने बैंक नोदरलैण्ड एन० वी० ।

(3) बैंक आफ अमेरिका ।

(4) बैंक आफ टोकियो ।

(5) बैंक नैशनले द पैरिस ।

(6) ब्रिटिश बैंक आफ मिडल ईस्ट ।

(7) चार्टर्ड बैंक ।

(8) फर्स्ट नैशनल सिटी बैंक ।

(9) मर्केन्टाइल बैंक ।

(10) मितसुई बैंक ।

(11) नैशनल ऐण्ड ग्रिण्डले बैंक ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों की जमा और अग्रिमों की प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार थी :—

वर्ष	गत वर्ष की तुलना में जमा में प्रतिशत वृद्धि	गत वर्ष की तुलना में अग्रिमों में प्रतिशत वृद्धि
1971	12.8	5.5
1972	11.9	3.9
1973	12.2	12.0

पिछले तीन वर्षों में विदेशी बैंकों के कार्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

बंगला देश को रेल के माल डिब्बों का निर्यात

2659. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को रेल के माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों के निर्यात के बारे में, हाल ही में कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश को निर्यात किये जाने वाले प्रस्तावित माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों की संख्या क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप यदि कोई समझौता हुआ है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) (i) बंगला देश रेलवे को लगभग 3.3 करोड़ रुपये के मूल्य के 500 ब्राडगेज 4–पहिये वाले कवर्ड वैगनों को सप्लाई करने हेतु संविदा पर परियोजना तथा उपस्कर निगम ने 27-7-1974 को हस्ताक्षर किए थे । सप्लाईयां, संविदा के लागू होने के 15 महीनों के अन्दर अन्दर शुरू होगा तथा इसके पश्चात छः महीनों में पूरी हो जाएगी ।

(ii) बंगला देश रेलवे को 50 ब्राडगेज को तृतीय श्रेणी को कोचों को सप्लाई के लिए परियोजना तथा उपस्कर निगम को आफर को स्वीकार कर लिया गया है तथा संविदा पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है । संविदा के लागू होने के 4 महीनों के अन्दर अन्दर डिलीवरी आरंभ हो जाएगी तथा उसके पश्चात् 3 महीनों में पूरी हो जाएगी ।

भूकम्पों के झटकों की तिथियां तथा उनकी प्रचण्डता

2660. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों में भूकम्प के झटके लगे थे ; और

(ख) ये झटके किस तिथि को लगे थे और प्रत्येक की प्रचण्डता कितनी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8211/74 ।**]

भारतीय रिजर्व बैंक के कनिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित किया जाना

2661. श्री बनमाली बाबू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कनिष्ट अधिकारियों को विदेशी मुद्रा के घोटाले से सम्बन्धित होने के कारण मुअत्तिल कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह ठीक है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दो कनिष्ठ अधिकारियों को, जाली परमिटों से विदेशी मुद्रा भेजने के मामले से उनका संबंध होने के संदेह में निलम्बित कर दिया गाया है।

(ख) जालसाजी का एक ऐसा मामला नजर में आया था जिसमें जाली परमिटों से हांगकांग को बड़ी बड़ी रकमें भेजी जा रही थीं। जांच पड़ताल के लिए यह मामला प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया था।

इस जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप, प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दो अधिकारी निलम्बित कर दिये गये हैं क्योंकि पहली नजर से देखने में वे इस जालसाजी से सम्बन्धित मालूम होते हैं।

दिल्ली हवाई अड्डे के आस-पास नीलगायों का पाया जाना

2662. श्री कुशोक बाकुला :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे के आस-पास नील गायों के पाये जाने और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा उन्हें विमान सुरक्षा निश्चित करने के उद्देश्य से मारे जाने के इरादे के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार देखे हैं ; और

(ख) वन्य पशुओं की इन जातियों को उक्त प्राधिकरण द्वारा न मारे जाने के लिए तथा उन्हें जिन्दा पकड़ कर उन्हें वन्य पशु संरक्षण स्थल में रखने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र प्राधिकरण का कुछ समय पूर्व पालम विमान क्षेत्र के आस-पास देखो गई "नोलगायों" को मारने का कोई इरादा नहीं है, अपितु प्राधिकरण मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का एक मानवीय हल ढूंढने के लिये अन्य विभिन्न प्राधिकरणों से सम्पर्क में है ।

विश्व बैंक से ऋण

2663. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में उपयोग के लिये कितना ऋण दिया है;

(ख) इस में से कितनी राशि खर्च की गई और यह राशि किन-किन परियोजनाओं पर खर्च की गई अथवा भविष्य में की जानी है; और

(ग) विश्व बैंक से प्राप्त ऋण राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना का उल्लेख कर रहे है जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 8 जून, 1973 को समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे । फैजाबाद सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 14 जिलों में छोटी सिंचाई में किसानों द्वारा पूंजी लगाये जाने के तीन वर्ष के एक कार्यक्रम चलाने के लिए इस समझौते में लगभग 28.5 करोड़ रुपये (3.8 करोड डालर) का ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। विश्व बैंक समूह ने केवल फैजाबाद जिले में ही प्रयोग में लाये जाने के लिए कोई अलग से कर्ज/ऋण देना स्वीकार नहीं किया है ।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत जो पूंजी लगाई जायेगी वह पर्सियन व्हील लगे 10,000 खिने हुए कुओं या मिट्टी खोद कर बनाये गये कुओं, 20,000 उथले कुओं और बिजली या डीजल के पंपों से चलने वाले तथा दर्मियानी गहराई वाले 20,000 कुओं के निर्माण पर खर्च की जाएगी । 30 जून, 1974 तक इस ऋण में से 3.3 करोड रुपये (44 लाख डालर) खर्च किये जा चुके थे ।

(ग) ऋण से मिलने वाली रकम भारत सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम को फिर से उधार दे दी जाती है । कृषि पुनर्वित्त निगम चुने हुए वाणिज्यिक बैंकों और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की देख रेख करता है और उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का को चुकाने के लिए भी धन देता है । ऋण का उचित ढंग से प्रयोग किया जाय इसके लिए ये संस्थाएं बैंकिंग की सामान्य प्रथाओं का पालन करती है ।

Increase in Amount for Pensions

2664. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to increase the amount being paid to pensioners, scholarship holders and to those getting financial assistance all over the country in view of the present price-rise and continuous fall in the value of rupee; and

(b) if so, the outlines thereof and the time by which it will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) In order to compensate the Central Government Pensioners for the price-rise orders have already been issued regarding the grant of relief at the rate of 5% of their pension

subject to a minimum of Rs. 5 per month and a maximum of Rs. 25 per month for every 16 point rise in the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index (1960=100) in the case of those who retired from service prior to 1-1-73 as also those who retired on or after 1-1-73. Separately orders regarding the grant of *ad hoc* relief to the Central Government employees who retired from service prior to 1-1-73 have also been issued.

The information regarding Scholarship holders and those getting financial assistance under Central Government schemes all over the country is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

पशु चारे के निर्यात पर प्रतिबंध

2665. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु चारे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितना पशु चारा निर्यात किया गया और इससे कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गत तीन वर्षों में पशुओं के चारे के निर्यातों की मात्रा व मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा हजार मे० टन में	मूल्य लाख रु० में
1971-72 . . .	929	4397
1972-73 . . .	1147	7907
1973-74 . . . (अप्रैल-जनवरी, 1974)	1047	13781

कतिपय कम्पनियों द्वारा कम राशि के बीजक बनाकर जापान को झींगों का निर्यात

2666. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम लगभग दो डालर प्रति किलो से कम राशि के बीजक बनाकर जापान को झींगो का निर्यात किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) पिछले दो वर्षों में कोचीन सीमा शुल्क गृह में, जापान को झींगा मछली के निर्यात से संबंधित न्यूनबीजकांकन के 4 मामलों का पता चला। इन सभी मामलों में उक्त अवधि के दौरान जब अन्य निर्यातकर्ताओं के मूल्यों की तुलना की गयी तो मूल्यों का अन्तर लगभग 2 रूपये प्रति किलोग्राम अथवा उससे अधिक घटता बढ़ता रहा। इनमें से किसी

7—27 LSS./74

भी मामले में निर्यात की अनुमति नहीं दी गई और पार्टियों पर दंड नहीं लगाये गये। सम्बद्ध फर्मों के नाम न्यूनबीजकांकन की रकम तथा लगाये गये दंड की रकमें नीचे दिये अनुसार है :

	फर्म का नाम	न्यून बीजकांकन की रकम	लगाये गये दंड की रकम
		रु०	रु०
1	मैसर्स शाह फ्रोजन फूड्स (प्रा०) लिमिटेड, कोचीन . .	15,000	2,000
2	मेसर्स ओशन फ्लैग फिशरीज़, कोचीन . . .	3,325	1,000
3	मेसर्स इण्डिया टूबैको कम्पनी, बम्बई . . .	11,630	2,000
4.	मेसर्स केरल फूड पैकर्स, एलेपी	11,458	2,000

आयकर की बकाया राशि पर जुर्माना तथा ब्याज

2667. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में आयकर की बकाया राशियों पर कितना जुर्माना लगाया गया; और

(ख) इन बकाया राशियों में ब्याज की कितनी राशि शामिल है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वित्तीय वर्ष 1971-72 और 1972-73 के अन्त में निगम कर को शामिल करके आयकर को सकल बकाया में सम्मिलित दण्डों और ब्याज की रकमें निम्नानुसार थीं :—

वित्तीय वर्ष	दण्ड	ब्याज
	(करोड़	रु० में)
1971-72	77.21	83.10
1972-73	74.48	98.03

इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1973-74 के अन्त में जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Proposed Cut in Amount Sanctioned for Emergency Relief work in the Country

2668. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any cut is proposed in the amount sanctioned for emergency relief work in the country ;

(b) if so, the extent of cut and the amount to be saved by Government thereby ; and

(c) whether State Governments have been instructed to raise funds to continue and implement effectively the relief works undertaken by them indicating the sources from which such funds are to be raised ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) In the light of the recommendations of the Sixth Finance Commission, the previous scheme of Central assistance to States for natural calamities relief expenditure has been rescinded with effect from 1st April, 1974. Accordingly, a sum of Rs. 10 crores only has been provided in the Central Budget this year in order to meet the arrear claims of the State Governments for expenditure incurred upto 1973-74.

(c) It is for the State Governments to take steps for the completion of the continuing works by suitable adjustments of their resources and expenditures.

Contribution Made for Agricultural Programmes in Madhya Pradesh

2669. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) what percentage of advances made by the nationalised banks has gone to the agricultural sector in Madhya Pradesh ;

(b) what percentage of advances has been made to Adivasis ; and

(c) Government's proposals as also the steps to be taken to ensure maximum help to agriculturists and adivasis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The figures of advances by the public sector banks to agriculture in Madhya Pradesh and their percentage to total advances in that State as at the end of June, 1973, were as follows :

	(Rs. in lakhs) Amount out-standing
(i) Agriculture	1,641
(ii) Total advances	11,180
(iii) Percentage of (i) to (ii)	14·7%

(b) Separate data of advances to Adivasis are not maintained by the banks.

(c) Steps that are being taken to remove the difficulties faced by small farmers, including Adivasis, in obtaining credit from the public sector banks, are enumerated in the enclosed statement.

STATEMENT

The following steps are being taken in order to remove the difficulties faced by small farmers in obtaining credit from the public sector banks :

(i) Public sector banks are actively associated with SFDA/MFAL agencies in different parts of the country.

(ii) Public sector banks are financing small, marginal farmers and agricultural labourers upto specified amount under various schemes without insisting upon mortgage of land. In fact, emphasis has been laid on the banks moving away from security-oriented lending to productive and incremental income-oriented lending.

(iii) The State Bank of India Group propose to open special agricultural development branches at 158 selected intensive centres preferably in areas of special schemes such as SFDA/MFAL.

(iv) The provisions of Credit Guarantee Scheme have been liberalised to cover short term credit from Rs. 1000 to Rs. 2500 and term credit from Rs. 5000 to Rs. 10,000. Short term credit, converted into medium term credit on account of flood, drought etc. is covered upto Rs. 5000. These provisions cover all loans in the field of agriculture upto the specified ceilings.

(v) The banks have started taking group guarantees in case of loan granted to very small farmers/share croppers and no other security is asked for in such cases.

(vi) Differential interest rate scheme *inter alia* covers very small farmers. In addition some of the public sector banks have introduced scheme of varying rate of interest according to the size of their holding. These schemes would also benefit small farmers.

(vii) Certain guidelines have also been issued by the Reserve Bank of India for financing small and potentially viable farmers.

(viii) Legal charges in regard to loan proposals from small and marginal farmers are met by the commercial banks themselves.

डिपार्टमेंट आफ बैंकिंग आपरेशन एंड डेवलपमेंट में ग्रेड II के स्टाफ आफिसरों की वरीयता सूची

2670. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बैंकिंग आपरेशन एवं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्रेड II के स्टाफ आफिसरों की वरीयता सूची पृथक थी ;

(ख) क्या हाल ही में पिछली तिथि से वरीयता सूचियों को संयुक्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या वरीयता की संयुक्त सूचियों संबंधी योजना के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन भेजा गया है और यदि हां, तो बैंक ने इस पर क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या बैंक ने डिपार्टमेंट आफ बैंकिंग आपरेशन एण्ड डेवलपमेंट में ग्रेड II के स्टाफ आफिसरों की वरीयता संबंधी दावों की, जो वरीयता सूची जारी करने से पूर्व उच्च अर्हताओं के आधार पर बना था, ध्यान में रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या बैंक का डिपार्टमेंट आफ बैंकिंग आपरेशन एण्ड डेवलपमेंट के ग्रेड II के उन स्टाफ आफिसरों की वरीयता को संरक्षण देने का कोई प्रस्ताव है जिन्हें इस आदेश को जारी करने की तिथि से पूर्व अस्थायी रूप से पदोन्नति दी गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पदोन्नति, वरिष्ठता आदि के प्रयोजन के लिए बैंक के विभिन्न विभागों के अफसरों के दूसरे ग्रेड (पदोन्नति पाने वाले) को 5 वर्गों में बांटा गया है जिनमें से एक वर्ग के अन्तर्गत बैंकिंग कार्य और विकास विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, गैर-बैंकिंग कम्पनी विभाग, जमा बीमा निगम और भारतीय ऋण गारण्टी निगम आते हैं। चूंकि बराबर यह शिकायत मिलती रहती थी कि विभिन्न वर्गों के दूसरे ग्रेड के अफसरों की पदोन्नति के अवसर के बारे में भारी असमानताएं है इसलिये बैंक ने अफसर कैडर जांच समिति से अनुरोध किया था कि वह विभिन्न वर्गों के अफसरों को पदोन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने की एक युक्तियुक्त योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार करे। कैडर जांच समिति ने 1972 में जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें उसने यह सिफारिश की कि सभी वर्गों के प्रत्येक ग्रेड के अफसरों की वरिष्ठता की एक सूची बनायी जाय ताकि विभिन्न वर्गों के अफसरों का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में तबादला किया जा सके और उन्हें पदोन्नति

का समान अवसर प्रदान किया जा सके। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि दूसरे ग्रेड के स्टाफ अफसरों को पहली जनवरी 1970 से अनन्तिम रूप से जो नियुक्तियां की गयी है उनकी वरिष्ठता को सामान्य सूची के आधार पर नियमित कर दिया जाय। तदनुसार रिजर्व बैंक, अनन्तिम रुप से की गयी सभी नियुक्तियों को नियमित करने के उद्देश्य से पहली जनवरी 1970 से सभी ग्रुपों के दूसरे ग्रेड के स्टाफ अफसरों (पदोन्नति पाने वाले) को एक सामान्य सूची तैयार कर रहा है। बैंक ने, कैडर जाच समिति की उक्त सिफारिश को अमली रूप देते समय उन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया है जो संयुक्त वरिष्ठता की योजना के पक्ष तथा विपक्ष में अलग अलग व्यक्तियों से तथा सामहिक रूप से प्राप्त हुए थे। बैंक ने सूचित किया है कि पहली जनवरी 1970 से दूसरी ग्रेड के स्टाफ अफसरों की जो पहले ग्रेड में पदोन्नति की गयी थी वह विशुद्ध रूप से अस्थायी तौर पर की गयी थी और इन पदोन्नतियों की केडर जांच समिति की सिफारिश के संदर्भ में फिर से जांच की जायेगी और इसके साथ-साथ इस बैंक ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि अनन्तिम रुप से की गयी नियुक्तियों को विभिन्न दौरों में नियमित किया जाय ताकि कम से कम जूनियर कर्मचारियों की पदावनति हो।

सरकारी स्वामीत्व की कम्पनियों में घाटा

2671. **श्री सी० एस० मोहम्मद कोया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी स्वामित्व की कम्पनियों में घाटे को समाप्त करने के लिये उन्होंने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय सरकारी उद्योमों के कार्य संचालन में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक कारवाई करने के उद्देश्य से सरकार उनके कार्य का निरन्तर मूल्यांकन करती रहती है। इस सम्बन्ध में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(i) उत्पादन योजना एवं नियंत्रण कमचारी प्रबन्व, सामग्री प्रबन्ध, औद्योगिक इंजीनियरी में सुधा

(ii) अनुरक्षण हेतु उपस्कर को बन्द रखने का समय कम करने के उद्देश्य से अनुरक्षण संगठन तथा कार्य-प्रणाली को बेहत्तर बनाना ;

(iii) कार्य प्रेरणा जागृत करने के लिए प्रोत्सारन योजनाएं शुरू करना ;

(iv) अच्छे प्रबन्व कार्य और अधिक उत्पादकता के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था;

(v) जहां कहीं मांग कम थी, वहां उत्पादन का विविधीकरण तथा अधिक निर्यात के लिये प्रयास; और

(vi) जहां कहीं आवश्यक हुआ, वहां कच्चे माल और कल-पुर्जों का आयात ;

इन उपायों का प्रभाव 1972–73 के कार्य परिणामों के द्वारा पहले ही प्रकट हो गया है जिनसे यह पता चलता है कि कई वर्षों के बाद सरकारी उद्यमों ने सामूहिक रूप में लाभ अर्जित किया है। आशा है 1973–74 के कार्य-परिणाम, जिनकी लेखा-परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, और भी अच्छे रहेंगे।

Development of Tourist Spots in U. P. during Fifth Plan

2572. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for the development of tourist spots in Uttar Pradesh in the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the names of the important tourist spots to be developed and the amoun to be spent on each scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) In the Fifth Plan, the Department of Tourism proposes

to develop facilities at selected Buddhist Centres such as Kushinagar and Sravasti for attracting Buddhist pilgrim traffic, as also in the Corbett National Park. In addition, the India tourism Development Corporation has plans to construct a hotel at Agra and enlarge the accommodation in its hotel at Varanasi.

The detailed estimated cost on each of the above schemes is yet to be determined.

A youth hotel under construction at an estimated cost of Rs. 2·72 lakhs at Nainital will be completed during the current financial year.

प्राथमिक कृषि समितियों का वित्त पोषण करने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रारम्भ की गई योजना

2673. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक कृषि समितियों का वित्त पोषण करने की कोई योजना वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब को ऋण समिति को कितनी धनराशि उपलब्ध को गई है ;

(ग) क्या पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कोई शाखा खोली गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो किन स्थानों पर शाखायें गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में यह योजना शुरू की गई है ;

(ख) अभी तक यह योजना पंजाब में शुरू नहीं की गयी। राज्य सरकार ने इस योजना में अधिक रूचि नहीं दिखाई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 'गुलग आर्कीपेलागो' नामक रूसी पुस्तक का रोका जाना

2674. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अलेग्जेंडर सोलझेनिसीन द्वारा लिखित 'गुलग आर्कीपेलागो, नामक पुस्तक को रोक लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) भारत सरकार की दिनांक 9-3-60 की अधिसूचना सं० 25-सीमा शुल्क के अधीन यदि कोई ऐसा समाचार-पत्र, सूचना-पन्ना, पुस्तक अथवा अन्य कागजात भारत में आयात किये जाते हैं, जिनमें ऐसे शब्द, संकेत अथवा स्पष्ट चित्रण हों, जो विदेशों से भारत के मैत्रिपूर्ण संबंधों को क्षति पहुंचाते हैं अथवा जिनसे क्षति पहुचाये जाने की संभावना है, तो भारत में उनका प्रवेश वर्जित है। जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद पुस्तकों को छोड़ दिया गया।

भारत से निर्यात बढ़ाया जाना

2675. श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का निर्यात बढ़ाने में कुछ बाधाएं हैं ;

(ख) क्या इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारतीय निर्यातों को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनमें इनका उल्लेख किया जा सकता है, अपर्याप्त उत्पादन आधार, कच्चे माल की कमी, परिवहन तथा नौवहन कठिनाइयां, संश्लिष्टों से प्रति-योगिता, मुद्रा का उतार-चढ़ाव, घरेलू मांग में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति का दबाव ।

इन बाधाओं पर काबू पाने के उद्देश्य से निर्यात संभाव्यता वाले क्षेत्र तथा वस्तुएं अभिज्ञात करने, उत्पादन आधार विशेष रूप से निर्यात अभिमुख एककों के उत्पादन आधार को सुदृढ़ करने, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयातित तथा स्वदेशी दोनों प्रकार के कच्चे मालों की सप्लाई की व्यवस्था करने, आयात लाइसेंस जारी करने तथा नकद प्रतिपूरक सहायता प्रदान करने के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाओं का सरलीकरण करने, नौवहन कठिनाइयों को हल करने के लिए मुख्य भारतीय पत्तनों पर क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करने तथा विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ावों की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के परामर्श से एक योजना शुरू करने के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं ।

निर्यात-आयात बैंक की स्थापना

2676. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के बारे में समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। आशा है समिति अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1974 के अन्तर्गत तक पेश कर देगी।

Complaints received against Regional Offices of L. I. C. at Indore and Gwalior

2677. **Dr. Laximinarain Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints against the regional offices of Life Insurance Corporation at Indore and Gwalior ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatagi): (a) Some complaints, including one from the Hon'ble Member himself, were received regarding the working of local offices of L. I. C. at Indore and Gwalior.

(b) Complaints include allegations of misappropriation misuse of telephone facilities and procedural irregularities.

(c) These are being investigated by Life Insurance Corporation.

Return on Capital Invested by Foreign Companies in India

2678. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the profit on the American capital invested in India, which was 14·2 per cent during 1971 went upto 15·8 per cent during 1972 ;

(b) whether this rate of profit being earned from these investments is among the highest in the World ;

(c) the action being taken by Government in this regard ;

(d) whether the rate of profit on capital investments of some other countries in India has also increased ; and

(e) if so, the extent by which profits have increased on capital investment in each country ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) The figures of the profit of U. S. direct investment in India, referred to by the Hon'ble Members relate to the manufacturing industry only, as mentioned in the Survey of Current business September 1973, published by the U. S. Department of Commerce. According to the same study, the overall profitability of U. S. direct investments in India has shown a decline from 12·5 per cent to 11·9 per cent during the same period.

In the following countries, the rates of profits earned by U. S. investments abroad on manufacturing industries are amongst the highest in the world :

Name of the country	Profitability of U. S. investments abroad	
	1971	1972
Panama . .	30·6%	26·5%
West Germany .	16·8%	19·6%
Japan .	20·1%	19·1%
Sweden	9·9%	16·1%

(d) & (e) According to R. B. I.'s study on "Finances of Branches of Foreign Companies and Foreign Controlled Rupee Companies", published in its Bulletin in October, 1973,

the profitability ratio in respect of investments by the following countries in Foreign Controlled Rupee Companies in India have shown an increase :

	Gross profit as percentage of total capital employed	
	1969-70	1970-71
West Germany	11·6%	13·5%
U. K.	12·3%	13·6%
Other countries (excluding U.S.A. and Switzerland) . .	14·5%	15·2%

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बोनस की अदायगी पर रोक लगाना

2679. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सब औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बोनस की अदायगी पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बोनस की अदायगी पर रोक लगाने से श्रमिकों के बड़े वर्गों की आमदानी में कमी हो सकती है। लेकिन मुद्रास्फीति रोकने के उपाय के रूप में अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 से अतिरिक्त वेतन और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के कारण बढ़ने वाली खर्च शक्ति को अस्थायी अवधि के लिए, इस आमदानी को भविष्य में इस्तेमाल में लाये जाने के काम में बाधा डाले बिना, रोका जा सकेगा, इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त वेतन में अतिरिक्त बोनस भी शामिल है।

अपरिष्कृत पटसन की उत्पादन लागत के बारे में सर्वेक्षण

2680. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी क्षेत्र में पटसन उत्पादकों को लाभ प्रद मूल्य देना सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ;

(ख) अब तक इस प्रकार की कार्यवाही के क्या परिणाम निकले है ;

(ग) इस सम्बन्ध में भारतीय पटसन निगम की क्या भूमिका है ;

(घ) क्या एक मन अपरिष्कृत पटसन की उत्पादन लागत के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ङ) यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) कच्चे पटसन की कीमतें मूल रूप में मांग व पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। तथापि, उपजकर्ता को न्यूनतम लाभप्रद मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रति

वर्ष कानूनी आधार पर न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित करती है। यह आयोग अपनी सिफारिशें पेश करने से पूर्व सभी संगत बातों पर विचार करता है। कच्चे पटसन को न्यूनतम समर्थन कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो आसाम बाटम के लिए 1971–72 में 113.87 प्रति क्विन्टल से बढ़ कर 1972–73 में 115 रु० और 1973–74 में 125 रु० प्रति क्विंटल हो गई हैं। 1974–75 के लिए कीमत देहाती बाजार के संबंध में और बढ़ाकर 125 रु० कर दी गई है। 1971 में स्थापित भारतीय पटसन निगम के मूल उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे पटसन को कीमतें कानूनी न्यूनतम कीमत से नीचे न गिरें, कीमत समर्थन कार्यवाही करना है। भारतीय पटसन निगम के खरीद कार्यों के परिणाम-स्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें कुछ दूरस्थ एकाकी स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर सामान्यतः कानूनी न्यूनतम कीमतों से ऊपर रहीं हैं। इसके अलावा, एक कीमत स्थिरीकरण उपाय के रूप में सरकार ने समीकरण भण्डार के सृजन के लिए सहमति व्यक्त की है और पटसन मिलों को विनिर्दिष्ट मात्राओं के अनुसार कच्चा पटसन खरीदने के निदेश जारी कर दिये हैं। भारतीय पटसन निगम पूर्ति और मांग में सन्तुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ताकि बाजार कीमत न गिरे।

(घ) से (ङ) प्रमुख फसलों की कास्त लागत के अध्ययनार्थ एक व्यापक स्कीम के भाग के रूप में 1973–74 में आसाम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में पटसन की उत्पादन लागत का एक सर्वेक्षण शुरू किया गया और एकत्रित क्षेत्र आंकड़े कृषि मंत्रालय के समीक्षाधीन हैं।

मितव्ययिता अभियान के परिणामस्वरूप धन की बचत

2681. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खर्च में कटौती करने के सरकार के अभियान के परिणामस्वरूप 1971–72 से 1973–74 तक की अवधि में प्रति वर्ष कितनी राशि की बचत की गई ;

(ख) विभागवार उन मदों की सूची क्या है जिन पर खर्च में कटौती की गई और प्रत्येक मामले में कितनी कटौती की गई ;

(ग) वर्ष 1974–75 के लिये नियत बजट-राशि में से बिभागबार कितनी राशि बचाने की योजना है ;

(घ) पुलिस पर होने वाले खर्च को वर्ष 1973–74 के स्तर पर ही सीमित रखने की कोई योजन है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में, खर्च में कमी करने के लिए, मुख्य रुप से, प्रशासनिक खर्च को कम करने उद्देश्य से सरकार द्वारा कई उपाय किये गये जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :

(i) वेतन-भत्तों में वृद्धि पर प्रतिबन्ध ;

(ii) कुछ वर्गों के पदों की भर्ती पर आंशिक प्रतिबन्ध ;

(iii) विदेशों से मंगायी गयी कारें खरीदने पर प्रतिबन्ध ;

(iv) यात्रा भत्ते में कटौती ; और

(v) कर्मचारी निरीक्षण अध्ययन के काम को जोर शोर से करना।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, बंगलादेश से अधिक संख्या में आये शरणार्थियों और हमारी सीमाओं पर अनिश्चित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाइयों के संदर्भ में, 1971–72 में खर्च में

कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये तथा उन्हें 1972–73 में जारी रखा गया :

(1) गैर-आयोजना किस्म के पदों क निर्माण पर प्रतिबन्ध ;

(2) आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ते, मनोरंजन भत्ते, आदि के लिए की गयी बजट व्यवस्था में कटौती

(3) कुछ परिस्थितियों में रिक्त पदों को न भरना ;

(4) फर्नीचर, सजावट के सामान आदि की खरीद पर प्रतिबन्ध ; और

(5) विदेशों में प्रतिनियुक्तियों पर अधिक कड़ा नियंत्रण ।

ऊपर बताये गये उपायों को अपनाने से, प्रशासनिक खर्चे में होने वाली वृद्धि को रोकने में काफी सहायता मिली । लेकिन इस प्रकार की गयी बचत, सरकारी क्रियाकलापों के सामान्य विस्तार, कर्मचारोयों का अतिरिक्त अन्तरिम सहायता की अदायगी, रेलों के किरायों, डाक दरों आदि में हुई वृद्धि के प्रभाव के कारण खर्चों में हुई वृद्धि से कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हो गयी । इन परिस्थितियों में, खर्च में कमी करने के ऊपर बताये गये विभिन्न उपायों के कारण 1971–72 और 1972–73 में हुई बचतों को अलग कर के बताना सम्भव नही है ।

घाटे की वित्त व्यवस्था पर अंकुश रखने की दृष्टि से 1973–74 में सरकार के गैर-आयोजना खर्च को कम करने के लिए अनेक और उपाय किये गये थे । ये उपाय थे :

"आकस्मिक खर्चों और यात्रा भत्तों में किफायत ; कार्य संबंधी इमारतों से भिन्न ऐसी इमारतों के निर्माण कार्य को रोका जाना जिनका निर्माण प्लिथ लेवल से ऊपर नहीं हुआ है ; कुछ विशेष महत्व वाली इमारतों को छोड़ कर शेष इमारतों को वार्षिक मरम्मतों तथा रखरखाव के कार्यों को रोक दिया जाना ; ऐसे नये पदों के निर्माण पर प्रतिबन्ध जो छः महीने से अधिक समय तक खाली पड़े हुए हैं ; सरकार को विभिन्न शाखाओं में अधिकारियों के बारी बारी तबादले का आस्थगन ताकि तबादले के भत्तों को बचत की जा सके ; दफ्तर को गाड़ियों की पैट्रोल की खपत में तथा टैलीफोन कालों में कमी ; मनोरंजन और विदेश यात्रा पर व्यय में किफायत ; सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा बैठकों के आयोजन में होने वाले खर्च में किफायत; अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के आयोजन के लिए कम से कम लोगों को निमंत्रण देना; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश देना कि वे दक्षतापूर्वक कार्य करके अधिक आन्तरिक साधन जुटा कर अपनी नकद हानि को कम करें ।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि आयोजनागत खर्च में भी कमी की जाय । सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को बजट व्यवस्था में 10% कटौती करने का निर्णय किया गया । प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की छूट दी गयी कि वे बचत की कुल राशि को आयोजना तथा परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न योजनाओं में बांट दें तथा यह सुनिश्चित करें कि उन प्राथमिकता वाली परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जो काफी हद तक पूरे हो चूके हैं ; जबकि उन परियोजनाओं और योजनाओं के कार्य को धीमा कर दिया गया जो कम आवश्यक थी तथा जिनके पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगाना था । राज्य को योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में भी 100 करोड़ रुपये को कमी करने का प्रस्ताव था ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर लगभग 400 करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना थी । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने बचत के इन उपायों पर अमल किया है । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 1973–74 में हुई बचतों को अनुमानित रकमें विवरण में दिखायी गयी है इन बचतों में, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में किय जाने वाले संशोधन, अनाज सम्बन्धी राजसहायता, प्राकृतिक विपत्तियों के सम्बन्ध में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता आदि और मुख्य परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को दी जाने वाली कुछ अतिरिक्त रकमों के सम्बन्ध में सरकार पर आने वाली अतिरिक्त देनदारियों को न तो हिसाब में लिया गया है और न ही हिसाब में लेने का विचार था ।

जैसा कि ऊपर बताया गया है विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच व्यय का वास्तविक विभाजन प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उपर्युक्त सिद्धान्तों और आयोजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वास्तविक आंकड़े तभी उपलब्ध होंगे जब इस वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ग) खर्च में किफायत करने के जिन उपायों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें से बहुत से उपायों को 1974–75 में भी जारी रखा जाना है। कार्य संबंधी इमारतों से भिन्न इमारतों के निर्माण, सरकारी इमारतों की वार्षिक मरम्मत और रख-रखाव के काम को स्थगित करने नये पद बनाने तथा ऐसे पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगाने जो छः महीनों से अधिक समय से खाली रहे हों, विभागीय मोटर गाड़ियों की पेट्रोल की खपत में तथा टेलीफोन कालों पर होने वाले खर्च और कागज के इस्तेमाल तथा सरकारी टेलीफोनों की संख्या में 20 प्रतिशत कमी करने से सम्बद्ध उपायों पर सख्ती से अमल करने की हिदायतें पहले से ही दे दी गई हैं। 1974–75 का बजट तैयार करते समय खर्च में किफायत करने के इन बहुत से उपायों को ध्यान में रखा गया है। इस वर्ष खर्च में किफायत करने के लिए और कदम उठाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। इस समय ऐसे कोई अनुमान देना संभव नहीं है कि इस संबंध में 1974–75 में कितनी बचत होगी।

(घ) और (ड.) 1974–75 में सरकारी खर्च में यथा संभव ज्यादा से ज्यादा किफायत करने का विचार है। जहां तक पुलिस पर होने वाले खर्च का संबंध है, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आनेवाले किसी पुलिस विभाग अथवा सशस्त्र दल का 1973–74 के स्तर से ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। 1974–75 के बजट में, उससे पहले के वर्ष की अपेक्षा ज्यादा रकम की जो व्यवस्था की गयी है वह मुख्यतया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए की गयी है।

विवरण

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल सूचित बचत
		(करोड़ रुपये में)
1	कृषि	13.84
2	खाद्य	4.47
3	सामुदायिक विकास	5.40
4	सहकारिता	10.13
5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	3.87
6	वाणिज्य	0.34
7	संचार और समुद्रोपारीय संचार व्यवस्था	0.02
8	डाक एवं तार	3.29
9	शिक्षा	11.76

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल सूचित बचत
		(करोड़ रुपयों में)
10	समाज कल्याण	2.48
11	आर्थिक कार्य विभाग (वित्त)	2.93
12	बैंकिंग (वित्त)	7.50
13	व्यय (वित्त)	158.45*
14	राजस्व और बीमा (वित्त)	3.13
15	स्वास्थ्य	4.60
16	परिवार नियोजन	6.25
17	भारी उद्योग	8.54
18	गृह विभाग	1.40
19	औद्योगिक विकास	8.76
20	सूचना और प्रसारण	3.68
21	सिंचाई और बिजली	23.98
22	श्रम और रोजगार	0.32
23	पुनर्वास	2.52
24	पेट्रोलियम और रसायन	15.62
25	नौवहन और परिवहन	24.41
26	इस्पात	31.72
27	खान	9.71
28	पर्यटन और सिविल विमानन	4.69
29	निर्माण और आवास	5.30
30	विज्ञान और टेक्नोलाजी	2.25
31	प्रधान मंत्री का सचिवालय	0.02
32	राष्ट्रपति का सचिवालय	0.02
33	उच्चतम न्यायालय	0.01
34	योजना आयोग	0.06
	जोड़	381.47

*इसमें केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता में 93.98 करोड़ रुपये की बचत, रोजगार योजनाओं में 34 करोड़ रुपयों की बचत और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अग्रिम कार्रवाई के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये की बचत शामिल है।

भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों द्वारा कर आवंचन

2682. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रहे कई विदेशी बैंकों पर कर आवंचन के आरोप हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये बैंक कौन-कौन से हैं ;

(ग) प्रत्येक बैंक पर क्या विशिष्ट आरोप हैं ;

(घ) कुल कितनी राशि के कर आवंचन का आरोप लगाया गया है ; और

(ङ) इन आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) केवल नेशनल एण्ड ग्रिन्डले बैंक लि० के मामले में भारतीय करों के आवंचन की कुछ शिकायतों की जांच की जा रही है।

(ग) नेशनल एण्ड ग्रिन्डले बैंक के खिलाफ विशिष्ट शिकायतें ये हैं :—

(i) बैंक की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मूल्य ह्रास के अनुचित दावे।

(ii) ब्रिटन में बसे बैंक के पेंशनरों द्वारा आयकर का अपवंचन।

(iii) बैंक के शीर्षस्थ अधिकारियों को दिये गये अनुलाभों का अनुचित मूल्यांकन।

(iv) अनिवासियों को दिये गये ब्याज आदि से स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना।

(v) कुछ खर्चों के लिए अनुचित दावें।

(घ) आरोपों में से, कुछ तो निर्दिष्ट प्रकार के हैं और अन्य कुछ अनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, और उनसे बैंक तथा इसके शीर्षस्थ अधिकारियों, दोनों के ही द्वारा, बड़ी मात्रा में कर-अपवंचन का पता चलता है।

(ङ) विभाग द्वारा प्राप्त सूचना तथा विस्तृत जांच के आधार पर नेशनल एण्ड ग्रिण्डले बैंक लि० के कर-निर्धारणों में अनुकुल वृद्धियां की गयी हैं। कर निर्धारण वर्ष 1970—71 के लिए आयकर अधिकारी ने फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक को तकनीकी फीस के रूप में अदा किये गये 17.6 लाख रू० के खर्चे को, अशोध्य ऋण की रकमों में से 75 लाख रु० को तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए०) (v) के अन्तर्गत कोई 6 लाख रु० से अधिक रकम को अस्वीकार कर दिया है। इन अस्वीकृत रकमों में से अधिकांश रकमों की मंजूरी अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा दी गयी है। इस मामले में की अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में की गयी है। वर्ष 1971—72 के लिये कर निर्धारण में की गयी वृद्धियों की कुछ अधिक महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं :—

	लाख रु० में
(क) प्रधान कार्यालय में अत्यधिक खर्च	36.2
(ख) फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक को अदा की गयी तकनीकी सहायक फीस	34.3
(ग) अशोध्य ऋण	4.01
(घ) कर्मचारियों को अत्यधिक अनुलाभ	4.03
(ङ) प्रधान कार्यालय के व्यय के उस अधिक प्रेषण पर ब्याज, जो बाद में वापस लाया गया	3.8
(च) कर्मचारियों को डाक्टरी सहायता के रुप में अत्यधिक अनुलाभ	2.1

जो आय पूर्ववर्ती वर्षों में कर निर्धारण से छूट गयी थी उस पर कर-निर्धारण करने की दृष्टि से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 1947 के अन्तर्गत 1967-68 से 1970-71 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए बैंक के कर का पुनर्निर्धारण करने की कार्यवाही चालू की गयी है। इन कार्यवाहियों से सम्बन्धित जांच-पड़ताल भी चल रही है।

आयकर अधिकारियों द्वारा पंजाब और हरियाना में छापे मारा जाना

2683. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 में जुलाई के पहले सप्ताह में आयकर अधिकारियों ने पंजाब और हरियाणा के कोई स्थानों पर छापे मारे तथा बड़ी तादाद में काला धन और साढ़े तीन किलोग्राम सोना, हीरा और जवाहरात तथा कई लाख रुपये की नकदी बरामद की ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इसमें जिन व्यक्तियों का हाथ था उनके नाम और पते क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) आयकर विभाग द्वारा 3 और 4 जुलाई 1974 को गोविंदगढ़, बहादुरगढ़ और चण्डीगढ़ में कुछ व्यक्तियों के मामलों में ली गयी तलाशियों में अभी तक खाता-बहियों तथा कागजात के अलावा निम्नलिखित लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियाँ पकड़ी गई हैं :—

नकदी	3,77,658 रु०
स्वर्ण-आभूषण	6,78,700 रु० (लगभग)
हीरों के जेवर	2,00,800 रु० (लगभग)
निश्चित अवधि जमा रसीद	1,00,000 रु०

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) पकड़ी गयी सामग्री की जांच-पड़ताल चल रही है। जिन मामलों में नकदी तथा अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं उनमें छिपाई गई आय का अनुमान लगाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अधीन आदेश जारी करने के लिए संक्षिप्त तरीके की कार्यवाही शुरू की गयी है। सभी मामलों में कानून के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिए, ग्रस्त मामलों को, एक ही नवगठित विशेष वार्ड में केन्द्रीय रूप से देखा जा रहा है।

विवरण

जिन व्यक्तियों के यहां तलाशियां ली गयी उनके नाम और पते

क्र० सं०	नाम और पते
1	मै० बालूराम हरनाम दास स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
2	हुकम चन्द मार्फत मै० बालू राम हरनाम दास स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़

क्र० सं०	नाम और पते
3	मै० जयभारत आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
4	मै० फ्रेन्डस स्टील इडण्स्ट्रीज, गोविन्दगढ़
5	मै० स्वस्तिक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
6	मै० दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
7	मै० सुरेन्द्र स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
8	मै० महावीर स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन, गोविन्दगढ़
9	सीताराम मार्फत महावीर स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन, गोविन्दगढ़
10	मै० महावर आयरन स्टोर, गोविन्दगढ़
11	विजय कुमार मार्फत स्वस्तिक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
12	मंगत राय द्वारा स्वस्तिक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
13	सरुप चन्द मार्फत जयभारत इण्डस्ट्रीज, गोविन्दगढ़
14	साधू राम मार्फत सुरेन्द्र स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
15	श्री पारस दास जैन/पुष्पावती मार्फत जयभारत आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
16	श्री जागीरी लाल मार्फत राजेन्द्र प्रकाश जिन्दल एण्ड ब्रदर्स, गोविन्दगढ़
17	मै० सुप्रीम स्टील रोलिंग एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बहादुरगढ़
18	मै० पेरामाउण्ट आयरन ट्रेडर्स, गोविन्दगढ़
19	श्री रमेश कुमार मोंगा, गोविन्दगढ़
20	कृष्ण कान्त मार्फत स्वस्तिक आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, गोविन्दगढ़
21	सुरजीत राम मार्फत आर० के० प्लेट्स स्टील इण्डस्ट्रीज, गोविन्दगढ़
22	मदनलाल मार्फत स्वस्तिक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, गोविन्दगढ़
23	मै० रामकृष्ण इण्डस्ट्रीज, अम्लोह रोड, गोविन्दगढ़
24	मै० डिस्को इंडिया, अम्लोह रोड, गोविन्दगढ़
25	महेन्द्र कुमार, मकान सं० 1627, सैक्टर 18-डी, चण्डीगढ़
26	राम विलास, मार्फत महावर आयरनस्टोर, गोविन्दगढ़
27	हुकम चन्द मार्फत जय इण्डस्ट्रीज, गोविन्दगढ़

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को अधूरी सूचना भेजना

Mr. Speaker : The order of the Business on that day was postponed. A motion to that effect was moved by Shri Basu. What is the opinion of the House now ?

श्री मधु लिमये (बांका) : आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वहां पर इसका पूरी तरह अध्ययन करके निर्णय लिया जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : श्री बसु ने बताया था कि उनके दल के सदस्यों के साथ ऐसी घटनाएं बार-बार घटती है । यह भी एक गम्भीर बात है ।

जैसा कि आपने बताया था, नियम 229 के अधीन आपने फैसला करना है कि इस मामले के बारे में आपको सूचना देने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है । इस बात का फैसला किया जाना है कि गिरफ्तारी के समय सूचना एक अराजपत्रित अधिकारी द्वारा दी जा सकती है या नहीं ।

दूसरे, दी गई सूचना में माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के कारण नहीं बताये गये । हम जानना चाहते है कि क्या कारण बाद में बता दिये गये हैं । इस में कुछ बाते ऐसी है जिनपर विशेषाधिकार समिति में विचार किया जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : So far as the sending of intimation is concerned, I am of the specific view that all such intimations have been sent by S. D. Mr. D. Mrs, A. D. M.'s or other officers of these ranks and these ought to be sent by them and not by Inspectors or Sub-Inspectors.

Such information should be complete in accordance with the Third schedule.

'Reasons' means that full grounds of the case should be intimated. Executive Authority means an officer of the rank of S. D. M. or above.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पहली बात तो यह है कि जिला अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि इस बात की क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है । दूसरे, उन्हें गिरफ्तार करके साढ़े तीन घण्टे पश्चात रिहा कर दिया गया था जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्हे गिरफ्तार करने का उद्देश्य उन्हें परेशान करना ही था । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने स्पष्टिकरण में बताया है कि एस० डी० पी० ओ० ने जानकारी भेजी थी जो कि एक राज पत्रित अधिकारी हैं । यह बात गलत है । यह तार पुलिस स्टेशन के अधिकारी द्वारा भेजा गया था जोकि एक अराजपत्रित अधिकारी होता है । उन्होंने यह भी बताया है कि तीसरी अनुसूची के अनुसार सूचना न्यायिक अधिकारी द्वारा भेजी जानी चाहिए । यह भी गलत बात है ।

यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए, जो जांच करके प्रतिवेदन दें. ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) **:** As the officers concerned have expressed regrets, this matter has lost its seriousness.

But this question does not relate to that matter alone. It should be clear as to who ts competent to send information.

If the M.P's are more particular about it and like the matter to be examined by th Privileges Committee, even after expression of regrets by the persons concerned, then an impression would go roundt hat the Members of Parliament are very much concerned aboui their privileges and they are ready to ignore the privileges of the common man.

8—27 LSS (ND)/74

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे स्वीकार करते हैं। नियम 229 बहुत भ्रामक है। मैं इसपर महान्यायवादी की राय जानने के लिये उन्हें भेजूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो तीन बातें मैंने उठाई हैं, उनका क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नियम 229 की पूरी जानकारी थी। जहां उसने क्षमा मांगी है, वहां बहुत सी भूलें भी की हैं। यदि उसने बिना शर्त क्षमा मांगी होती तो और बात थी।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अब समाप्त हो गया है।

विधि मंत्री द्वारा समुद्र के नीचे की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में दी गई सूचना के बारे में

RE: INFORMATION GIVEN BY THE LAW MINISTER ABOUT OWNERSHIP OF UNDER-SEA LAND

Shri Madhu Limaye (Banka) : I raised the issue of the scheme of reclamation, Bombay under Rule 377. Shri Gokhale gave a statement on 2nd May in which he said that the scheme of reclamation formluated by the Government of Maharashtra did not contravene Article 297 of the constitution. He has said that the land for reclamation is not under territorial waters. But on 8th August he denies to have said so.

I request you to either refer this matter to the Privileges Committee as Shri Gokhale has deliberately given wrong statement or pass strictures against the Hon. Minister.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The point raised by Shri Madhu Limaye as to the discrepancy in statements of the Law Minister relates to facts which you can verify from the records. If this is a fact you will have to think over referring it to the Privileges Committee.

श्री पीलू मोदी (गोधरा): इस विशेष मामले के बारे में मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जो रद्द हो गई। पहले वक्तव्य दिया गया और बाद में उससे इनकार कर दिया गया, इससे ऐसा लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये मामले को या तो समिति के पास भेजें अथवा मंत्री महोदय की उपस्थिति में सभा में ही निर्णय लें। अब हमारे पास तथ्य हैं। इसकी कार्यवाही वृत्तान्त से अभी और इसी समय जांच की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बात कर दी है। मुझे दूसरे वक्तव्यों को देखना होगा।

Shri Madhu Limaye : I do not press for it urgently. Please examine both the statements and take some stern measures.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि मामला नियम संख्या 115 के अधीन उठाया जाता है तो इससे सभा को तथा अध्यक्ष पीठ को सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा वक्तव्य देखूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (स्वत: निकासी प्रक्रिया) की समीक्षा समिति के प्रतिवेदन के सारांश

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (स्वत: निकासी प्रक्रिया) की समीक्षा समिति के प्रतिवेदन के सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8200/74**]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
ASSENT TO BILL

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त पाण्डिचेरी विनियम विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं।

सदस्यों की दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल, से प्राप्त दिनांक 14 अगस्त, 1974 के एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया कि सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, हुकम चन्द कछवाय, भारत सिंह चौहान, आर० वी० बड़े और डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, सदस्य लोक सभा पर जिन्हें 12 अगस्त, 1974 को भोपाल में पुलिस अधीक्षक, भोपाल द्वारा जारी किये गये व्यवस्थापकीय आदेशों का उल्लंघन करके मध्य प्रदेश विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल, के समक्ष मुकदमा चलाया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दोषी पाया गया और न्यायालय के उठने तक का दण्ड दिया गया।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : New taxes are being imposed there and people are crying. People have a right to oppose taxes.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जापान को लौह अयस्क के निर्यात में भारी घाटे का समाचार

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : I want to draw the attention of the Hon. Commerce Minister to the following matter of urgent Public importance and request him to make a statement thereon :

"Reported heavy losses in the export of Iron ore to Japan from Bailadilla mines."

9—27 LSS (ND)/74

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : सभापति महोदय, बैलाडिला लौह अयस्क के निर्यात के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम ने अप्रैल, 1970 में जापानी स्टील मिल्स के साथ एक दीर्घावधि संविदा पर हस्ताक्षर किये थे। इसके अन्तर्गत 9 वर्षों की अवधि में 467 करोड़ रु० मूल्य के 612.6 लाख मे० टन लौह अयस्क की सप्लाई की व्यवस्था थी। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जो कीमतें तय की थीं वे उस समय चल रही अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और उन कीमतों के मुकाबले में अनुकूल थीं जिन पर आस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे अन्य सप्लायर जापान को लौह अयस्क को सप्लाई कर रहे थे। इस दीर्घावधि संविदा का सामान्य स्वरूप भी उन दीर्घावधि संविदाओं जैसा ही था जो कि आस्ट्रेलिया और ब्राजील ने जापान के साथ की थी; संविदा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा उतार चढ़ावों की दशा में एक समता खण्ड के लिए व्यवस्था थी और इस खण्ड के अधीन खनिज व धातु व्यापार निगम ने दिसम्बर, 1971 और फरवरी, 1973 में दो डालर अवमूल्यनों के परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धियां करा ली हैं।

2. इस वर्ष फरवरी में, खनिज व धातु व्यापार निगम ने बैलाडिला दीर्घावधि संविदा सहित सभी संविदाओं के संबंध में लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि करने के लिए जापानी खरीदार से अनुरोध किया। जापानी स्टील मिल्स ने इस अनुरोध के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और खनिज व धातु व्यापार निगम को आशा है कि वह उंची कीमत प्राप्त कर सकेगा।

3. यह ठीक है कि गत तीन वर्षों के दौरान, खनिज व धातु व्यापार निगम ने एक निर्यात सदन के रुप में इस दीर्घावधि संविदा के अन्तर्गत जापान को बैलाडिला लौह अयस्क के निर्यात पर हानि उठाई है। तथापि, लौह अयस्क निर्यात व्यापार की लाभप्रदता अनेक बातों पर निर्भर करती है जसे कि खनन कार्यों की लागत, पिट-हैड से पत्तन तक रेल द्वारा ढुलाई, जहाजों में माल भरने की लागत, आदि। भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की जो कुल आय व अन्य आय हुई है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जापान को बैलाडिला लौह अयस्क के निर्यात पर देश को निवल हानि नहीं हुई है पिछले वर्षों में खनिज व धातु व्यापार निगम ने लौह अयस्क के निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि करने और अन्य प्रमुख लौह अयस्क नियातक देशो द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमतों के मुकाबले अनुकुल कीमतें प्राप्त करने में प्रशंसनीय कार्य किया है।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : It is a matter of concern that the Government of India has been facing losses on exports of Iron ore to Japan from Bailadila mines. It is due to the fact that while entering into the contract in 1970 a provision was not included therein about revision of price. May I know whether that contract can be abrogated ? How much penalty India would be required to pay to Japan in that event ? Proper responsibility should be fixed for this lapse. Plan should made to put the Iron ore to use in India itself instead of exporting it.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह ठीक है कि समझौते में मूल्य वृद्धि के बारे मे कोई खण्ड नहीं था परंतु उसमें अवमूल्य संबंधी खण्ड था जिसके परिणामस्वरूप 1971 और 1973 में डालर के अवमूल्यन के अवसर पर हम लाभ प्राप्त हुआ। वास्तव में जिस समय यह समझौता किया गया उस समय विश्व में लौह अयस्क मंडी में मंदी थी। इस कारण भारत द्वारा ही नहीं आस्ट्रेलिया और ब्राजील ने भी जापान के साथ जो समझौते किए उनमें भी यह खण्ड नहीं था। मूल्य वृद्धि को देखते हुए जापान के साथ बातचीत को जा रही है और ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं कि अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। अतः समझौते को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता। हमारा निर्यात मूल्य अन्य देशों की तुलना में अधिक अच्छा है।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : May I know the total loss uptodate on iron ore export to Japan ? The Minister has stated that he would be able to secure higher price and on the other hand he has said that our realisation from exports compare favourably with the other countries. In the circumtances I fear whether we would be able to secure higher price.

May I know whether the Government has a plan to put the iron ore to use in the country itself insted of exporting it ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बैलाडिला परियोजना पर हमें कुछ हानि हुई है परंतु खनीज तथा धातु व्यापार निगम के समग्र कार्यकरण पर गत वर्ष में 16 करोड़ रु० का लाभ हुआ है। जापान के साथ वार्ता चल रही है और हानि एवं अन्य बातों के बारे में कोई आंकड़े बताना इस समय राष्ट्रीय हित में नहीं है।

यह संशय कि समझौते में मूल्य वृद्धि के बारे में कोई खंडन होने के कारण जापान मूल्य को स्वीकार नहीं करेगा आधारहीन है। जापान एक वाणिज्यिक राष्ट्र है। आज की विश्व की परिस्थितियों में लौह अयस्क एक मूल्यवान वस्तु है और मांग की तुलना यह कमी वाली वस्तु है। अतः इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि जापान भारत को अपने हाथों से बाहर नहीं जाने देगी।

बैलाडिला में 3,000 लाख. लौह अयस्क के अनुमान है, सारे देश में लगभग 200,000 लाख टन लौह अयस्क के अनुमान है जबकि इस समय हम लगभग 190 लाख टन अयस्क ही निकाल रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करने के स्थान पर तयार माल का निर्यात करने की नीति अपनानी चाहिये। सरकार की भी यह नीति है और सरकार द्वारा लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

Shri Ishwar Choudhary (Gaya) : It has been established that excalation clause was not included in the agreement entered into with Japan in the year 1970 and due to it the country is facing a huge loss. It is not proper to say that at that time the Iron ore marked in the world was sluggish. The Government should have taken proper care in this regard.

On the one had it is being said that we have requested the Japanese to increase the prices while on the other it is being said that it has not caused any loss. Is it not a short sighted ness to say like this ? There has been some dereliction in this regard and the Government should try to find out who is responsible to this.

Under this contract we are required to supply 612.6 lakhs tonnes iron-ores valued at Rs. 467 Crores during the period of 9 years. May I know the value of the iron-ore being exported annually ? What has been our loss during the last three years due to rise in price? We are exporting iron-ore at lower rates and importing costlier finished steel. This policy is not in the interest of the country. The Government should adopt a clear cut policy in this regard.

May I know the agreements entered into by M. M. T. C. which do not contain escalation clause ? How much loss is estimated due to these agreements ? What action has been taken to see that such a thing does not happen in future ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि जिस समय 1970 में हमने यह समझौते किए उस समय लौह अयस्क का विश्व बाजार मन्दा था। समझौते को शर्तें बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और उस समय आस्ट्रेलिया, ब्राजील व अन्य मुख्य लौह अयस्क देशों ने भी इसी प्रकार के समझौते किए थे।

प्रारंभ में हमने 42 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया और अब 126 लाख टन का निर्यात किया जा रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने हाल ही में पूर्वी यूरोप व पश्चिमी यूरोप

[डो० पी० चट्टोपाध्याय]

के देशो के साथ समझौते किए हैं उनमें उसने काफी उंचे मूल्य प्राप्त किए हैं। यह वर्तमान परिस्थितियों के परिणामस्वरूप संभव हो सका है। हमें आशा है कि हम वार्ता के द्वारा जापान से भी अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। मुझे इस समय याद नहीं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कैसे इतने समझौते किए हैं जिनमें मूल्य वृद्धि संबंधी खण्ड नहीं है।

श्री एस० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : समझ में नहीं आता कि 1970 में 9 वर्षों के लिए समझौता क्यों किया गया माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास 200,000 लाख टन से अधिक लौह अयस्क है। परंतु भारत 100 वर्ष तो नहीं रहने वाला है। इसे तो हमेशा ही रहना है। हमें अपने संसाधनों को देश में ही उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा ? यह जो हानि हुई है यह लौह अयस्क के मूल्य पर हुई है अथवा जापान को इसके परिवहन पर हुई है ? लौह अयस्क के लिए हमें कितना वास्तविक मूल्य प्राप्त हो रहा है ? क्या जापान हमारे निम्न ग्रेड का अयस्क भी खरीद रहा है ? यह बताया गया है कि हमें आस्ट्रेलिया और ब्राजील से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। परंतु हमारा अयस्क उन देशों के अयस्क से घटिया है अथवा उत्तम ? क्या विधि मंत्रालय ने इन समझौतों की मंजूरी दी थी ?

प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय : समझोते उच्च स्तरीय सचिव समिति ने मंजूरी दी थी। जिस काम में बहुत अधीक निवेश की अपेक्षा हो उसके लिए दीर्घावधि समझौते भी आवश्यक हैं। बाजार की मन्दी को देखते हुए इतना दीर्घावधि समझौता किया गया था। किसी भी समझौते की शर्तें कई बातों पर निर्भर करती हैं। मैं अपने मूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात से सहमत हूं। हमारे पास बहुत अधिक संसाधन हैं जो कि वर्तमान उपयोग के आधार पर लगभग 800 वर्षों के लिए पर्याप्त हैं। अतः इस बारे में हमें अनावश्यक रूप से चिंता नहीं करनी चाहिये। घोटे के भी कई कारण हैं। बैलाडिला और विशाखापत्तनम की दूरी लगभग 400 किलो मीटर है और भाड़ा एक महत्वपूर्ण कारण है। हमारी पत्तन सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। वर्तमान पांचवीं योजना में उनकी और ध्यान दिया जा रहा है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय, आपकी अनुमति से मुझे 19 अगस्त 1974 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करनी है :

1. आज की कार्य सूची से आगे ले जाये गये सरकारी कार्य के किसी भी विषय पर विचार करना,

2. अध्यादेशों की प्रतिस्थापना के लिए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना एवं उनके निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प :

(क) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974।

(ख) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974।

(ग) अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अध्यादेश, 1974।

(घ) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)।

(ङ) एल्कॉक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(च) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(छ) प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक 1974, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

3. बाढ़ और सूखे की स्थिति पर शनिवार 24 अगस्त, 1974 को चर्चा।

2. मुझे सदन को यह भी सूचना देनी है कि रेल मंत्री 21 अगस्त, 1974 को अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पेश करेंगे और माल भाड़े तथा यात्री किराये की दरों में समायोजन के प्रस्तावों के साथ साथ रेलों की वित्तीय स्थिति के संबंध में वक्तव्य देंगे।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : There is strike and lock-out in Air-India. It should be discussed during the next week and Government should give a statement.

Shri L. M. Madhukar (Kesaria) : There are a large number of Cane growers in our country and Sugar Cane is used in Sugar Mills. Sugar Cane and Sugar Industries are facing crisis. There is great discontentment amongst cane growers as they are not getting proper price for their produce. This matter should be discussed in the House and Hon. Minister should be asked to give Statement.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : गत अप्रैल मास में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने देश में औषधियों की कमी का संकेत दिया था आज वह संकट उपस्थित हो गया है। देश में अस्पतालों में एवं दुकानों पर औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय है। कोडोपायरिन, एल्डामाइन जैसी आम औषधियां अधिकतर दुकानों पर उपलब्ध नहीं हैं। सदन के स्थगन से पूर्व इस स्थिति पर चर्चा की अनुमति प्रदान की जाये। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने भारत सेवक समाज के कदाचारों के बारे में कपूर आयोग के प्रतिवेदन से उद्धरण लेकर संसद सदस्य, श्री एल० एन० मिश्र को हटाने के प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं प्रस्ताव में कहीं गई बातों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूं। इस प्रस्ताव को 2 अगस्त को सूचना दी गई थी और लोक सभा सचिवालय ने इसे तत्काल प्रधानमंत्री को भेज दिया था। 15 दिन के बाद भी उस प्रस्ताव को कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे भ्रष्ट मंत्रियों की रक्षा करना चाहते हैं। मैंने एक विशिष्ट मामला प्रस्तुत किया है और यदि मैं उसको सिद्ध नहीं करता तो मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रधान मंत्री, सरकार को निदेश दें कि इस प्रस्ताव को यथाशीघ्र चर्चा के लिये कार्यसूची में शामिल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार बिना किसी प्रक्रिया का अनुसरण किये अपने विचार व्यक्त करना चाहते है तो फिर इस प्रस्ताव को मुझे या प्रधान मंत्री को भेजने का कोई लाभ नहीं होगा आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने 15 दिन तक प्रतीक्षा की है।

अध्यक्ष महोदय : समय के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने इस मामले की जांच करनी है।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : It may be recalled that I had raised the question of victimisation of the employees of all the offices of comptroller and Auditor General of India last Friday and requested the Finance Minister to make a statement thereon. Inspite of your directions, the statement has not been made even after one week.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे वह कल ही मिला है और मैं तथ्यों का पता लगा रहा हूं जिनके आधार पर मैं वक्तव्य दे सकता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आगामी सप्ताह में वक्तव्य दे दूंगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : There is some controversy about the assets of the former Minister of Agriculture. He has stated that he has a property worth Rs. 6 lakhs.

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में प्रधान मंत्री से सभा से बाहर मिल सकते है। हर बात यहां नहीं उठाई जा सकती।

Shri Atal Behari Vajpayee : We can demand the statement of the Prime Minister thereon.

Mr. Speaker : At present you can make your observation about the issues pending before the House.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आगामी सप्ताह के लिये में एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि आगामी सप्ताह में प्रधान मंत्री द्वारा उन आरोपों पर एक वक्तव्य दिलाया जाये जिनके बारे में लोकसभा के एक सदस्य श्री एस० एन० मिश्र ने आवश्यक दस्तावेज भी पेश किये हैं **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कल चुनाव होता है और आज यह मांग की जा रही है जबकि सभा के कार्य की घोषणा की जा रही है। यह ठीक नहीं है, इस मामले को आज ही क्यों उठाया जा रहा है?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं ने लिख कर भेजा था कि मैं ये मामले उठाना चाहता हूं और उनमें पहला मामला श्री अहमद की सम्पत्ति का था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय आपके प्रस्ताव सभा के कार्य से सम्बन्धित होने चाहिये।

श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय सदस्य मंत्रि परिषद में रहे है और यदि वह परमात्मा की कृपा से निर्वाचित हो जाते है तो बाद में उनके बारे संसद में अथवा न्यायालय में कोई मामला नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने मंत्री के रुप में अपनी सम्पत्ति की घोषणा की है और उसका विवरण प्रधान मंत्री को भेजा है। तो क्या हम उस विवरण की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के मामले उठाने की भी प्रक्रिया है परन्तु सभा के कार्य की घोषणा के समय इस प्रकार के सुझाव देना युक्तिसंगत नहीं है।

नियम 377 के अधीन मामलें
MATTERS UNDER RULE 377

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : गुजरात में वर्षा न के बराबर हुई है। एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है। भावनगर को पीने का पानी सप्लाई करनेवाले जलाशयों में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। यदि 5 दिन तक वर्षा न हुई तो भावनगर में पानी नहीं मिलेगा मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वह गुजरात के राज्यपाल को अनुदेश दें कि भावनगर को शेरसंजी जलाशय से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था की जाय।

Shri Madhu Limaye (Banka) : National Book Trust was set up mainly to publish good books in regional Indian languages but they have been publishing most of the books in English in the recent past. The honable Minister should clarify the position. I would also like to know whether budget for the aforesaid Trust has been reduced as an economy measure ? Besides I want to know whether any book has been published for children during the last 3-4 years by the Children Book Trust.

श्री बी० वी० नायक (कनाडा) : सरकारी उपक्रमों का कार्य पर्याप्त नहीं है। चाहता हूं कि इस देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गई औद्योगिक रियायतों पर इसी सत्र में चर्चा करने के लिय समय निर्धारित किया जाना चाहिये ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : It has been stated by the President of Delhi Univerciity Students Union that the Vice-Chaneller had closed the University on 9th Augus; so that maximum number of students may be able to join the rally organised by the Youth Congress and two days thereafter action was taken against four students. If no efforts made to stop the action the President of the Students Union has threatened that there will be agitation against the authorities of Delhi University. The Minister of Education should therefore, give a statement on the issue.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 250 करोड़ रुपये के एक द्रुत कृषि कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। यह आरोप भी लगाया गया है कि प्रतिवेदनों में गम्भीर घोटालों का उल्लेख है क्या इस मामले में भूतपूर्व कृषि मंत्री का हा होने के कारण द्रुत कार्यक्रम संबंधी प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया और न ही उसे सभा-पटल पर रखा गया है ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन को कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ? घरग्राम (पश्चिम बंगाल) के आदिवासियों पर अत्याचार के बारे में अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। मैंने इस बारे में 6 अगस्त को सूचना भेजी थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ध्यान इस मामले की ओर दिलाया जा चुका है। अब आप बैठ जाइये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कुछ सुझाव दिये गये हैं। जिन सुझावो को आपने अनुचित करार नहीं दिया है, उन्हें मैं सम्बन्धित मंत्रियों को भेज दूंगा ।

कार्यमंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
46 वां प्रतिवेदन

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 46 वें प्रतिवेदन से, जो 14 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 46 वें प्रतिवेदन से, जो 14 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अनुदानो की अनुपूरक मांगें (पांडेचेरी) 1974
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1974-75 के लिये पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षत्र के संबंध में अनुदानों की अनपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक
COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) BILL

बित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में, कतिपय कम्पनियों के लाभों में से लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी निर्बन्धनों के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापिन करने की अनुमति दी जाये ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठा सीन हुए :
MR. DEPUTY SPEAKER in *the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में, कतिपय कम्पनियों के लाभों में से लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी निर्बन्धनों के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कम्पनी (लाभांशो पर अस्थायी निर्बन्धन) विधयक के बारे में 6 जुलाई 1974 और 15 जुलाई 1974 को अध्यादेश जारी किये गये थे और यह विधेयक 9 अगस्त, 1974 को पेश किया गया है । इसके बाद 14 अगस्त को शुद्धिपत्र जारी किया गया था । परन्तु शुद्धिपत्र के नाम पर वह कोई बड़ा संशोधन पुरःस्थापित नहीं कर सकते । वह नियमित रूप में संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि क्या शुद्धि-पत्र के माध्यम से कोई बड़ा संशोधन पुरःस्थापित किया जा सकता है ?

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में निहित योजना 6 जुलाई, 1974 को लागू कर दी गई थी । यदि यह बात ठीक है तो कुछ धनराशि खर्च भी कर दी गई होगी । यह राशि किस शीर्ष में दर्शायी गई है । सरकार संसद की अनुमति के बिना कोई धनराशि खर्च नहीं कर सकती । यदि सरकार कहे कि कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है तो इसका अर्थ यह है कि उक्त योजना क्रियान्वित नहीं की गई है । यदि यह बात ठीक है तो इसका अर्थ यह है कि उपरोक्त अध्यादेश 6 जुलाई को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । मैं वित्त मंत्री के विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करने और निममित प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व आपका इन दो बातों पर विनिर्णय चाहता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस विधेयक मे शुद्धि-पत्र के रूप में काफ़ी परिवर्तन किये जा रहे हैं । संशोधन करने सम्बन्धी उपबन्धों का अनुसरण किया जाना चाहिये

अनुच्छेद 117(1) के अधीन राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है । हम पूछना चाहते है कि कम्पनी-कार्य विभाग के किस शीर्ष के अन्तर्गत यह धनराशी खर्च की गई है, सरकार को इस व्यय की व्यवस्था के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें अथवा अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत करने होंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं इस बात पर सहमत हूं कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने पर ही संशोधन किया जा सकता था । मूल विधेयक अध्यादेश था और अध्यादेश का संशोधन राष्ट्रपति द्वारा एक अन्य अध्यादेश जारी करके ही किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I would like to ascertain from your office whether corrigenda was a part of the Bill and the same was a printing mistake when the notice was received by them. If some thing is to be added it can be done through a regular amendment and not through back-door. In so far as the question of expenditure of Company Law Department is concerned, supplementary demands should be brought before the House. The chair should give a ruling in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This ordinance was promulgated on 6th July in haste. Therefore, an amendement was issued on 15th July. Thereafter the Bill was brought on 9th August and an amendment was brought on 14th August. It is clear that no amendment can be introduced through corrigenda. It seems that Ministry of Law has not been consulted. This is objectionable.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हम निश्चय ही परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के विधेयक पुरःस्थापित कर सकते है । अब प्रश्न यह है कि क्या हम शुद्धिपत्र पुरःस्थापित कर सकते है या नहीं । तो मेरे विचार में पहले भी विधेयक पुरःस्थापित करने से पूर्व शुद्धि-पत्र जारी किये जात रहे हैं । यह कार्यवाही सभा की प्रक्रिया के अनुरूप है, प्रक्रिया की दृष्टि से इसमें कोई गलती नहीं है । जहां तक अतिरिक्त व्यय का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार अभी कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है और यदि धनराशि खर्च की जानी है तो उसके लिये आकस्मिक निधि से निकाली जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने सचिवालय से पता लगाया है । जहां तक शुद्धि-पत्र का सम्बन्ध है वह छपायी की गलती है और मंत्रालय द्वारा भेजे गये विधेयक में सब शुद्धियां सम्मिलित ।

श्री सेझियान : इस विधेयक को 16 अगस्त को पुरःस्थापित किये जाने का विचार था । इसका अर्थ यह है कि 9 अगस्त को प्रूफ की अधिकृत प्रतियां लोकसभा को मिल जानी चाहिये थी, यह शुद्धिपत्र 14 अगस्त का है और इसलिये 9 अगस्त की प्रूफ-प्रतियों में यह शुद्धिपत्र सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संशोधन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपने अधिकारियों से पता लगा है कि स्थिति यह है कि विधि मंत्रालय ने विधेयक की एक मुद्रित प्रति भेजी है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : कितने दिन पूर्व ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी मुझे जानकारी नहीं है । जैसे ही हमें प्रति विधि मंत्रालय से प्राप्त होगी हम उसको सदस्यों में वितरित कर देंगे । उक्त विधेयक में वे कुछ शुद्धियां करना चाहते है और वे शुद्धियां वहीं हैं जिनका श्री सेझियान ने उल्लेख किया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालीयर) : वे संशोधन हैं, शुद्धियां नहीं हैं। इस बात का निर्णय आपने करना है कि क्या व इस अवस्था में संशोधन प्रस्तुत कर सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवस्था में संशोधन प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता। अब शुद्धियों सहित विधेयक सदन के सम्मुख है। शुद्धि का अर्थ किसी शब्द के अर्थ को उसके अर्थ में परिवर्तन किये हुए स्पष्ट करना है। मैंने इन शुद्धियों की जांच नहीं की है। अब प्रश्न यह है कि विधेयक का शुद्धियों सहित परिचालन नियमानुसार समय पर किया गया है। सदस्यों को इस बात की चिन्ता है कि क्या उन शुद्धियों से अर्थ में कोई मूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने जो भी परिवर्तन किये हैं वे सब सभा के सामने हैं और वे यथासमय किये गये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उक्त परिवर्तन विधेयक की पुर:स्थापना में कहां तक बाधक हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्हें शुद्धि के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। यदि वे संशोधन के रूप में इन्हें प्रस्तुत करना चाहते है तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शुद्धि के नाम पर वे विधेयक में संशोधन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : वे संशोधन नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे विधेयक में भारी परिवर्तन करना चाहते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : विधेयक में इस समय भारी संशोधन अथवा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिय क्योंकि ऐसा करने की अनुमति गैर-सरकारी सदस्यों को भी नहीं दी जाती है। यदि गैर-सरकारी सदस्यों को अपने विधेयक में और कुछ जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो सरकार को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति क्यों दी जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस बारे में स्थिति बहुत स्पष्ट है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपको सर्व प्रथम यह विचार करना चाहिये कि क्या शुद्धिके बहाने सदस्य कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा करना सभा को धोखा देना होगा।

हम इस बारे में पीठासन से स्पष्ट विनिर्णय चाहते हैं कि क्या अध्यादेश में संशोधन कितनी सीमा तक किया जा सकता है। संशोधन करने की भी कोई सीमा होनी चाहिये। उस सम्बन्ध में पीठासीन को विनिर्णय देना चाहिये। यही मूल बात है। अत: हम यह तर्क स्वीकार करने को भी तयार नहीं हैं कि सरकार को कोई भी तथा किसी प्रकार का संशोधन किसी भी सीमा तक करने का अधिकार है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is not an ordinary procedural matter. This Government is so incompetent that we have to interfere in any legislation, it brought for introduction in the House. The word 'Net profit' was not there in the Ordinance first. A new ordinance was brought for this purpose. It gives bad name to us. You should not take it lightly.

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को मजाक में नहीं ले रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : सरकार ने बाद में सोचकर ऐसा किया है क्योंकि मूल विधेयक में अध्यादेश की नकल की गई है। पहला विधयक जो प्रस्तुत तथा परिचलित किया गया था वह अध्यादेश की अक्षरश: नकल है। अत: बाद में सोचकर सरकार ने अध्यादेश में परिवर्तन करने का विचार किया होगा।

गैर-सरकारी सदस्य के रूप में यदि मैं एक विधेयक प्रस्तुत करता हूं तो शुद्धियों के बहाने मझे विधेयक में नये उपबन्ध शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है । मैं आपसे इस बारे में विनिर्णय चाहता हूं कि क्या सरकार को शुद्धियों के नाम पर विधेयक में नये उपबन्ध जोड़ने का अधिकार है ?

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : लोक सभा सचिवालय को दो प्रमाणति प्रतियां एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये थी । आज 16 तारीख है अतः उक्त प्रतियां 9 तारीख तक दी जानी चाहिय थीं । शुद्धि पत्र की तारीख 14 है । अतः इससे प्रतीत होता है कि लोक सभा सचिवालय को उक्त प्रतियां एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं हुई थी । अतः इस बारे में निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को इस बारे में तदर्थ प्रक्रिया अपनाने की अनुमति नही दी जानी चाहिये ।

श्री सेझियान : यदि सरकार शुद्धि के नाम पर विधेयक में संशोधन करना चाहती है तो क्या ऐसा करना संशोधन के लिय निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करना नहीं होगा ? अतः मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में स्पष्ट निर्णय दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक बुरी परम्परा कायम करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्रालय से मुद्रित प्रतियां 13 तारीख को प्रातः 2 बजे प्राप्त हुई थीं । उसी रात उन्हें परिचालित कर दिया गया था और सदस्यों को उक्त प्रतियां सुबह प्राप्त हो गई थीं । 13 तारीख की शाम को हमें मंत्रालय से शुद्धियां सायं 8 बजें प्राप्त हुई और उक्त शुद्धियां सदस्यों को अगले दिन सुबह तक परिचालित कर दी गई थीं । इन तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है ।

श्री सेझियान : आप मुद्रित प्रतियों के बारे में बता रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रूफ की दो प्रमाणित प्रतियां लोक सभा सचिवालय को कब प्राप्त हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । हमार सचिवालय को विधेयक की मुद्रित प्रतियां 14 तारीख को दो बज प्राप्त हुई । तब उन्हें उसी दिन सदस्यों को परिचालित कर दिया गया । 14 तारीख की रात आठ बजे तक सदस्यों को शुद्धियों सहित विधेयक की प्रतियां प्राप्त हो चुकीं थी । उसी रात सदस्यों को दस्तावज परिचालित कर दिय गय थ जो उन्हें 15 तारीख की सुबह प्राप्त हो गये थे ।

श्री सेझियान : यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है । विधेयक को परिचालन के लिये दो स्पष्ट दिन दिये जाने चाहिये थे । आपके वक्तव्य से यह सिद्ध होता है कि दो दिन का नोटिस नहीं दिया गया । अतः विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम में यह बिलकुल ट है कि विधेयक द्वारा अध्यादेश में संशोधन किया जा सकता है । यह दूसरी बात है कि किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है। विधेयक को दो दिन पूर्व यथा समय परिचालित किया गया था । इस बारे में अध्यक्ष के निदेश बिल्कुल स्पष्ट है । जब एक विधेयक पर विचार किया जाता है आप संशोधन के लिये नोटिस देते ह और उस पर सदन में विचार होता है और यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो विधेयक में संशोधन हो जाता है अब संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है।

सरकार ने हमे विधेयक और शुद्धि पत्र भेज दिया है और वह इस समय हम सबके सामने है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री सेझियान ने एक बहुत तकनीकी मामला उठाया है और वह यह कि शुद्धि-पत्र भी सदस्यों को दो दिन पूर्व परिचालित किया जाना चाहिये। इस बार में अध्यक्ष ने कोई निदेश नहीं दिये है। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है।

हमें विधेयक को पुरस्थपित करन में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह व्यवस्था का प्रश्न मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक इस पर हुए व्यय का सम्बन्ध है विज मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर कोई व्यय नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि इस पर कुछ व्यय भी हुआ है तो उसे आकस्मिकता निधि से निकालने का उपबन्ध है। अध्यक्ष महोदय वित्तीय विधेयक (संख्या दो) के बारे में पहले ही यह विनिर्णय दे चुके हैं कि अधिवेशन के दौरान सरकार को अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करनी चाहियं।

श्री सेझियान : इस मामले में जब एक नई योजनां है तो किसी अन्य मद से, जिस पर मतदान हो चुका है, कोई धनराशी नहीं ली जा सकती। चाहें अन्य शीर्षक के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध ही क्यों न हो। महान्यायवादी ने इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया है। यदि कोई धनराशि व्यय की गई है तो उन्हे सदन को इस बात से संतुष्ट करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से वर्तमान आवंटित राशि को हुए बिना धनराशि ली गई है। अपना विनिर्णय देते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये। अन्यथा यह व्यवस्था अवैध और असंवैधानिक होगी। मैं आपको इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय स्थगित करने का सुझाव दूंगा। आकस्मिकता निधि से निकाली गई धनराशि का उन्हें पूरा ब्यौरा देना चाहिये। अत: आपको संसद् के भविष्य के लिये इस बारे में स्पष्ट निर्णय देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : विवाद का मुख्य विषय यह है कि अब विधयक पुर:स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं। मंत्री महोदय बता चुके हैं कि इस मामले में अतिरिक्त धनराशि खर्च नहीं की गई है।

श्री सेझियान : सदन को इस बारे में जानकारी का अधिकार है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह बहुत सरल प्रश्न है। माननीय सदस्य इस मामले को पेचीदा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्तीय वक्तव्य में यह कहा गया है कि अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त व्यय करना आवश्यक होगा। अभी तक अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। अत: इस सम्बन्ध में न तो अनुपूरक मांगों के माध्यम से अथवा नहीं आकस्मिकता निधि के माध्यम से कोई व्यय करने का प्रश्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I oppose this Bill. There is no justification in issuing the ordinance without waiting for a few days for the sitting of the Parliament. It is against the democratic Parlimentary conventions. The speaker has assured that he would try to find out how far the issuing of ordinance was justified. The Hon. Speaker should give his ruling in this matter.

Secondly, this Bill gives the Government extra ordinary powers. Clause 15 of the Bill refers to the difficulties but has not been made clear as to what kinds of difficulties have been visualised by the Finance Minister.

It is from this point of view that this Bill is defective and incomplete.

श्री सेझियान : यह विधेयक असंवैधानिक है। अत: मैं इसकी पुर:स्थापना का विरोध कर रहा हूं। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में कुछ कम्पनियों के

लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी रोक लगाई गई है और उसे अध्यादेश और अब विधेयक द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा ।

खंड 3 में उन कम्पनियों की परिभाषा दी गई है जिन पर यह विधेयक लागू किया जायेगा । इस उपबन्ध से उन कम्पनियों को निकाल दिया गया है जिनमें जनता की रूचि नहीं है । इसमें से प्राइवेट कम्पनियों तथा उन विदेशी कम्पनियों को भी निकाल दिया गया है जो भारत में लाभांश वितरित नहीं करतीं ।

खंड 7 के अन्तर्गत कम्पनियां अपनी अस्तियों का विवरण नहीं करेंगी, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किसी प्रकार कर आभार स्वीकार नहीं करेंगी और न ही किसी शेयर होल्डर को ऋण देंगी । भारत में अपने लाभांश की घोषणा करने वाली विदेशी कम्पनी इस उपबन्ध के अधीन आयेंगी, किन्तु वह विदेशी कम्पनी जो भारत में अपने लाभांश की घोषणा नहीं करती, किसी शेयर धारी को अपनी इच्छानुसार ऋण दे सकतीं हैं । अतः विधेयक में भेदभाव से काम लिया गया है । कम्पनियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये ।

इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता हैं और यह विधेयक असंवैधानिक हो गया है । अतः सदन को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये और इस विधेयक पर विचार नही करना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : It has been stated that one of the objects of the Bill is to 'promote savings in the economy'. But there is wild discrimination between indigenous companies and foreign companies. There is no reason why special treatment should be given to these Companies which have remitted their dividends abroad.

My second objection is this that the memorandum of delegated legislation, appended to this Bill, is in complete and misleading. Is it not the duty of the Government to mention all those clauses under which rule-making power have been conferred on Government under this Bill ? Unless the memorandum of delegated legislation is revised, this Bill cannot be proceeded with.

Thirdly, in almost all the legislation there is a clause of 'removal of difficulties'. I want to know whether the Hon. Minister will clarify this matter.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : देश में कुल कम्पनियों की संख्या 34,878 है । इनमें से 6,846 पब्लिक सार्वजनिक कम्पनियां है और 28,032 प्राइवेट कम्पनियां हैं । उक्त विधान केवल 6,846 पब्लिक कम्पनियों पर ही लागू होगा । इसमें भी यह विधान केवल उन कम्पनियों पर लागू होगा जिनमें जनता की भारी रूचि है । अतः उनकी संख्या 3000 या इससे कुछ अधिक होगी । अतः इस बारे में भारी भेद-भाव किया गया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया है । विदेशी कम्पनियों को विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की बात कही गई है । संवैधानिक रूप से हम ऐसा कर सकते हैं ।

श्री मधु लिमये (बांका) : लाभ इस देश में कमाया जाता है ; आप उन पर यहां नियंत्रण लगा सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तविकता यह है कि इसकी घोषणा भारत में नहीं की जाती ।

श्री सेझियान : नोटों के बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक पृथक मामला है । इससे कौन सी कम्पनियां सम्बद्ध हैं, हम यह बता चुके हैं । दूसरी बात जो मैं समझता हूं यह है कि यह सभा इस मामले के संवैधानिक पहलू पर विचार कर सकती है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : 34,000 कम्पनियों में से आप केवल 6000 कम्पनियों की देखभाल कर रहे हैं । इन 6000 में से भी आप केवल 3000 ले रहे हैं । इस प्रकार आप भेदभाव कर रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में भेदभाव की कोई बात नही है । जो शक्तियां प्रदान की गयी हैं, उनका उल्लेख विवरण में किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में, कतिपय कम्पनियों के लाभों में से लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी निर्बन्धनों के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अध्यादेश 1974 के बारे में वक्तव्य :

STATEMENT RE. COMPANIES TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDEND ORDINANCE, 1974 AND COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) AMENDMENT

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 तथा कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन अध्यादेश, 1974 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The statement under rule 71 should have been given on 22nd July, 1974 when this ordinance was placed before the House. Under rule 71(2) there is a provision of placing the explainatory note alongwith the Bill. Government should be directed to give explanatory statement on the first day so that this House could know whether immediate action in this behalf was necessary.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The statement given by the Finance Minister is most unsatisfactory. Adequate justification for issuing ordinance on 6th July without waiting for 22nd July when the session of Parliament commenced should have been given.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उस समय लिया जाएगा जब विधेयक पर चर्चा होगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Finance Minister should tell us what was the necessity of issuing the ordinance on 6 th July. Why he could not wait for 22nd, the day when the session was to commence.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इन अध्यादेशों के सभा पटल पर रखे जाने के समय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अध्यादेशों के जारी करने सम्बन्धी औचित्य का स्पष्टीकरण मंत्री महोदय इन पर चर्चा के दौरान करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने नियम 71(2) का उल्लेख करते हुये पूछा है कि अध्यादेश के साथ सभा पटल पर व्याख्यात्मक वक्तव्य की प्रतिलीपी क्यों नहीं रखी गयी ।

Shri Madhu Limaye : I want your direction on applying the provision of rule 71(2) on this also.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वक्तव्य को अभी भी सभा पटल पर रखना कोई गलती नही है । वास्तव में यह वक्तव्य रखा जाना चाहिये था और रख दिया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government may be directed to give statement alongwith the ordinance in future.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी के तर्क युक्तिसंगत है । इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुकें है और जब विधेयक पर चर्चा होगी तो हम इस पर पुनः चर्चा कर सकते हैं मेरे विचार में अब हम अगले विधेयक पर चर्चा करें ।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक

ADDITIONAL EMPLOYMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त उपलब्धियों के अनिवार्य निक्षेप का और तत्संबन्धी स्कीम बनाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

श्री सेझियान : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यादेश 6 जुलाई को जारी किया गया । विधेयक पर 9 अगस्त को हस्ताक्षर किये गये और 14 अगस्त को इसका शुद्धिपत्र जारी हुआ, जिसमें लगभग 13 मद शामिल है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध कर रहे है या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री सेझियान : संशोधनों के स्थान पर शुद्धिपत्र जारी करने सम्बन्धी सरकार की आदत उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सेझियान : यदि यह सिलसिला जारी रहा तो शुद्धिपत्र की मदों की संख्या विधेयक की मदों से बढ़ जायेगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : छापखाने में भी कभी कभी गलतियां रह जाती हैं । क्या आप चाहते है कि शुद्धिपत्र जारी ही न किये जायें ?

श्री सेझियान : आप अपने मंत्रालय को कह दीजिये कि इस प्रकार के शुद्धिपत्र न जारी करें ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : No details of the modifications to be made by the Government have been given. Are these modifications in the form of clarifications or they are procedural ?

[Shri Madhu Limaye]

Under clause 17, exceptional power of delegation has been allowed and no principles or guidelines have been laid down as to how these powers allowed under this clause will be used. Further, it has not even been mentioned in the memorandum of delegated legislation. There must be some framework for utilising the power granted here.

The Government is also imposing certain expenditure on State Government for which they have not obtained vote from their respective Legislative Assemblies and for which they have not made any provision in their annual budgets. So it is beyond the legislative competence of this House to ask the State Governments to bear some expenditure.

सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : क्या हम इस स्थिति में इस विधेयक पर चर्चा भी कर सकते हैं। राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी कर्मचारियों को इस विधेयक की परिधि में ले लिया गया है। खंड 6 के उप खंड (2) (ख) में समेकित निधि से वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय या राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अलावा शेष सभी कर्मचारियों का उल्लेख है लेकिन स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है। अतः सूची की प्रविष्टि 5 के अन्तर्गत संविधान सम्बन्धी और स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियों का मामला राज्य विधान मंडलों के लिए सुरक्षित रखा गया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार यह उप्रबन्ध है कि प्रविष्टि 5 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन सेवा सम्बन्धी उपबंध राज्य विधान मंडलों द्वारा किया जाता हैं।

विधान में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की नयी सेवा शर्तें लगाने का विचार है जिसे कि केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। इस सम्बन्ध में यह तर्क किया जा सकता है कि देश में व्याप्त असाधारण परिस्थिति में संविधान के कुछ उपबंधों के अन्तर्गत संसद को असाधारण शक्ति प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत अपात स्थिति की उद्घोषणा किये बिना प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग कर सरकार सातवीं अनुसूची की सूची 2 में विधान मंडल की शक्तियां छीनना चाहती है जबकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जहां तक अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत अपात स्थिति की घोषणा करने का सम्बन्ध है, यह तो पूर्णतया भिन्न विषय है। सरकार को यह मानना चाहिये की ऐसी स्थिति सरकार ने ही पैदा की है जिससे कि भारत में या इसके किसी भू-भाग में वित्तीय स्थिरता या ऋण सम्बन्धी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस आधार पर यह विधेयक नितांत रुप में असंवैधानिक है और इसे सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

44 वां प्रतिवेदन

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा (चिकमगलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 14 अगस्त 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 14 अगस्त 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

कृषि श्रमिकों के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. AGRICULTURAL LABOUR

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री गदाधर साहा के कृषि श्रमिकों सम्बन्धी संकल्प पर आगे विचार करेगी। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी करेंगे।

*श्री **गदाधर साहा** (बीरभूम) : मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण ग्रामीण जनता विशेषकर कृषि श्रमिकों और गरीब किसानों का जीवन कष्टप्रद हो गया है। हमारे देश के 70% लोग गांवों में रहते है जिसमे आदिवासी, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े लोग 40 प्रतिशत हैं। मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप न केवल उनका जीवन कष्टप्रद हुआ है अपितु इन लोगों में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ रही है तथा उनके कष्ट कई गुना बढ़ रहे हैं। यह दावा किया गया है कि खाद्यान्न का उत्पादन काफी संतोषजनक हुआ है। यदि ऐसी बात है तो फसल कटने के तुरन्त बाद यह स्थिति क्यों सामने आ रही है? बहुत से कृषि श्रमिक बेरोजगार होते जा रहे हैं। औसतन यदि एक कृषि श्रमिक को 120 दिन काम मिल जाये तो वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता है। एक ओर बढ़ते हुए मूल्यों के कारण जोतदारों को खाद्यान्न का अधिक मूल्य मिल रहा है तो दूसरी ओर कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। केवल वास्तविक मजूरी ही नहीं मिल रही है, अपितु बहुत से मामलों में उन्हें शोषण के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। निस्संदेह, कुछ राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिये कानून लागू किए हैं परन्तु बहुत से मामलों में उन्हीं राज्यों में जो मजूरी दी जाती है वह कानूनी मजूरी से कम है। इस प्रकार वर्तमान कानून कृषि श्रमिकों के लिये किसी भी रूप में सहायक नहीं हैं। 1951-61 में जब जनसंख्या में 21.5 प्रतिशत वृद्धि हुई तो खाद्यान्न के उत्पादन में 38.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। अत: यह कहना सही नहीं है कि चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिये मूल्य बढ़ रहे हैं। गत 20 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन की दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है। फिर देश में खाद्य की गंभीर स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है? वास्तविकता यह है कि जोतदारों और मुनाफाखोरों ने कृषि वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं, औद्योगिक कच्चे माल तथा औद्योगिक उत्पादन पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर रखा है। वस्तुओं की जमाखोरी करने और बनावटी कमी पैदा करने हेतु उनके पास अत्यधिक वित्तीय क्षमता है। देश में इस शोचनीय स्थिति के लिये मैं सरकार की कृषि सम्बन्धी नीति को उत्तरदायी ठहराऊंगा। देश के विभिन्न भागों में भुखमरी से हो रही मौतों के लिये सरकार उत्तरदायी है। कृषि कार्यों के लिये अधिकाधिक मशीने बनाई और आयात की जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग से धनी और निर्धन किसानों के बीच खाई बढ़ गई है क्योंकि मशीनों के प्रयोग से धनी किसान अधिक लाभान्वित हुए हैं और निर्धन किसान और निर्धन हो गए हैं। उन्हे उनकी भूमि से निकाला जा रहा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। गत दस वर्षों के दौरान भूमिहीन कृषि श्रमिकों प्रतिशतता, जो उस समय 15 थी, बढ़ कर 25.7 हो गई है। यह हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है क्योंकि इससे कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में भूमि केन्द्रित होती जा रही है। इस प्रकार भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की भूमि सुधार नीति निष्फल सिद्ध हो रही है। कृषि क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री गदाधर साहा]

निर्धन किसानों के पास संसाधनों का अभाव होने के कारण उन्हें विवश होकर अपना खाद्यान्न बेचना पड़ता है । यह वास्तव में दयनीय स्थिति है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वर्ष बाद भी निर्धन किसानों को न केवल भूमि नहीं है अपितु उन्हें अपना निर्वाह करने के लिये न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिल रही है । यह आवश्यक है कि जमा किया हुआ खाद्यान्न निकाला जाये और बड़े जोतदारों और जमींदारों पर अनिवार्य 'लेवी' लगाई जाये । ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोली जायें । इतना ही नहीं, इस समय जो उचित दर को दुकानें हैं उनके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न वितरित नहीं किया जा रहा है ।

लाखों ग्रामीण लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये सरकार को वर्तमान खाद्य नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । इस समय विपणन योग्य जिस अतिरिक्त खाद्यान्न की जमाखोरी की जा रही है उसे वर्ष 1972 में प्रचलित दरों पर अनिवार्य रूप से वसूल किया जाना चाहिए । सरकार को सहायता प्राप्त दरो पर खाद्यान्न तेल, चोनी आदि सप्लाई करने चाहिए ।

परोक्ष करो से मूल्य बढ़ते हैं अतः उन्हें कम किया जाना चाहिए ।

कृषि श्रमिकों के मामले मे न्यूनतम मजूरी का मूल्य-वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है । कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी इस प्रकार निश्चित की जाये कि वे अच्छी तरह जीवन निर्वाह कर सकें । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहिए कि वे अपने कानूनों में आवश्यक संशोधन करें ताकि कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके । यह भी आवश्यक है कि सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क निर्माण की योजनाओं और ऐसी ही अन्य योजनाओं पर तुरंत विचार किया जाये और उन्हें पूरा किया जाये । इन योजनाओं से ग्रामीण श्रमजीवी वर्ग को पर्याप्त रोजगार मिल सकेंगे । सरकार को कृषि श्रमिकों को एक दिन में 8 से 10 घंट तक के स्थाई काम देने को गारंटी देनी चाहिए । इस समूचे मामले पर विचार करने के लिये अलग व्यवस्था को जानी चाहिए ।

गत दो-तीन वर्षों से सरकार भूमि सुधारों के बारे में बड़ी-बड़ी बाते कर रहीं हैं । परन्तु अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है । भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी वर्तमान कानून स्वयं में दोषयुक्त हैं। इन कानूनों की सफलता के लिये जहां कहीं भी किसानों ने आवाज उठाई है वहां उनकी आवाज दबा दी गई है । पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है। हमने देखा है कि सरकारने गत 2-3 वर्षों में बेनामी भूमी का पता लगाने और उसे किसानों में बांटने के लिए समेकीत प्रयास नहीं किए है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य 25 मिनट ले चुके है । **(व्यवधान)**

श्री गदाधर साहा : मेरा सुझाव है की 10-15 एकड़ और 15-20 एकड से अधिक भूमी बिना किसी मुआवजा अदा किए नियंत्रण मे ले ली जाए और किसानों मे निहित कर दी जाए। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरी मांगों का समर्थन करेंगे ।

सभापति महोदय : श्री मूलचंद डागा ने दो संशोधनों की सूचना दे रखी है । क्या वह उन्हे प्रस्तुत कर रहे है?

श्री मूलचंद डागा (पाली) : जी हां । मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं । मैं इन संशोधनों पर कुछ बोलना चाहता हूं...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : हमारे देश में कृषि श्रमिक संगठीत नहीं है और देश में सभी सरकारों द्वारा आरंभ से ही इनसे अपेक्षा की जाती रही है। सौभाग्यवश, केवल केरल सरकार ने कृषि श्रमिक अधिनियम बनाया है: कृषि श्रमिक और कृषक देश की सेवा कर रहे हैं। वेतनयोगी कर्मचारी हड़ताल करते हैं परन्तु कृषि श्रमिक ऐसा नहीं करते । सरकारने गावों में नियंत्रित दर पर राशन देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है परन्तु बड़े शहरों में औद्योगिक श्रमिकों को नियंत्रित दर पर खाद्यान्न दिया जाता है ।

योजना आयोग ने इन लोगों के संरक्षण के लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनायी है। वर्ष 1971 से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहिन श्रमिकों के लिये आवास स्थल उपलब्ध करने की योजना आरंभ की हुई है । विजयवाड़ा से एलूरु तक मैंने देखा है कि थोड़ी सी राजसहायता से लोगों ने छोटें -छोटे मकान बनाए हैं परन्तु धन के अभाव के कारण उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई है।

मैं यह कहता रहा हूं कि यदि हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, विशेषकर भूमि सम्बन्धि विधान को पूरा-पूरा लागू करें तो आलोचना नहीं होगी ।

भूमि सुधार विधान को पारित करने के बाद दो वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक कुछ ठोस काम नहीं किया गया है । 50,000 से 60,000 एकर कोल्हेरू भूमि है जिसे भूमिहीन लोगों में वितरित किया जा सकता है । यह भूमि 10,000 से 12,000 परीवारों के लिये पर्याप्त होगी ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बायीराजू धर्म संस्था है । यह एक जाली ट्रस्ट है । इसके बारे में मैंने एक ज्ञापन दिया है । इस धर्म संस्था के मालिक ने इस क्षेत्र के कृषि श्रमिकों के विरुद्ध फौजदारी मुकद्दमा चलाया है । इन फौजदारी मुकद्दमों में 43 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त है । इस धर्म संस्था ने सरकारी पट्टे की भूमि के विकास के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया से लगभग 3-4 लाख रुपये का ऋण लिया है ।

मैं श्री मोहन धारिया से अपील करता हूं कि वह अपनी योजना से श्रमिक वर्ग की सहायता करें न कि बड़े लोगों की । वसूली मूल्यों के नाम पर वे बड़े किसानों को रियायतें दे रहे हैं । छोटे किसानों पर इसका कुप्रभाव पड़ा है ।

केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर, 1971 में एक योजना आरम्भ की थी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को मकानों के लिये भूमि देने की व्यवस्था की गई है । मेरा विचार है कि केवल भूमि देने की व्यवस्था पर्याप्त नही है । छूआछूत समाप्त किये जाने के लिये हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं के मकानों के आसपास ही भूमि दी जानी चाहिये । मेरा यह भी सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की योजना आरम्भ करनी चाहिये । मेरा सुझाव है गांवों में सवर्ण हिन्दुओं तथा हरीजनों की बस्तीयों अलग अलग नहीं होनी चाहिये । मंत्री महोदय कृपया इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें ।

मैं इस संकल्प के प्रस्तावक को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं । लगभग 80 प्रतिशत खेतिहर मजदूर कृषि पर निर्भर करते हैं । किन्तु उनके लिये राशन की दुकाने नहीं हैं । यदि यही स्थिति रही तो देश के किसान क्रांति कर सकते हैं तथा तब उनको कोई रोक नहीं पाएगा ।

***श्री० एम० कतामुतु** (नागापट्टिनम) : अत्यंत खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वष बाद भी देश के खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है ।

* तमील में दिये गय भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रुपांतर ।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एम० कतामुतु]

देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या लगभग 4.75 करोड़ है तथा उनकी कुल जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है। देश के कृषि उत्पादन में उनका 40 प्रतिशत योगदान है। इतने पर भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। देश के कुछ भागों में खेतिहर मजदूरों को दैनिक मजदूरी 50 पैसे से लेकर एक रुपया तक ही दी जाती है। यदि वे अधिक मजदूरी मांगते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ वर्ष पहले तंजोर जिले में किलेवेन्मनी नामक स्थान पर इसीलिये 44 हरीजनों को जिनमें महिलाएं को भी जीवित जला दिया गया। रामनपल्ली, आन्ध्र प्रदेश में अब भी दासता प्रथा को जारी रखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश विधान सभा में वहां के कल्याण मंत्री ने स्वीकार किया था कि 100 खेतिहर मजदूरों के मकानों में आग लगा दी गई। सत्तारुढ़ दल ग्रामीण जनता को बिजली और पानी की सुविधाएं देने के लिये बहुत सी बातें करता है किन्तु उनके कल्याण के लिये वास्तव में कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 में बनाया किन्तु 1964 तक कई राज्यों में इसे खेतिहर मजदूरों पर लागू नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम मजदूरी का आवश्यक वस्तुओं के विद्यमान मूल्यों के साथ कोई सम्बन्ध है? क्या न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था से मजदूरों के जीवन निर्वाह स्तर में कोई वृद्धि हुई है? केन्द्रीय सरकार इसे राज्य का विषय बनाती है। केन्द्रीय सरकार के अनुसार देश की 2/5 जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का स्तर बिता रही हैं। किन्तु मेरे विचार से तमिलनाडु में 60 प्रतिशत जनसंख्या का निर्वाह स्तर गरीबी की रेखा से नीचा है।

एक ओर खेतिहर मजदूरों को वर्ष में 120 से 200 दिन तक काम मिलता है तथा दूसरी ओर उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है। अगस्त, 1973 को केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजूरी के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी किन्तु उस अधिसूचना को संघराज्य क्षेत्र दिल्ली के खेतिहर मजदूरों पर भी लागू नहीं किया गया। महरौली फारमों के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा पुलिस उन्हें तंग कर रही है।

मैं ऐसी अनेक घटनाएं बता सकता हूं। बढ़ाई के रूप में मजूरी देने के लिये कई जगह समझौते होते हैं किन्तु खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि को देखकर भूमि के मालिक उन समझौते को पूरी नहीं करते। इस स्थिति में वे नकद मजदूरी देना पसंद करते हैं तथा इस पर झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। पुलिस भूस्वामियों का पक्ष लेती है तथा खेतिहर मजदूरों की पिटाई करती है और उन्हें हर प्रकार की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं।

समाचार पत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ने तमिल नाडू सरकार के विधेयक को बिना अपनी अनुमति दिये वापस कर दिया है जबकि केरल के ऐसे ही विधेयक पर केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह तर्क किया है कि इस विधेयक पर धार्मिक संस्थाओं आदि ने विरोध प्रकट किया है। ऐसी संस्थाएं देश के खेतिहर मजदूरों का शोषण करती हैं।

कीटनाशी औषधियों के अधिक उपयोग के कारण खेतिहर मजदूरों में गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं किन्तु उन्हें कर्मकार मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत कोई सुविधा नहीं दी जाती। उनके ऊपर मजदूर संघ के कानून भी लागू नहीं होते।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सिंचित क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 7 से 10 रुपया तक मिलनी चाहिये तथा पिछड़े क्षेत्रों में 4 रुपया से 7 रुपया तक मिलनी चाहिये। न्यूनतम मजूरी अधिनियम पूरे देश में लागू होना चाहिये।

कर्मकार मुआवजा अधिनियम तथा मजदूर संघ सम्बन्धी नियम खेतिहर मजदूरों पर भी लागू होने चाहियें । खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिये तथा उसकी क्रियान्विति के लिये एक प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहियें। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये सरकार को उपयुक्त कदम उठाने चाहिये ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Sir, I am sorry to observe that the concerned ministers, except the Minister of Planning, are not present in the House. So many schemes have been formulated in our country but in the absence of this implementation, they have been proved to be the futile measures. If this situation cotninues a day may come when the country will have to face a revolution.

The Hon. Minister must be aware of the seriousness of the suitation. It is a matter of great concern that after 27 years of our independence Government could not ameliorate the economic conditions of the people. They could not remove the poverty from the country.

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair*]

So far as the land ceiling in concerned Government could not succeed in implementing the programme since they could not provide land to the agricultural labour. After implementing land ceiling law Rajasthan Government have declaired that no surplus land is available for the landless labour in Rajasthan. If this is the position, then what is the use of making land ceiling laws in the country ? I suggest that a time-limit must be fixed for the implementation of such laws so that no manipulations can be practised by the vested interest. It has also been observed that free residential plots proposed to be given to the poor peasants have not so far been given.

I would like to suggest that incentives should be given to the Khadi Village industry to provide more employment opportunities to the landless labour. I also suggest that concrete schemes should be formulated for the benefit of the labour and there schemes should be completed according to schedule.

Minimum Wage Act has not been made applicable on the landless labour. *Holi* system is still practised in the villages (*Interruptions*) I suggest that landless labour should be provided with adequate employment opportunities and not with relief or help because with the latter measure the feeling of self-respect cannot be instilled amongs the labours.

Shri R. R. Sharma (Banda) : Sir, I support the resolution moved by Shri Gadadhar Saha. Before taking charge of the Planning Ministry, Shri Mohan Dharia championed the cause of labour class. But now he has changed his tone.

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैंने अपनी भाषा नही बदली है ।

Shri R. R. Sharma : Even if he has not changed his tone, he cannot claim that the economic condition of the landless labour has been ameliorated by the Government after 27 years of our independence. Actually, the condition has become worse. (*Interruptions*) Land ceiling measures were taken in Uttar Pradesh also but I don't think even an inch of land has been made available to the landless labour through these measures. (*Interruptions*) Shri F. A. Ahmed who is a condidate for presidential election has got 220 acres of land. Prime Minister Shrimati Indira Gandhi also possesses land. (*Interruptions*)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री फखरुद्दीन अली अहमद यहां उपस्थित नहीं है । उनके ऊपर अनावश्यक रूप से आरोप लगाये जा रहे हैं, माननीय सदस्य इस आरोप को सिद्ध करें अन्यथा अपने शब्द वापस लें ।

Shri K. S. Chavda (Patan) : He is not a minister but he is a member of the House.

सभापति महोदय : मैंने इस बारे में कोई विनिर्णय नहीं दिया है ।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति पद के लिये एक उम्मीदवार के विरुद्ध निराधार आरोप लगाया है । माननीय सदस्य से कहा जाय कि वह अपने शब्द वापस लें या आरोप को सिद्ध करे ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य का आरोप इतना गम्भीर नहीं है जिसके लिये उन्हें अध्यक्ष महोदय को लिखितरुप से पूर्व सूचना देनी आवश्यक समझी जाये । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य चाहें तो उस आरोप का खण्डन कर सकते हैं ।

श्री मोहन धारिया : महोदय ! आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद मंत्रि-परिषद के सदस्य थे तथा मैं अधिकृत सूचना के आधार पर यह कहता हूं कि उनके पास आसाम सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं है ।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरे पास यह दस्तावेज है ।

सभापति महोदय : हम इस समय इस मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री मोहन धारिया : यह मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है तथा मैं सभा को य आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ने श्री मूलचंद डागा के संशोधनों सहित इस संकल्प को स्वीकार करने का निर्णय किया है । आज देश में करोड़ ऐसे भाई-बहन हैं जिनके पास भूमि नहीं है । हम चाहते हैं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय किये जाये ।

Shri R. R. Sharma : Sir, I am obliged to the hon. Minister for making such an encouraging statement. I would like to draw his attention to certain important points.

It is a matter of distress that the Government have purchased wheat from the farmers at the rate of Rs. 105 per quintal but they are distributing it to the consumers at the rate Rs. 150—160 per quintal. Is it not profitering on the part of Government ? I suggest that foodgrains should be given to the landless labour and poor persons at subsidised rates.

Patha Drinking Water project was taken up in 1973. It is said that this project would be the biggest projects in Asia of this nature. A heavy amount has been incurred on this projects but it has been proved totally useless for the people of Banda District. They cannot get drinking water from this project. I want that an effective enquring should be made in this regard.

In the end, I would like to warn the Government that if no concrete steps are taken by the Government to remove poverty from the country and to ameliorate the economic conditions of the labour class they will have to face the consequence in future.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Sir, through this important resolution the attention of the House has been drawn to the landless labour who are economically backward.

I would like to suggest that Government should give financial assistance alongwith the land to the landless labour so that they can make proper use of the land so provided to them.

[Shri R. S. Pandey]

Some people are against fragmentation of land with the plea that it would affect the agricultural production. I would like to draw the attention of the House to agricultural set up in America and Japan. In certain areas in Japan agricultural farms consist of 5—6 acres of land. But the farmers then are provided with all kinds of facilities including supply of inputs, marketing etc. by the Government.There is forty crores acres of land for agriculture purpose. 72 percent of people live in rural areas. 20 percent of people do not own any land. Ten percent of people have only one to ten acres of agricultural land. Sixty per cent of people have very small units.

When proposal for land reforms was introduced in the House, the people transferred their benami land to the members of their fami lies. These people are very alert and vigilant and take counter-measures. I do not know as to how long would it take for the States to implement the land reforms laws.

The people who possess vast areas of agricultural land, do not work themselves. If land is allotted to the landless people, they would work hard and would certainly increase the agricultural production. For the last 27 years, this class of have not's has all along been ignored. All our talk of socialism and abolition of poverty would have no meaning if the persons, who work hard are not given the possession of the means of production. With these words, I support the resolution.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : I rise to support the resolution regarding the agricultural labour. The representatives who are elected by the poor, do not pay any attention to their woes. Even the Government has failed to make any substantial improvement in the lot of the poor even after 27 years of independence.

I would live to know whether the 10—20 acres of land in big bungalows has been utilised for agricultural purposes.

The landless people and the poor do not have facilities for getting education, medical treatment and justice. I have been urging repeatedly to the Government to allot millions of forest land to the agricultural labour and the persons belonging to the Scheduled Castes. But no action has been taken so far.

The prices of foodgrains has been rising day by day. The labourers engaged in the construction work of buildings do not get ration at resonable prices as they have not got any ration card. The list of such workers should be obtained from the contractors and they should be given ration cards. The workers work for about twelve hours, but get only three and a half or four rupees a day. I would like know from the Honourable Planning Minister as to what steps have been taken to check their exploitation.

The people belonging to scheduled castes in Rajasthan and other States have been allotted agricultural land in the name of co-operative societies. These people are in a very desperate position even now. If agricultural production has to be increased, the land should be allotted to them individually.

The Patwaris have been empowered to procure levy wheat from farmers in Rajasthan. They are forcibly procuring wheat from the farmers and indulging in all sorts of consumption. The Government should pay special attention towards this.

The Government should issue cards to the poor in rural areas and scarce material like iron sheets, cement and kerosene oil should be entered upon on that card so that middle men might not take undue advantage.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : हमारी आयोजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय रहा है, परन्तु पिछले 25 वर्षों की आयोजना के बाद जब हम स्थिति की समीक्षा करते हैं, तो पाते हैं कि उन भूमिहीन श्रमिकों और छोटे किसानों को आयोजना का लाभ

[श्री वाय० एस० महाजन]

नहीं मिला है, जो देश की जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग हैं। इनमें सीमान्त कृषक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति भी शामिल हैं। भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सन 1882 में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 75 लाख थी। 1933 में उनकी संख्या बढ़कर 330 लाख हो गई और 1951 में उनकी संख्या 443 लाख हो गई। यही नहीं उनकी आर्थिक विपन्नता की स्थिति भी बदतर होती गई है। 1956-57 की श्रमिक जांच समिति के अनुसार खेतिहर मजदूर की औसत आमदनी 1 रु० 9 पैसे से 96 पैसे प्रतिदिन थी। संभव है खेतिहर मजदूर की दैनिक मजूरी में कुछ वृद्धि हो गई है, परन्तु कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि उससे समस्या में सुधार नहीं हुआ है। आबादी में वृद्धि होने के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रायल कमीशन ने यह सिफारिश की थी की खेतिहर श्रमिकों को अन्य स्थानों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करने चाहिए, जिससे वे देश के एक भाग से दूसरे भाग में आ जा सकें। परन्तु इसमें भी पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेरे कहने का आशय यह नहीं कि हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं हैं या कुछ किया ही नहीं गया। पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रय तैयार किया गया था। अगर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाता, तो इन लोगों की हालत में सुधार हो सकता था।

विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 9.6 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित की गई है। इसमें से 12 1/2 लाख बीघा जमीन भूमिहीन श्रमिकों को वितरित की गई है। इसमें से अधिकांश भूमि अनुत्पादक है। मेरे राज्य में 40,000 लोगों को ऐसी जमीन आबंटित की गई है, जो अनुत्पादक है।

अगर हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो उन्हें उचित मूल्य पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करनी चाहिए। मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण इन लोगों पर सबसे अधिक दबाव पड़ा है।

अगर हम इस समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार करना चाहते हैं, तो रोजगार और न्यूनतम मजूरी की गारंटी होनी चाहिए। योजना आयोग ने द्रुत रोजगार की मार्गदर्शी योजनायें बनाई हैं। अगर इनमें कोई त्रुटियां हों, तो उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 में पारित किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों ने इस बारे में कानून नहीं बनाये हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने राज्यों ने ऐसे कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में लागू किये हैं? महाराष्ट्र ने एक अच्छा न्यूनतम मजूरी कानून बनाया है, जिसके अनुसार राज्य को तीन जोनों में बांट दिया है और 3 रु० से 4.50 रु० प्रतिदिन के बीच न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है। काम करने का समय 6 से 7 घण्टे के बीच रखा गया है। कानून में यह भी व्यवस्था है कि मजूरी की दरों में हर तीन वर्ष के बाद समीक्षा की जानी चाहिए। अगर रोजगार, प्राथमिक शिक्षा और उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने की गारंटी दी जाती है, तो दस पन्द्रह वर्षों के दौरान लाखों लोगों की गरीबी की समस्या का सामाधान करने में हम सफल हो सकेंगे।

सभापति महोदय : क्या सदन यह चाहता है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिये समय में वृद्धि कर दी जाय।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री० के० रघुरामैया) : मैंने विरोधी पक्ष के सदस्यों से भी परामर्श किया है। यह आम राय है कि दो घण्टे के लिये चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय। अब संकल्प पर 30 तारीख को चर्चा होगी।

सभापति महोदय : क्या सदन यह चाहते हैं कि चर्चा के दिये दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : The Government has all along been making announcements that land reforms legislations be passed and many of the State Governments have also passed legislations in this connection, but laws have not been implemented as Centre's approval is not accorded to them. The Ceiling Act sent by M. P. Government has not been given approval. The Urban Property Ceiling Bill has not been brought forward so far. In the Baghelkhand Region of Madhya Pradesh, the lease of the land in occupation of the landless labour is in the name of the landlord and the landless labour are ask ed to vacate the land at any time.

The Central Government should ask the State Governments to implement the land reforms laws very strictly. The agricultural labour and the landless labour have been allotted land, but they have not been given the lease deed. The Patwaris and other officials are asking the people to pay illegal gratification.

The Government of M. P. had prepared a scheme to allot residential plot to the landless people in rural areas. But out of 9 lakh prople, land has been allotted to only 6 lakh people.

Mr. Chairman : You may continue your speech on next date.

हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाना*

INDIAN OCEAN AS A FREE ZONE*

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : हिन्द महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों को तट को स्पर्श करने वाली समुद्री लहरें अपने साथ शान्ति का सन्देश नहीं लाती, बल्कि अब हिन्द महासागर बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता का अड्डा बन गया है। आणविक पनडुब्बियाँ और नौसेना के राकेटों ने इस क्षेत्र को अशान्त बना दिया है।

हिन्द महासागर मे अल्यारा से नार्थ वेस्ट केप और कर गुएलेन से बहरीन तक तीस से अधिक सैनिक प्रतिष्ठान हैं। इस सैनिक तनाव की चरम सीमा डिएगो गार्सिया को सैनिक अड्डा बनाए जाने के रूप में परिणत हुई है। अमेरिका से प्रकाशित "न्यूजवीक" के अनुसार 18 करोड़ डालर की लागत से डिएगो गार्सिया में सैनिक अड्डे का विस्तार किया जाएगा और हवाई पट्टी को बढ़ाकर 12,000 फीट लम्बा किया जायगा, जिससे सामानवाहक जहाज और बी-52 बमवर्षक विमान तथा जेट फाइटर विमान भी उतर सके। अमेरिका की प्रतिनिधी सभा ने इसके लिए आवश्यक धन को मंजूरी दे दी है। हमारे लिए और सभी तटवर्ती देशों के लिए यह सिद्धांत सर्वाधिक चिंता की बात है कि हिन्द महासागर में एक बड़ी ताकत की उपस्थिति के सन्तुलन के लिए दूसरी बड़ी ताकत भी उपस्थित होनी चाहिए।

---

*आधे घण्टे की चर्चा।

*Half an Hour discussion.

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हिन्द महासागर के तटवर्ती राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता का शिकार बनने की आशंका उत्पन्न हो गई है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हिन्द महासागर में बडे राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता के बारे मे आशंका व्यक्त की गई है । सीनेटर राबर्ट केनेडी, मि० चेस्टर बोल्स और पेन्टागन के भूतपूर्व पदाधिकारी तथा सी० आई० ए० के निदेशक ने अपनी अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं । न्यूजवीक के अनुसार हिंद महासागर में नौसेना की उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के मित्र देशों की उपस्थिति के लिए आवश्यक है । बंगला देश संघर्ष के दौरान हम इसका अनुभव कर चुके है कि किस प्रकार ' इन्टरप्राइज ' को भेजकर धमकी की राजनीति का आश्रय लिया गया ।

राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की एक समिति ने, जिसमें रक्षा तथा सामायिक संस्थान के श्री के० सुब्रह्मण्यम् भी सदस्य थे, एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 'सुपर पावर' राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता का उल्लेख किया गया था । उस रिपोर्ट की उपेक्षा करके अब दूसरी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें आणविक पनडुब्बियों का उल्लेख नहीं किया है और ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस का भी उल्लेख किया गया है । क्या ऐसी स्थिति में हमारा यह दायित्व नहीं है कि विश्व परिषदों में संकल्प पारित करने के बजाय कुछ अधिक ठोस कार्यवाही करें । हिन्द महासागर से बड़ी ताकतों को दूर रखने में राष्ट्र संघ की पूर्ण विफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या नीति अपनायेगी ? तटवर्ती देशों को अपनी अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिये अपने आप को संगठित करना चाहिये ।

अपने देश की 3500 मील लम्बी समुद्रतटीय सीमा की रक्षा करने के लिए नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करनी चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि हमें फिर कहीं 'इन्टर प्राइज' जैसे जहाजों का सामना करना पड़े । भारत को अपने दर्जे, गौरव और विशाल आधार के अनुरूप इस क्षेत्र में भूमिका निभानी होगी ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि हिन्द महासागर में हथियारों की दौड़ प्रारम्भ हो गई है ।

हिन्द महासागर के भूगोल पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि हिन्द महासागर में आने के तीन मार्ग हैं । एक तो स्वेज नहर जो बन्द पड़ी है, दूसरा मार्ग सुन्दा और मलाक का जलडमरू मध्य है और तीसरा मार्ग आशा अन्तरीय का है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।

यह अत्यधिक चिन्ता की बात है कि महाशक्तियों ने हिन्दमहासागर में रूचि लेनी प्रारम्भ कर दी है । फारस की खाड़ी में तेल का होना मुख्य आकर्षण है । संयुक्त राज्य अमरीका का पहले ही बाहरीन में स्थायी नौसैनिक अड्डा है और हाल ही में उन्होंने शाह ईरान की मित्रता का लाभ उठाकर अबू मूसा के प्रवेश द्वारा पर दूसरे अड्डे का विकास किया है । ईरान का भी यह प्रयास है कि तेल के बल पर ईरान विश्व की एक महान सैनिक शक्ति बने ।

दक्षिण अफ्रिका के सैनिक नेता भी संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे करते रहे हैं और कुछ ऐसे नौसैनिक अड्डे हैं जहां से हिन्द महासागर में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जहाजों का आना-जाना नियंत्रित किया जा सकता है ।

आस्ट्रेलिया के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है और कोकोस द्वीपसमूह तक जहाजों का आना जाना नियंत्रित किया जा सकता है । दाइगो गार्शिया हिन्द महासागर के मध्य में है इसे एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे का रूप दिया जा रहा है ।

लोकसभा सचिवालय द्वारा तैयार किये गये एकशोधपत्र में कहा गया है कि यदि अमरीका ने दाइगो गार्शिया में एक सम्पूर्ण नौसैनिक अड्डा बना लिया जो सोवियत रूस भी ऐसे ही अड्डे को तलाश करेगा और महत्वपूर्ण नौसैनिक हथियारों की दौड़ शुरू हो जायेगी।

सोवियत रूस में पहले ही इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। सोकरोत द्वीप समूह और सोमाली, अफ्रीका में उनके अड्डे हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने मारीशस के साथ एक समझौता भी किया है। टन्जानिया के साथ चीन के अच्छे संबंध सर्वविदित है और वे भी अड्डा बनाने में लगे हैं। हमें इस स्थिति में सोये नहीं रहना है। हिन्द महासागर में हमारी स्थिति अत्याधिक महत्वपूर्ण है। अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और कच्चाटिवू में नौसैनिक अड्डे की स्थापना करनी चाहिये। हमें मुगल साम्राज्य की गलती को न दोहरा कर एक शक्तिशाली नौसेना खड़ी करनी चाहिये। हमें तेल और खाद्यान्नों के आयात के लिये भी समुद्र पर निर्भर करना पड़ता है। अत: नौसेना के लिये रक्षा बजट के जो केवल 9.8 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है वह बहुत कम है। इसे बढ़ाकर नौसेना को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। इसी से हमारा बचाव हो सकता है अन्यथा हम मुगलिया सम्राटों वाली गलती को दोहराने के सिवा कुछ नहीं कर सकते।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य की भांति हिन्द महासागर में होने वाली विभिन्न घटनाओं से चिन्तित हूं। दाइगो गार्शिया से संबंधित घटनाओं से हमारा और अन्य तटीय देशों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। हमने कई बार कहा है कि इससे भारत सरकार को भी चिन्ता हो रही है।

सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं सर्वप्रथम यह निवदन करना चाहता हूं कि इससे भारत तथा अन्य तटीय देश भी संबंधित हैं। इस संबंधित में हम जो भी कार्य करें वह उन देशों के साथ मिलकर किया जाना चाहिये जिनके विचार हमारे विचारों के अनुरूप हैं। विगत समय में हमने वास्तव में ऐसा ही किया है।

संयुक्त राष्ट्र में इस मामले पर कई बार चर्चा हुई है और हमने 1965 से ही सक्रिय भूमिका निभायी है। 1971, 1972 और 1973 में पारित होने वाले संकल्पों को हमने न केवल समर्थन दिया अपितु अन्य देशों के साथ उन्हें पेश भी किया। इन प्रस्तावों में हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित किया गया है जो बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त है।

दाइगो गार्शिया के बारे में हमने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका के प्रयास का विरोध किया है और हमने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बातचीत के दौरान यह बात भी उठाई है।

हिन्द महासागर संबंधी हमारी नीति के तीन मुख्य उद्देश्य है अर्थात् देश की रक्षा, गहरे समुद्र में नौवहन और हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखना जिसमें परमाणु शस्त्रों संबंधी तनाव न हो।

हमारे द्वारा इस संबंध में अब तक जो प्रयास किये गये हैं उन सबका उद्देश्य यही रहा है कि इसके विरुद्ध विश्व में जनमत तैयार किया जाय। इसके अलावा कोई ठोस कार्य करना हमारे लिये बहुत कठिन है। वास्तविकता तो यह है कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखना बड़ी शक्तियों की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत या अन्य कोई देश उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। हम तो विश्व के विभिन्न मंचों पर इसका विरोध कर सकते हैं। हमने ऐसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। माननीय सदस्य ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि अमरीका में भी इसके विरुद्ध जनमत बनने लगा है।

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

मैंने स्वयं दो मास पूर्व ब्रिटेन में इस संबंध में बातचीत की थी। संबंधित मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन सरकार डाइगो गार्शिया के बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। वे अपनी रक्षा आवश्यकताओं की पुनरीक्षण करना चाहते हैं और राष्ट्र मंडलीय देशों का मत जानना चाहते हैं। उनका केवल यही कहना है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : परन्तु वे तो निर्माण कर रहे हैं।

श्री सुरेंद्र पाल सिंह : इसका अनुसमर्थन किया जाना है। अमरीका को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वहां की सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। अभी तक वह मिली नहीं है। हमारे प्रयासों का यह प्रभाव पड़ा है कि अब वे स्वीकृति देने में हिचकिचा रहे हैं। वे मामले पर विचार कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि हमें कहां तक सफलता मिलेगी।

जहां तक शक्तिशाली नौसेना रखने का विचार है मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि रक्षा मंत्रालय इस आवश्यकता को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है। इसमें बहुत से देशों की रक्षा का प्रश्न है और मेरे विचार में कोई भी बाहर की शक्ति इन देशों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगी। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी और दूसरों के सहयोग से सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था कायम करनी होगी। हम इस समस्या का सामना इसी ढंग से कर सकते हैं।

हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हम अन्य देशों के साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे कि हिन्द महासागर शान्ति का क्षेत्र बना रहे। यह नहीं कहा जा सकता कि हम कहां तक सफल होंगे परन्तु हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे।

श्री पी० के० देव : मैं केवल यह स्पष्टिकरण चाहता हूं कि क्या सरकार नौसेना में सुधार करने के लिये और धन की व्यवस्था करेगी और अनुपूरक मांगें पेश की जायेंगी।

श्री सुरेंद्र पाल सिंह : इस बात का उत्तर देने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा और यह मुझसे नज़र अंदाज हो गया कि जहां तक हमारी जानकारी है हिन्द महासागर में सोवियत रूस का कोई अड्डा नहीं है।

जहां तक नौसेना के लिए अधिक धन का प्रश्न है, यह मामला रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यह जानकारी उन्हें भेज दी जायेगी। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय नौसेना को सुदृढ़ बनाने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है और हमारे देश की समुचित रक्षा की जाएगी।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 अगस्त, 1974/28 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, the 19th August, 1974/Sravana 28, 1896 (saka)

भा०स०मु०ना०—बि० 7-27 लोक सभा/74-29-10-74-490